कुत्सित वस्त्र, हाथों में माला, जिह्वा पर रामनाम, व्रत और तपस्या का जीवन—यही वैधव्य के आभूषण हैं।

विधवाओं का इंसाफ

लेखक

विश्वप्रकाश बी० ए० एल-एल बी०

प्रकाशक

प्रथम बार] [मूल्य १॥)

कला प्रेस, प्रयाग ।

विषय-सूची

(१) **विधवा का रूप**—विधवा का रूप (१), विधवा से क्या आशायें रक्खी जाती हैं (४)।

(२) **विवाह**—स्त्री पुरुषों का आकर्षण (१०), विवाह और प्रेम (१२), प्रेम और कामातुरता (१४), प्रेम का सामाजिक नियंत्रण (१६), सामाजिक अनियन्त्रण (२०), विवाह के प्रकार (२२), विवाह की विचित्र पद्धतियाँ (२४), विवाह शारीरिक सम्बन्ध है (३०), जीवात्मा शरीर बदलता रहता है (३१), मृत्यु बन्धन तोड़ देती है (३२), क्या सम्बन्ध नहीं टूटता (३३), अनुपम पहेली (३५)।

(३) **स्त्री और पुरुष जाति की समानता**—दोनों समान हैं (३७), भेदक भित्ति किसने स्थापित की (३८), क्या स्त्रियाँ अबला हैं (४०), अबला बनाने के रहस्य (४२), स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न नियम (४४), क्या स्त्री के हृदय नहीं होता (४७), क्या स्त्रियों में काम-

विषय-सूची

—:०:—

(१) **विधवा का रूप**—विधवा का रूप (१), विधवा से क्या आशायें रक्खी जाती हैं (४)।

(२) **विवाह**—स्त्री पुरुषों का आकर्षण (१०), विवाह और प्रेम (१२), प्रेम और कामातुरता (१४), प्रेम का सामाजिक नियंत्रण (१६), सामाजिक अनियन्त्रण (२०), विवाह के प्रकार (२२), विवाह की विचित्र पद्धतियाँ (२४), विवाह शारीरिक सम्बन्ध है (३०), जीवात्मा शरीर बदलता रहता है (३१), मृत्यु बन्धन तोड़ देती है (३२), क्या सम्बन्ध नहीं टूटता (३३), अनुपम पहेली (३५)।

(३) **स्त्री और पुरुष जाति की समानता**—दोनों समान हैं (३७), भेदक भित्ति किसने स्थापित की (३८), क्या स्त्रियाँ अबला हैं (४०), अबला बनाने के रहस्य (४२), स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न नियम (४४), क्या स्त्री के हृदय नहीं होता (४७), क्या स्त्रियों में काम-

वासना नहीं होती (४९). क्या विधवा के रजोधर्म बन्द हो जाता है (५०). विधवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा (५३)।

(४) **विधवायें और विधुर**—विधवायें और विधुर की समानता (५८) विधवायें और विधुर क्यों होते हैं (६१) विधवायें और बाल विवाह (६२) विधवा ईश्वर बनाता है न कि बाल विवाह (६३), वृद्ध विवाह और विधवायें (६८). विधुर विधवा नहीं ढूँढ़ते (७१)।

(५) **विधवा विवाह का आरम्भ**—इस आन्दोलन के जन्मदाता (७३). विधवा विवाह नामक पुस्तक (७५), विधवा विवाह का राजनियम (७६). Hindu widows remarriage Act 1856 (७७), एक्ट का भाषान्तर (८५) एक्ट और विधवायें (९०). विधवा विवाह में कठिनाइयाँ (९२). ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का पत्र (९३)।

(६) **विधवा विवाह न होने से हानियाँ**—हिन्दू समाज का कलंक है (९६). विधवाओं की तालिका (१००). १९२१ ई० और १९३१ ई० में विधवाओं की संख्या वृद्धि (१०२). १९२१ ई० की पाँच वर्ष से कम आयु

की विधवायें (१०३), हिन्दू और जैन विधवायें (१०३), मर्दुमशुमारी में क्या होगा (१०४), किन विधवाओं का विवाह शीघ्र होना चाहिये (१०५), पवित्र नारियों को वैश्या बनाना है (१०७), वैश्याओं की संख्या (१०९), कुछ नगरों में वैश्याओं की संख्या (१११), गुप्त व्यभिचार (११३) बलात् ब्रह्मचर्य से हानि (११४) डाक्टर की सम्मति (११५) राधा मोहन गोकुल जी का अनुभव (११६) जाति का अधोपतन (११७), हिन्दू जाति की संख्या में कमी (११७), विधवा के सम्मुख प्रलोभन (११८), विधर्मियों की संख्या वृद्धि कैसे होती है (११९)।

(७) **विधवा विवाह शास्त्रोक्त है**——कलियुग के लिये स्मृति (१२३), पाराशर स्मृति कलियुग के लिये (१३३), पाराशर स्मृति विधवा विवाह की आज्ञा देती है (१२७), किस किस अवस्था में स्त्री पुनर्विवाह की अधिकारिणी होती है (१२८), मनुस्मृति में विधवा विवाह का विधान (१३२), कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति के श्लोक की क्या व्याख्या की है (१३३), वेदों की साक्षी (१३४), ऋग्वेद और अथर्व के मंत्र विधवा विवाह के पक्ष में (१३५), वेद में पुनर्विवाहित स्त्री और पुरुष की मंगल कामना

का विधान (१३७), पुनर्विवाह निकृष्ट विवाह नहीं (१३८)।

(८) **विधवा विवाह पर कुछ सम्मतियां**—महात्मा गांधी (१३९), देवता स्वरूप भाई परमानन्द (१४२), दीवान बहादुर हरबिलास शारदा (१४३), राधा मोहन गोकुल जी (१४३), स्वामी दयानन्द सरस्वती (१४४), दानवीर सर गंगाराम (१४५)।

(९) **विधवा के कारनामे**—(१४६)।

(१०) **अन्त में**—(१५४)।

॥ ओ३म् ॥

विधवाओं का इंसाफ़

प्रथम अध्याय

विधवा का रूप

मानवीय पाशविकता के इतिहास में "विधवा" का उल्लेख विशेष रूप से किया जायगा। इसका वर्णन ख़ून से लिखा जायगा, उस ख़ून के साथ हृदय की टूटी हुई अतड़ियाँ होंगी। मनुष्य ने संसार में प्रभुत्व तथा शक्ति पाकर जो अत्याचार किये हैं, उन सब में स्त्रियों पर किये गये अत्याचार अधिक मर्म-स्पर्शी और हृदय विदारक हैं।

"विधवा" तीन अक्षरों का शब्द कितना छोटा है। अधिक से अधिक एक इञ्च में लिखा जा सकता है। पर इस शब्द का

व्यापार इतना छोटा नहीं। उसको कई मील लम्बा कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। विधवा शब्द हृदय में ऐसा लगता है जैसे तीर या वर्त्तमान प्रणाली में जैसे बन्दूक की गोली।

कल्पना कीजिये कि एक नव-यौवना स्त्री बैठी है। उसके मस्तक पर बेंदी लगी है या सिंधूर का ठीका। मांग में लाली भरी है। बालों की लटे अपना आकर्षण दिखा रहीं हैं। गालों पर लाली है, होठों पर मुस्क्यान। हाथों में चूड़ियां हैं। तरह तरह के आभूषण शोभा बढ़ा रहे हैं। गले में हार शोभा देता है। मादकता तथा यौवन उसके सारे शरीर पर लहलहा रहा है। रति की प्रति-मूर्त्ति उसे समझिये जिस पर भौरें मँडराते हैं, कामिनी जिस पर उसका पति प्राणों को कुर्बान करता है। घर वाले उसे सौभाग्य-प्रदा समझते हैं। सास प्यार करती है, ससुर उसकी चिन्ता रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि घर वाले सब के सब उसको प्यार की निगाहों से देखते हैं। इस कल्पना पर "विधवा" शब्द कहा नहीं तुषार गिर पड़ता है। फूल मुरझा जाता है। बना बनाया स्वर्ग मट्टी में मिल कर ख़ाक हो जाता है। वह कामिनी बैठी बैठी रह जाती है। उसका सुख, उसका सौन्दर्य, उसका वैभव, उसका स्वर्ग सब परी-लोक के समान स्वप्नवत हो जाता है। "विधवा" शब्द कहा नहीं

उसकी हृदय में गोली का धड़ाका होता है। वह मुरदे की तरह हो जाती है।

उस स्त्री को कोई पूछे क्या हो गया। उसका शरीर वैसा ही है जैसा पहले था। उसका यौवन, उसकी मादकता, उसकी छटा, उसका सौन्दर्य सब पूर्ववत् है। उसके शरीर में क्षय रोग नहीं हुआ पर बैठी बैठी वह परिवर्त्तित हो जाती है। यह है मानवी लीला, यह है मानवी समाज का कराल विकराल रूप। रानी अब दासी से बुरी समझी जाती है।

पति इस लोक से चला गया। उसका दुःख परिवार के हृदयों पर विद्यमान है। सब रो रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, अपना सिर पृथ्वी से मार कर रुधिर की धारा बहा रहे हैं। परन्तु रोते रोते एक अन्य व्यापार तथा कर्त्तव्य की ओर लोगों का ध्यान जाता है। एक स्त्री उठती है वह अपने हाथों से उस विधवा के माथे का सिंधूर मेट रही है। दूसरी वृद्धा कहती है "अरे अभी तक हाथों की चूड़ियां तद्वत हैं। उन पर प्रहार क्यों नहीं होता।" इसी रोने में तीसरी पत्थर का लोढ़ा उठा कर बिचारी के हाथों की चूड़ियाँ फोड़ती है। उनको इस बात की चिन्ता नहीं कि बिचारी दुखिया के हाथों में कांच लग कर घाव

तो नहीं कर रहे। यह है हिन्दू समाज की दुर्दशा। यह है "विधवा" का रूप।

"विधवा" का वर्णन किस प्रकार से करें। शब्दावलि चाहे कितने ही परिश्रम से क्यों न इकट्ठी की जाय। चित्रकार की कूचिका में तरह तरह के रंग देकर क्यों न चित्र बनाया जाय, चित्रकार अपनी छाती के रुधिर में अपनी कूचिका को भर कर क्यों न चित्र बनावे। परन्तु यही नहीं समस्त मानवीय उपकरणों का अन्त क्यों न हो जाय "विधवा" का रूप अंकित नहीं किया जा सकता। यह ऐसी वस्तु है जो न अंकित हो सकती है और न चित्रित। इसमें सभी हार जावेंगे।

"विधवा" से क्या आशायें रक्खी जाती हैं?

(१) मलीन मुख जिस पर कभी भी हँसी न आती हो। क्योंकि हँसी आने से संभव है कि कोई मनुष्य उससे प्रभावित हो जावे। यदि सधवा स्त्री भी किसी पुरुष से हँस कर बात करती है तो उसके आचार पर लोग शंका करने लगते हैं। परन्तु यदि विधवा हँसी तो सर्वदा अशुभ सूचक समझा जाता है।

(२) चूड़ियां, मांग में सेंधुर, माथे पर टीका लगाने की

आज्ञा विधवा को नहीं। पैरों में बिछुये जो सधवा के लक्षण हैं वे भी विधवायें न पहने।

(३) किसी भी प्रकार के आभूषण विधवा शरीर पर धारण न करे। क्योंकि आभूषण तो पुरुष को आकर्षित करने के साधन मात्र होते हैं। अब विधवा हो गई तो उसको आकर्षित करने से क्या काम।

(४) रंगदार कपड़ों का प्रयोग विधवा के लिये क्षम्य नहीं समझा जाता। यह भी इसी कारण से जिससे आभूषण वर्जित हैं। रंग और नेत्रों में विशेष मित्रता है। जो चीज़ रंगीली है वह नेत्ररंजक भी। किसी किसी स्थान पर किनारी-दार धोतियां विधवाओं को नहीं दी जा सकतीं। बंगालियों में विधवायें सफेद बिना किनारे की धोतियाँ पहनती हैं।

(५) विधवा का रूप नष्ट करने के लिये कहीं कहीं बालों को काट देने की प्रथा है।

(६) शुभ अवसरों पर "विधवा" का दर्शन अशुभ, अमङ्ग-लकारी समझा जाता है। उसको आज्ञा नहीं कि शुभ अवसर पर आसके। जिस समय परिवार में आनन्दोत्सव हो रहा हो, आरती और बजे बज रहे हों, 'विधवा' घर के एक कोने में सिसकियां भरती रहती है।

विधवाओं का इंसाफ़

❖❖

विधवा वर्णन करने की वस्तु नहीं है। वह है देखने और रोने की वस्तु। जिन्होंने विधवा को देखा है, और प्रेम भरी दृष्टि से उसके दुःखों को विवेचना की है वे अनुभव कर सकते हैं कि उसका जीवन कितना दुख से भरा हुआ है।

मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। और यदि बुद्धि होते हुये भी मनुष्य इस प्रकार के अत्याचार कर सकता है, करना तो दूर रहा यदि उसका स्वप्न में भी अनुभव कर सकता है तो धन्य है उसकी मनुष्यता को। यदि संसार में इस प्रकार के व्यवहार मनुष्यता के नाम से सम्बोधन किये जा सकते हैं, तो पाशविकता की परिभाषा क्या की जायगी।

माली उद्यान लगाता है, सुंदर फूल खिलते हैं। यदि कोई उन फूलों को मसल देता है तो उस माली के हृदय को कितनी ठेस पहुँचती है। यह संसार हमारे माली रूपी ईश्वर का एक मनोरम सुन्दर उद्यान है। यदि हम इसके फूलों को नष्ट करेंगे तो क्या प्रभु हमें धन्यवाद देंगे? इन फूलों का प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। ऐसा करने से वह माली भी हम पर प्रसन्न ही होगा।

दूसरा अध्याय

विवाह

विवाह क्या है? नारियों की दुर्दशा जो इस समय समाज में हो रही है, उसको देख कर बाईबिल की एक मनोरंजक वार्त्ता की ओर ध्यान गया और मनोरंजन के विचार से उसे यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आदम और स्त्री दोनों एडन के बाग में नंगे रहते थे। उनको नंगे होने का ज्ञान न था और इसलिये लज्जा भी नहीं थी। ईश्वर ने मना कर दिया गया था कि सब वृक्षों के फल खाना पर एक अमुक वृक्ष का फल न खाना नहीं तो स्त्री मर जावेगी। परन्तु सांप ने स्त्री को बहकाना आरम्भ किया।

"सांप ने स्त्री से कहा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी"।

"ईश्वर जानता है कि यदि दिन में तुम उसका फल खाओगी तो तुम्हारी आँखें खुल जायंगी, और तुमको देवतों के समान गुण और बुराई के समझने की योग्यता हो जावेगी।

विधवाओं का इंसाफ़

****

"और जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष खाने के लिये अच्छा है, और देखने में अच्छा है, और ऐसा वृक्ष है जिससे मनुष्य की बुद्धि बढ़ जायगी, उसने फल तोड़ लिया और खा लिया। और फल का थोड़ा सा भाग अपने पति को दिया और उसने भी खाया।

"और उन दोनों की आँखें खुल गईं, और वे अनुभव करने लगे कि वे नगे हैं। बस उन्होंने पत्तों को सीं कर अपने नंगापन को ढका।

"और उन्होंने बाग़ में ईश्वर की आवाज़ सुनी ठण्डे दिन में। आदम और उनकी स्त्री दोनों के दोनों पेड़ों में ईश्वर की दृष्टि से दूर होने के लिये छिप गये।

"ईश्वर ने आदम को ज़ोर से पुकार कर पूछा 'तुम कहाँ हो?'

"और उसने कहा मैंने तुम्हारी आवाज़ बाग में सुनी थी; परन्तु मैं आपके सामने आने से भयभीत था क्योंकि मैं नंगा था, इसलिये मैंने अपने को छिपा लिया।"

"और उसने पूछा किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने पेड़ के फल को खा लिया है, जिसको मैंने मना किया था कि तुम न खाना।

विवाह

"आदम ने कहा उस स्त्री ने जिसे तुमने मेरे साथ रहने को दिया था मुझे पेड़ का फल दिया और मैंने उसे खा लिया।

"और ईश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया ?" स्त्री ने कहा सांप ने मुझे बहकाया था और मैंने खा लिया।

[ईश्वर ने सांप को शाप दिया]।

"स्त्री से उसने कहा, मैं तुम्हारे दुःखों को बढ़ा दूँगा, तुमको गर्भ रहेगा। पीड़ा के साथ तू बच्चा जनेगी। तेरी इच्छा तेरे पति की इच्छा होगी और वह तुझ पर राज्य करेगा।"❀

इस प्रकार बाइबिल के ईश्वर ने स्त्री को शाप दिया, उसके दुःखों को बढ़ा दिया, उसके गर्भ होने लगा और वह पति की इच्छा के आधीन हो गई। एडन के बाग में बिहार करते हुये प्राणियों का यह अन्त हुआ। फल खाने के कारण यह संसार आरम्भ हो गया और बच्चे उत्पन्न होने लगे। बाइबिल में संसार के उत्पन्न होने का यह स्वरूप दिया है।

---

* Genesis 3.

स्त्री पुरुषों का आकर्षण

विधाता ने अपनी प्रकृति में आकर्षण की एक चित्ताकर्षक प्रथा रक्खी है। किसी भूगोलवेत्ता से प्रश्न कीजिये कि विशाल सूर्य्य, पृथ्वी, चन्द्र, नक्षत्र आदि किस प्रकार व्यापक हैं, वे गिर कर चकनाचूर क्यों नहीं हो जाते। ऐसे विशाल लोक और किस विचित्र गति से चल रहे हैं पर न वे टकराते हैं और न चूर होकर गिरते ही हैं। भूगोल-वेत्ता उत्तर देगा कि आकर्षण शक्ति से वे एक स्थान पर स्थित हैं।

परन्तु इस बड़े आकर्षण की कौन कहे, मनुष्य और स्त्री में इतना आकर्षण है कि अनायास ही वे आकृष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसा ईश्वरीय नियम है कि ज़रा सी चेष्टा भी नहीं करनी पड़ती। इन्द्रियाँ स्वयं ही आकृष्ट हो जाती हैं। यह नियम किसी स्थान विशेष से सम्बन्ध नहीं रखता। जंगल में रहिये या शानदार महलों में, गरीब की झोपड़ी में, अमीरों के शानदार बंगलों में, फटे कपड़ों में या रेशमी साड़ियों में सब में ही इसकी लीला व्यापक है। इसके लिये न शिक्षा की आवश्यकता है, और न किसी आज्ञा की। यह आकर्षण ही ठहरा। इसका व्यापार मन से होता। शकुन्तला वन की

रहने वाली अल्हड़, जो राजकीय ठाठ बाट को ज़रा भी नहीं समझती थी, उसमें न भावुकता थी, न व्यंग, न कटाक्ष करने की आदत। पर उसने दुष्यन्त को देखा नहीं कि बदन में आग लग गई। यदि वन में रहने वाली किसी राजसी ठाठ को देख कर आकृष्ट हो जाय तो अधिक आश्चर्य नहीं। पर दुष्यन्त को देखिये। जिस राजा का अन्तपुर स्त्रियों से से भरा हो, राज्य की सुन्दर कमनीय अप्सरायें जिसके साथ रहती हों वह एक वल्कल वस्त्र धारी कन्या की सुन्दरता पर इतना आकृष्ट हो जाय ? कैसी अद्भुत कल्पना सी प्रतीत होती है परन्तु है वास्तिकता की एक कथा। दुष्यन्त ने शकुन्तला में क्या देखा और शकुन्तला ने दुष्यन्त में क्या देखा, इसको तो वे ही जानते होंगे परन्तु मनोविज्ञान से हम भी उसकी कल्पना कर सकते हैं।

मनुष्य ही नहीं, पशुओं की उपजातियों में इस प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। और यह बात इतनी प्रत्यक्ष है जिसके लिये विशेषज्ञों या लगातार अध्ययन की आवश्यकता नहीं। न यह ऐसा अन्वेषण होगा जिस पर किसी विश्व विद्यालय की सिनेट डाक्टर की उपाधि देने पर विचार करें। साधारण बुद्धि का प्राणी साधारण दृष्टि से पशु जगत पर

दृष्टि डाले तो इस लैंगिक आकर्षण का अनुभव होगा। इसका अधिक वर्णन करना व्यर्थ है और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

विवाह और प्रेम

आकर्षण का कुछ वर्णन हो चुका। आकर्षण से प्रेम हुआ और प्रेम हो जाने के कारण वैवाहिक बन्धन में फँसना पड़ा। दूसरे शब्दों में आकर्षण ही प्रेम का आरम्भ है। आँखें किसी फूल पर पड़ीं, मन दहल उठा। कितनी सुन्दरता है। हृदय पहले आकृष्ट ही हुआ। हृदय में इच्छा हुई कि दुबारा वही चीज़ देखने को मिले। उसके देखने की चेष्टा की, कुछ काल बाद हृदय की हलचल शान्त हो जाती है और एक विशेष प्रकार की ममता उत्पन्न हो जाती है। यही ममता प्रेम का स्वरूप है।

प्रेम के लिये तर्कशास्त्र की आवश्यकता नहीं। वास्तव में प्रेम तो पारलौकिक है। वह यह नहीं सोचता कि प्रेम किससे हो रहा है? वह प्रेम के योग्य है या नहीं? वह प्रेम करती है या नहीं? प्रेम एक पागलपन है, एक हृदय का तूफ़ान है। पतंगा यह नहीं सोचता कि जिस प्रकाश के

विवाह

प्रेम में मस्त होकर वह जा रहा है वह उसकी कदर करैगा या नहीं? उसके हृदय में भी उसके प्रति प्रेम है या नहीं? वह तो झपटता है अपने प्यारे के ऊपर, उसका चुम्बन करता है उसको बलैया लेता है। झपटते ही लपक लगती है, एक बार हट जाता है, पर वह प्रेम रूपी अग्नि से घबड़ाता नहीं। वह दूसरा प्रयत्न करता है, उसके आधे से पर जल जाते हैं। उसकी आत्मा उसको खींच कर हटा लाती है, पर वह हट कर फिर प्रेम के वशीभूत हो जाता है। यह है उसका अन्तिम प्रयत्न। वह प्रेम में पागल होकर उसी प्रकाश से चिपट जाता है। जो उत्सर्गता सम्भव है किसी प्रेमिका के आलिंगन में न हो, वह उस पतंगे में है। वह जल रहा है, अपना अर्पण कर रहा है और इसी प्रयत्न में उसका शरीर नष्ट हो जाता है। उसकी आत्मा अपनी प्यारी चीज़ पर चिपकी रह जाती है।

मनुष्य भी प्रेम में कम पागल नहीं। मजनू से पूछिये कि लैला की काली कलूटी सूरत में कौन सी मादकता थी। उसके पिता क्या उसके लिये सुन्दर स्त्रियों का प्रबन्ध करने को तय्यार नहीं थे। धन की सहायता से क्या अपने देश की अन्य सुन्दरियाँ उसको नहीं मिल सकती थीं? क्या उसके

विधवाओं का इंसाफ़

पिता ने नहीं कहा था कि अपना जीवन लैला के पीछे बरबाद न कर और मैं लैला से अधिक सुन्दर स्त्री से विवाह करा दूँगा। पर यह सब व्यर्थ था क्योंकि लैला ही उसके दिल में बसी थी। लैला मजनू की करुणान्त तथा प्रेम की आदर्श प्रतिमूर्ति के वर्णन करने का यहाँ उद्देश्य नहीं। यहाँ केवल इतना ही दर्शित करना है कि यदि मजनू की लैला हमारी सड़कों पर घूमती तो उसकी सुन्दरता में इतना आकर्षण नहीं था कि किसी साधारण मनुष्य को भी अपना प्रेमी बना देती। प्रेम के लिये सुन्दरता नहीं चाहिये, उसके लिये चाहिये हृदय की धड़कन, हृदय का कम्पन, हृदय की सम्वेदना। यदि दोनों में ये बातें पाई जाती हैं तो दोनों प्रसन्न रह सकेंगे।

प्रेम और कामातुरता

प्रेम और कामातुरता कभी कभी एक ही प्रकट होते हैं पर हैं ये बहुत ही भिन्न। किसी कामी पुरुष को किसी कामी स्त्री के पीछे भागते देखते, उससे मिलने की चेष्टा करते, या उसकी ख़ुशामद करते देखते हैं तो हम समझते हैं कि वह पुरुष उस स्त्री के प्रेम पाश में बंधा हुआ है। पर यह प्रेम नहीं कहा जा सकता। नगरों तथा गांवों में बहुत से पुरुषों का यह दैनिक

व्यापार है कि वे स्त्रियों को फुसला कर अपनी इच्छा की तृप्ति करें। भाग्यवश हिन्दू समाज ने ऐसे पुरुषों के लिये बहुत सी देवियों को अर्पण कर दिया है। वे उन पुरुषों की काम पिपासा को तृप्त करती हैं और स्वयं भी बड़े सजधज के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। वैश्या का जीवन कितनी ऐयाशी का होता है, इसका अनुमान कठिन नहीं। बढ़िया भोजन, आकर्षक वस्त्र, हृदयहारी हार, शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली सभी वस्तुयें उनके पास होती हैं। वे पुरुषों को आकृष्ट करने के लिये हाव भाव का प्रयोग करती हैं और अपने प्रेमी को यह विश्वास दिलाने का यत्न करती हैं कि यदि संसार में उनके लिये कोई भी प्यारी वस्तु है तो वह पुरुष ही। पुरुष समझता है कि इस वैश्वा ने अपना सारा जीवन उस पर कुर्बान कर दिया है। वह अपना सर्वस्व उसके लिये देने को तैयार है। इसको प्रेम समझिये, पर वही वैश्या जिस समय उसे रुपया मिलना बन्द हो जाता है या अन्य कोई चिड़िया फंस जाती है उस पुरुष को ठुकरा देती है। प्रेम के सारे दावे छिन्न भिन्न हो जाते हैं और एक को छोड़ कर दूसरे से प्रेम करने लगती है। प्रेमी को अब ज्ञान हो जाता है कि उस वैश्या के हृदय में उसके प्रति कितना प्रेम था। उसकी आंखें खुल जाती हैं। न इस मनुष्य का प्रेम

पिता ने नहीं कहा था कि अपना जीवन लैला के पीछे बरबाद न कर और मैं लैला से अधिक सुन्दर स्त्री से विवाह करा दूँगा। पर यह सब व्यर्थ था क्योंकि लैला ही उसके दिल में बसी थी। लैला मजनू की करुणान्त तथा प्रेम की आदर्श प्रतिमूर्ति के वर्णन करने का यहाँ उद्देश्य नहीं। यहाँ केवल इतना ही दर्शित करना है कि यदि मजनू की लैला हमारी सड़कों पर घूमती तो उसकी सुन्दरता में इतना आकर्षण नहीं था कि किसी साधारण मनुष्य को भी अपना प्रेमी बना देती। प्रेम के लिये सुन्दरता नहीं चाहिये, उसके लिये चाहिये हृदय की धड़कन, हृदय का कम्पन, हृदय की सम्वेदना। यदि दोनों में ये बातें पाई जाती हैं तो दोनों प्रसन्न रह सकेंगे।

प्रेम और कामातुरता

प्रेम और कामातुरता कभी कभी एक ही प्रकट होते हैं पर हैं वे बहुत ही भिन्न। किसी कामी पुरुष का किसी कामी स्त्री के पीछे भागते देखते, उससे मिलने की चेष्टा करते, या उसकी ख़ुशामद करते देखते हैं तो हम समझते हैं कि वह पुरुष उस स्त्री के प्रेम पाश में बंधा हुआ है। पर यह प्रेम नहीं कहा जा सकता। नगरों तथा गांवों में बहुत से पुरुषों का यह दैनिक

व्यापार है कि वे स्त्रियों को फुसला कर अपनी इच्छा की तृप्ति करें। भाग्यवश हिन्दू समाज ने ऐसे पुरुषों के लिये बहुत सी देवियों को अर्पण कर दिया है। वे उन पुरुषों की काम पिपासा को तृप्त करती हैं और स्वयं भी बड़े सजधज के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। वैश्या का जीवन कितनी ऐयाशी का होता है, इसका अनुमान कठिन नहीं। बढ़िया भोजन, आकर्षक वस्त्र, हृदयहारी हार, शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली सभी वस्तुयें उनके पास होती हैं। वे पुरुषों को आकृष्ट करने के लिये हाव भाव का प्रयोग करती हैं और अपने प्रेमी को यह विश्वास दिलाने का यत्न करती हैं कि यदि संसार में इनके लिये कोई भी प्यारी वस्तु है तो वह पुरुष ही। पुरुष समझता है कि इस वैश्वा ने अपना सारा जीवन उस पर कुर्बान कर दिया है। वह अपना सर्वस्व उसके लिये देने को तैयार है। इसको प्रेम समझिये, पर वही वैश्या जिस समय उसे रुपया मिलना बन्द हो जाता है या अन्य कोई चिड़िया फंस जाती है उस पुरुष को ठुकरा देती है। प्रेम के सारे दावे छिन्न भिन्न हो जाते हैं और एक को छोड़ कर दूसरे से प्रेम करने लगती है। प्रेमी को अब ज्ञान हो जाता है कि उस वैश्या के हृदय में उसके प्रति कितना प्रेम था। उसकी आंखें खुल जाती हैं। न इस मनुष्य का प्रेम

था और न उस स्त्री का ही। दोनों के दोनों स्वार्थ के लिये आये थे। पुरुष अपनी काम पिपासा की तृप्ति के लिये आया था यही उसका स्वार्थ था। स्त्री को जीविका तथा भोग विलास की आवश्यकता थी वह उसको मिल गई।

प्रेम विशुद्ध प्रेम है। उसमें काम का स्थान नहीं। प्रेम के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। जब तक मनुष्य या स्त्री के शरीर में प्राण रहते हैं उस समय तक वह अपने प्रेम पर अटल रहता है। इस प्रेम की कुछ तो प्रसिद्ध कथायें हैं। परन्तु साधारण जन समाज में इसके उदाहरण मिल जाते हैं। कितने पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पहली स्त्री की मृत्यु पर दूसरा विवाह नहीं किया। कितने हो ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी आयु भर विवाह नहीं किया क्योंकि जिससे वे विवाह करना चाहते थे उसका सम्बन्ध दूसरे से हो गया। कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली क्योंकि जिस पुरुष के साथ वे विवाह चाहती थीं वह न हो सका।

प्रेम का सामाजिक नियंत्रण

यदि कोई स्त्री किसी पुरुष से बात करती हुई पाई जाती है, तो लोग उसे दुराचारी समझते हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री

से =ात करता पाया जाता है तो समाज उस स्त्री को व्यभिचारी समझता है। प्रेम का वर्णन हो चुका, कामातुरता से उसकी विभिन्नता भी दिखाई जा चुकी है। प्रेम का सामाजिक नियंत्रण होना भी आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य समाज बड़ा निरंकुश हो जायगा। यदि एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करती है और वही पुरुष उस स्त्री को चाहता है तो दोनों कहते हैं कि विवाह कर लो। विवाह से तात्पर्य है कि समाज ने उस स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने की आज्ञा देदी। यदि वे दोनों एक साथ देखे जावें। एक सा भोग विलास करें तो कोई हानि नहीं क्योंकि समाज ने उनको ऐसा करने की आज्ञा दे दी है।

विवाह के समय वर और वधू को इन मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है :—

ओ३म् समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद-यानि नौ।

सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ॥

(ऋग्वेद मं० १० । सूक्त ८६)

(विश्वे, देवाः) इस यज्ञशाला में बैठे हुये विद्वान् लोग !

आप हम दोनों को (समञ्जन्तु) निश्चय करके जानें कि अपनी प्रसन्नता पूर्वक गृहाश्रम में एकत्र रहने के लिये एक दूसरे को स्वीकार करते हैं कि (नौ) हमारे दोनों के (हृदयानि) हृदय (आपः) जल के समान (सम) शान्त और मिले हुये रहेंगे जैसे (धाता) धारण करने हारा परमात्मा सब में (सम्) मिला हुआ सब जगत् को धारण करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण करेंगे जैसे (समुदेष्ट्री) उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है वैसे (नौ) हमारे दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को (दधातु) धारण करे।

वर कहता है —

ओ३म् यदेषि मनसा दूरं दिशोऽनु पवमानो वा। हिरण्यपर्णो वैकर्णः स त्वा मन्मनसां करोतु॥

(पार० कां० १। कं० ४)

(यत) जो तू (मनसा) अपनी इच्छा से मुझको जैसे (पवमानः) पवित्र वायु (वा) जैसे (हिरण्यपर्णो, वैकर्णः) तेजोमय जल आदि को किरणों से ग्रहण करने वाला सूर्य (दूरम्) दूरस्थ पदार्थों और (दिशोनु) दिशाओं को प्राप्त होता है वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझको प्राप्त होती

है उस (त्वा) तुमको (सः) यह परमेश्वर (मन्मनसाम) मेरे मन के अनुकूल (करोतु) करे और हे (वीर) जो आप मन से मुझको (ऐषि) प्राप्त होती हो उस तुमको जगदीश्वर मेरे मन के अनुकूल सदा रक्खे ।

ओं गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः ।

(ऋग्वेद म० १० सू० ८५ म० ३६)

जैसे मैं (सौभगत्वाय) ऐश्वर्य सुसन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती के लिये (ते) तेरे (हस्तम्) हाथ को (गृभ्णामि) ग्रहण करता हूँ तू (मया) मुझ (पत्या) पति के साथ (जरदष्टिः) जरावस्था को प्राप्त सुख पूर्वक (आसः) हो तथा हे वीर ! मैं सौभाग्य की वृद्धि के लिये आपके हस्त को ग्रहण करती हूँ आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त प्रसन्न अनुकूल रहिये आपको मैं मुझको आप आज से पति-पत्नी भाव करके प्राप्त हुये हैं (भगः) सकल ऐश्वर्ययुक्त (अर्यमा) न्यायकारी (सविता) सब जगत की उत्पत्ति का कर्त्ता (पुरन्धिः) बहुत प्रकार के जगत का धर्त्ता परमात्मा और (देवाः) ये सब

सभामण्डप में बैठे हुये विद्वान् लोग (गार्हपत्याय) गृहाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) तुमको (मह्यम्) मुझे (अदुः) देते हैं।

ये प्रतिज्ञायें हिन्दू वर-वधु बहुत दिनों से करते आये हैं। सम्बन्धियों तथा जन-समाज के सम्मुख इस तरह की प्रतिज्ञायें करना इस बात का द्योतक है कि वे छिपे छिपे इस सम्बन्ध को नहीं कर रहे हैं।

हिन्दू शास्त्रों में विवाह एक धार्मिक सम्बन्ध है :—

" Marriage according to Hindu Law, is a holy union for the performance of religious duties. It is not a contract; the mere fact that a marriage was brought about during the minority of either party thereto, does not render the marriage invalid." †

अर्थात् हिन्दू कानून के अनुसार, विवाह धार्मिक कृत्यों के सम्पादनार्थ एक धार्मिक सम्बन्ध है। यह साधारण स्वीकारी नहीं। यही कारण है कि नाबालिग अवस्था में किये गये विवाह अनुचित नहीं होते।

सामाजिक अनियन्त्रण

यदि यह सामाजिक नियन्त्रण हटा दिया जाय तो मनुष्य

† Principles of Hindu Law by D. F. Mulla.

समाज की क्या दशा होगी। मनुष्य की वही दशा होगी जो पशु जगत की है। कोई मनुष्य किसी स्त्री से भी सम्भोग कर सकेगा और मनुष्य और स्त्री का सम्बन्ध केवल कामपिपासा शान्ति के लिये ही हुआ करेगा। ऐसी अवस्था में गार्हस्थ्य सुख का स्वप्न भी होना कठिन ही है।

पारिवारिक सुख क्या है? मनुष्य घर के बाहर परिश्रम करता है, स्त्री घर का आन्तरिक प्रबन्ध करती है। पति जिस समय थका हुआ आता है, घर में स्त्री यदि हँसते हुये उसका स्वागत करती है तो उसकी सब थकावट दूर हो जाती है। स्त्री उसको जल-पान कराती है, उसके सुख के सब सामान इकट्ठा करती है। यदि पति बीमार होता है तो उसकी सेवा सुश्रुसा करती है। उसके दुःख में दुःख मानती है और उसके सुख में सुख मानती है। परन्तु यदि स्त्री दुःख में पति का साथ नहीं देती तो पति के हृदय को कितनी आन्तरिक सम्वेदना होती है। घर जो आनन्द का देने वाला है वह काटता हुआ प्रतीत होता है। बहुत सी विवाहित स्त्रियाँ भी पतिभक्ता नहीं होतीं। पति बीमार पड़ा हो तो पति की सेवा करना दूर रहा वे अन्य पुरुषों के साथ आनन्द मनाती हैं। ऐसे समय में उसके पति की वेदना का अनुमान कीजिये। वह कितना दुखित होगा। जिस स्त्री

को वह भोजन देता है, वस्त्र देता है वह स्वयं दूसरे से प्रेम करती है। एक साधारण सी बात है। यदि स्त्री किसी दूसरे पुरुष से अनुचित सम्बन्ध करती है तो स्त्री का पति उस स्त्री और उस पुरुष के प्राण लेने को तैयार हो जाता है।

इसलिये परिवार और गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिये यह नियम बना दिये गये हैं। एक पुरुष एक स्त्री के साथ सुखी रहे और एक स्त्री एक पुरुष के साथ।

विवाह के प्रकार

हिन्दू धर्मशास्त्रों में ८ प्रकार के विवाह वर्णित हैं। उनमें से (१) ब्रह्म और (२) असुर इस समय प्रचलित हैं।

"Where the father or other guardian of the bride gives the bride in marriage without receiving any consideration from the bridegroom for giving the girl in marriage, the marriage is called *Brahma*. But where he receives such consideration which technically called *Sulka* or bride's price, the marriage is called *Asura*, even though, it may have been performed according to the rites prescribed for the *Brahma* form. The test in each case is, whether any consideration was received by the father or other guardian

for giving the girl in marriage. The mere giving of a present to the bride or to her mother as a token of compliment to her does not render the marriage *Asura* marriage."†

"अर्थात् जब कि वधु का पिता या संरक्षक वधु को बिना धन या लाभ के वर को सौंपता है तो विवाह "ब्रह्म" समझा जाता है। परन्तु जब कि वह शुल्क लेता है तो विवाह असुर समझा जाता है यद्यपि विवाह उसी पद्धति से किया गया हो जो ब्रह्म विवाह के लिये निर्धारित है। ब्रह्म या असुर विवाह जानने की यही कसौटी है कि वधु के पिता या संरक्षक ने कोई धन तो नहीं लिया। वधु या वधु की माता को भेंट देने मात्र से ही कोई विवाह असुर नहीं हो जाता है।"

आठ प्रकार के विवाह निम्न हैं :—

(१) गर्हित

(१) ब्रह्म—इसका विवरण ऊपर दिया जा चुका है।

(२) दैव—जब कि वधु पुरोहित के समर्पित कर दी जाती थी।

(३) आर्ष—जब कि वधु का पिता वर से एक जोड़ी गाय लेता था।

†Principles of Hindu Law by D. F. Mulla.

(४) प्रजापत्य—जब कि पिता अपनी पुत्री को यह कह कर देता था "तुम दोनों का सम्बन्ध लौकिक तथा धार्मिक कृत्यों के लिये है।"

(२) वर्जित

(१) असुर—इसका वर्णन ऊपर हो चुका है।

(२) गांधर्व—वर वधु स्वीकारी मात्र से विवाह कर लेते हैं।

(३) राक्षस—जब वर बलपूर्वक बधू को उठा ले जाता है।

(४) पैशाच—जब कोई पुरुष किसी लड़की को सोते में या शराब के नशे में अपवित्र कर देता है और उसका विवाह उस लड़की के साथ होता है तो वह पैशाच कहलाता है।

विवाह की विचित्र पद्धतियाँः—

भिन्न २ देशों में विवाह की भिन्न २ पद्धतियाँ पाई जाती हैं। कई स्थानों की तो बड़ी ही विचित्र पद्धतियां हैं। स्त्रियों के साथ उसी प्रकार व्यवहार किया जाता है जैसे कि पशु के साथ। स्त्रियों का मोल भाव उसी प्रकार होता है जिस तरह अन्य वस्तुओं का होता है।

****

न्यू ब्रिटेन

यहां पर वर वधू का विवाह बहुत छोटी अवस्था में हो जाता है। वर कन्या के पिता को धन देता है और यह धन इतना अधिक होता है कि एक किश्त में नहीं दिया जा सकता। जब वर कुछ किश्त दे देता है तो वह वधु को ले जाकर जङ्गल में एक झोपड़ी में रखता है। वधु का पिता अपनी किश्त इकट्ठा करने के लिये जाता है। उसके पहुँचने के पूर्व वर वधु वहां से भग जाते हैं। वधु का पिता झोपड़ो जला कर लौट आता है। कभी २ तो वह वर के साथ युद्ध करता है और उसको रुपया न देने के कारण मार डालता है।

बोर्नियो

एक सुपारी के आठ टुकड़े किये जाते हैं। यह पति के कर्त्तव्यों के द्योतक हैं। इसी प्रकार एक सुपारी के सात टुकड़े किये जाते हैं, यह स्त्री के कर्त्तव्यों का द्योतक हैं। एक कपड़े से तश्तरियां ढांक दी जाती हैं। कुछ देर बाद कपड़ा उठाया जाता है। यदि १५ टुकड़ों से अधिक निकलते हैं तो दोनों भाग्यशाली समझे जाते हैं। यह प्रथा "ब्लाह पीनाँग" कहलाती है। यहां पर अविवाहित युवक

युवतियाँ मिला करते हैं, पर यदि गर्भ रह जाता है तो उस युवक को उस स्त्री से विवाह करना पड़ता है। यदि वह नही चाहता तो उसके सम्बन्धी उसको विवश करते हैं।

बाली द्वीप

पुरुष स्त्री को भगा ले जाता है। भगा ले जाने मात्र से ही विवाह का हो जाना समझा जाता है। युवक स्त्री के माता पिता के लिये कुछ धन छोड़ जाता है।

सैलीबीज़

युवक जिस स्त्री से विवाह करना चाहता है उसके पास पान के बीड़े भेजता है। यदि युवती उसके पानों को स्वीकार कर लेती है और युवक के लिये पान भेजती है, तो समझा जाता है कि विवाह स्वीकृत हो गया। चावल की फ़सल में शाम को खूब नाच गाना होता है और युवक रात को युवती के साथ रहता है। प्रातःकाल वह काम पर चला जाता है। यदि सायंकाल को वह फिर युवती के पास लौट आता है तो समझा जाता है कि विवाह स्वीकृत हो गया। वर कन्या के पिता को धन देता है।

विवाह

****

फ़िलीपाइन द्वीप

यहां पर विवाह करने के लिये परिवार की सब चीजें बिक जाया करती हैं। यहां पर एक मकान खाली पड़ा रहता है, इसका "ओलाग" कहते हैं। जब कोई युवती किसी से विवाह करना चाहती है तो उसकी कोई वस्तु लेती है। युवक उस वस्तु को ढूंढ़ता है और जब नहीं मिलती तो 'ओलाग' में जाता है। युवक युवती के पिता के यहाँ भोजन करता है। बस विवाह हो जाता है। यह इगरोह जाति में रिवाज है।

जिलवर्ट द्वीप

विवाह के तय करने के लिये एक दुमंजिला मकान छांटा जाता है। कन्या से विवाह करने वाले युवक दुमंजिले पर बैठते हैं। कन्या नीचे एक दालान में बैठती है। छत में एक छेद कर लिया जाता है और युवक उस छेद में से नारियल की पत्तियां लटकाते हैं। कन्या पत्ती को पकड़ कर उसके लटकाने वाले का नाम पूछती है। यदि वह उस युवक से विवाह करना चाहती है तो पत्ती खींच लेती है नहीं पत्ती छोड़ देती है। पत्ती के खींचते ही अन्य युवक चले जाते हैं और उसका विवाह तय हो जाता है।

अस्ट्रेलिया

अस्ट्रेलिया में विवाह के पूर्व पीठ पर गुदना गुदाने का रिवाज है। एक वृद्धा स्त्री युवती को घर के बाहर ले जाती है। पहले उसके शरीर पर मट्टी का लेप किया जाता है। इसके बाद पत्तियां तथा घास जला कर उसको धुवाँ पिलाया जाता है। अब वही वृद्धा स्त्री पति सेवा के विषय में उपदेश देती है। अब गुदना की बारी आती है। वृद्धा स्त्री अपनी रागों में युवती का सिर जकड़ लेती है जिससे युवती हिलने न पावे। गोदने वाला उसकी पीठ पर एक इंच लम्बा और एक इंच गहरा घाव कर देता है। युवती की पीठ रक्त से तर हो जाती है और वह चिल्लाती है पर उसके दुःख की कोई चिन्ता नहीं करता। इस घाव में ईंगुर और तेल भर दिया जाता है। कन्या दूसरे दिन प्रातःकाल तक उपवास करती है।

अस्ट्रेलिया में कन्या हरण की प्रथा भी अधिक है। युवक जिस स्त्री पर आसक्त हो जाता है उसको हर कर ले जाता है। ऐसा करने में उसको उस स्त्री के सम्बन्धियों पति आदि से युद्ध करना पड़ता है। किसी किसी जाति में यह प्रथा है कि पुरुष रात को छिप कर युवती के घर जाता है और लकड़ी से उसको

जगाता है यदि युवती उससे विवाह करना चाहती है तो उसकी लकड़ी पकड़ लेती है। युवक-युवती को लेकर भाग जाता है और जब तक उसके सन्तान न हो जाय दोनों को छिप कर रहना पड़ता है। यदि पकड़ गये तो बड़ी मार पड़ती है।

अस्ट्रेलिया में कहीं कहीं अपनी बहिन देकर बदले में युवती लेने की प्रथा है। यहाँ पर पति को यह अधिकार है कि यदि उचित कारण हो तो पत्नी को मार डाले। पर यदि बिना कारण वह अपनी स्त्री को मार डालता है तो उसको अपनी बहिन स्त्री के सम्बन्धियों को हत्या के लिये सौंप देनी पड़ती है।

टारेस स्टेटट्स

जब लड़की विवाह के योग्य हो जाती है तो घर की अंधेरी कोठरी में पेड़ की शाखाओं और पत्तियों का एक बाड़ा बनाया जाता है। इस अंधेरी कोठरी में उस युवती को तीन मास बिताना पड़ता है। यह ध्यान रक्खा जाता है कि उस पर सूर्य की रोशनी न पड़ने पावे। क्योंकि यहाँ के लोगों का विश्वास है कि रोशनी पड़ने से उसकी नाक सड़ जावेगी। इस बाड़ी में छः वृद्धा स्त्रियां अपने हाथ से भोजन पका कर उसको खिलाती हैं।

विवाह शारीरिक सम्बन्ध है

विवाह एक शारीरिक सम्बन्ध है। दो शरीर जब किसी धार्मिक कृत्य के द्वारा संयुक्त किये जाते हैं तभी यह कहा जाता है कि विवाह हो गया। एक पुरुष एक पुरुष के साथ रह सकता है। एक स्त्री एक स्त्री के साथ रह सकती है। किसी देश का सदाचार इसको बुरा नहीं समझता। न संसार के किसी धर्म में इसका निषेध ही है। परन्तु एक पुरुष का किसी स्त्री के साथ संसर्ग हुआ नहीं कि धर्म की भित्ति बीच में आ जाती है। सदाचार अपनी टांग अड़ाने लगता है। एक पुरुष किसी स्त्री से मिले, या एक स्त्री एक पुरुष से मिले, दोनों ही अवस्था में उँगलियाँ उठ जाती हैं। लोग कहने लगते हैं कि वे विवाहित हैं या नहीं, उनका विवाह कब हुआ किस प्रकार हुआ। इस प्रकार सी० आई० डी० उन विचारों के पीछे लग जाते हैं। यह सम्बन्ध भी कुछ शारीरिक ही होता है। शारीरिक सुख अर्थात् काम वासना की तृप्ति के लिये, या सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही यह सम्बन्ध किया जाता है। जीवात्मा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं।

जीवात्मा शरीर बदलता रहता है

जोवात्मा अपना शरीर बदला करता है। मृत्यु होती है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है यह चक्र अनादि काल से चलता आया है और है भी यह साधारण सी घटना। गीता ने कितना सुन्दर कहा है।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय,
जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥

[गीता अ० २। २२]

जिस प्रकार हम वस्त्र को बदल लेते हैं, उसी तरह शरीर भी है। कोट फट गया उसको लादने से क्या लाभ। अच्छा तो यह है कि हम फटे कोट को उतार कर फेंक दें और दर्जी से कहें कि यह कोट फट गया। इससे हमारा काम अब न चलेगा। दूसरा कोट सीं दो। ईश्वर हम पर ऐसा कृपालु है कि हमारे लिये बराबर नया नया कोट सींता रहता है। यह कोट भी

बड़ा विचित्र है। कभी हम मनुष्य योनि में आते हैं, कभ
पशु योनि में। कभी कुत्ते के रूप में भों भों करते फिरते हैं, कभ
शेर के रूप में अपना शिकार पर पंजा मारते हैं, मस्त हाथी वं
रूप में चिंघाड़ते हैं और कभी कभी इतने विवश होते हैं जैसे
चिड़ीमार के पिंजड़े के तोते, या अन्य पक्षी। हम कभी
हजारों प्राणियों पर शासन करते हैं, कभी छोटा सा बच्चा
चींटे या चींटी के रूप में हमको पकड़ कर मिसल देता है।
यह ईश्वर की लीला है। परन्तु ईश्वर हमको सुखी या दुःखी
नहीं करता। यह हमारे कर्म हैं जो हमको एक योनि से दूसरी
योनि में भेजते हैं।

मृत्यु बन्धन तोड़ देती है

मृत्यु होते ही वैवाहिक बन्धन की इति श्री हो जाती है।
जो प्राणी मरता है वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर
धारण कर लेता है। उसके शरीर को उसके सम्बन्धी चिता
पर रख भस्म कर देते हैं। मृत प्राणी की स्मृति हृदय पटल
पर शेष रह जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री की मृत्यु पर
दूसरा विवाह नहीं करते वे केवल अपनी प्रिया की स्मृति को
सदा कायम रखते हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ अपने मृत पति की

सहारे अपने जीवन को रखती हैं। यह निश्चय है कि उनका सम्मिलन जैसा कि हिन्दू शास्त्र मानते हैं न इस जन्म में ही सम्भव है और न मरने के बाद ही वे एक दूसरे के दर्शन कर सकते हैं।

क्या सम्बन्ध नहीं टूटता ?

संसार में ऐसा देखने में नहीं आता कि कोई स्त्री किसी पुरुष के लिये बनाई गई हो, या कोई पुरुष किसी स्त्री के लिये बनाया गया हो। यदि ऐसा होता तो सुखी पति पत्नियों के लिये इससे बढ़ कर सौभाग्य की क्या बात होती। पति पत्नि जिनमें प्रेम का आधिक्य होता है वे यह नहीं चाहते कि एक क्षण के लिये उनको वियोग सहना पड़े। इस जीवन में ही नहीं उनकी तो यही लालसा रहती है कि मरने के उपरान्त भी यही सम्बन्ध अटल रहे। बड़े से बड़ा त्याग भी वे इसके लिये करने को उद्यत रहते हैं। जितना सुखी परिवार के लिये यह श्रेयस्कर होगा उतना ही दुखी परिवारों के लिये इसका परिणाम उलटा होगा। पति पत्नि में प्रेम नहीं। वे एक दूसरे से भागते हैं। उनका मन कभी मिलता नहीं। एक दूसरे का दर्शन अमंगलप्रद होता है। वे तो यही चाहते हैं कि किसी प्रकार

से यह सम्बन्ध विच्छेद हो। यदि संयोग से यह नियम ईश्वर बना दे कि जिसका विवाह एक बार हो गया उसका सम्बन्ध मृत्यु के उपरान्त भी अटल रहेगा तो ऐसे दम्पत्ति दुखसागर में ही गोते लगाते रहेंगे।

प्रभु ने अपने संसार में यह लीला नहीं रक्खी। यह सम्बन्ध बराबर ही टूटा करता है। कभी कभी तो कलियाँ खिली नहीं कि मुरझाई नहीं। अभागे पुरुष कुछ ऐसे भी होते हैं कि विवाह को देर नहीं हुई कि उनकी प्रेमिका उनको विछोह में छोड़ कर चल बसी। उस बेचारी ने जीवन के आनन्द नदेखे और उस पुरुष से पूछिये कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। इस प्रकार के कितने ही युवक तथा युवतियाँ मिल सकतीं हैं। यह वैवाहिक सम्बन्ध बराबर आरम्भ हो रहा है और बराबर टूट रहा है।

यदि ईश्वर को यह सम्बन्ध तोड़ना न होता तो पति पत्नि का वियोग एक काल में ही होना आवश्यक होता। यदि उनमें से एक का प्रथम शरीरान्त भी हो जाता तो दूसरे को प्रतीक्षा करना चाहिये था। दूसरा आकाश में बैठा हुआ कहा करता—"मैं तुम्हें देख रहा हूँ। घबड़ाओ मत। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" परन्तु इस तरह की प्रतीक्षा

भी कहीं देखने में नहीं आती। स्त्री मरी नहीं, पुरुष का वार खाली नहीं जाता। शायद ही कोई ऐसा अभागा पुरुष होगा जो स्त्री को ढूँढ नहीं निकालता। पर स्त्रियों को वार करने की आज्ञा नहीं। उनके लिये मार्ग रुका है। हृदय में बाण उठते हैं, वे विपक्षी पर सफलीभूत हो सकते हैं, पर उनको तो यही आज्ञा है कि अपने हृदय के बाणों से अपने शरीर को ही वेधे, दूसरे को नहीं।

अनुपम पहेली

कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा होते ही माता का शरीरान्त हो जाता है। या बच्चा पैदा होने के चार या पांच वर्ष बाद माता इस लोक से चली जाती है। बच्चा जिस समय तुतलाता है, या घुटनों दौड़ता है, जिसकी माता कन्या का रूप धारण करके प्रगट होती है और जब बच्चे का पिता या सम्बन्धी अपने पुत्र के लिये कन्या ढूँढने निकलते हैं तो वही कन्या मिलती है। कन्या के शरीर में जो जीवात्मा है वही किसी समय उसकी मा के शरीर में था। यही नहीं कभी कभी पिता महोदय कन्या का अवतार लेकर प्रगट हो जाते हैं और पुत्र महाशय का विवाह उस कन्या के साथ हो

जाता है जिसमें बसा हुआ जीवात्मा किसी समय उसके पिता के शरीर में था। इसी प्रकार कभी कभी पुत्रियाँ तथा बहिनें नया शरीर धारण करके स्त्री बन जाती हैं। यह सब सम्भव है और बराबर संसार में हो रहा है। यह सब यह दर्शा रहा है कि वैवाहिक सम्बन्ध मृत्यु होते ही टूट जाता है।

तीसरा अध्याय

पुरुष और स्त्री जाति की समानता

दोनों समान हैं

पुरुष या स्त्री दोनों समान हैं। दोनों की शारीरिक बनावट में अधिक अन्तर नहीं। दोनों में भय, लोभ, क्रोध, मोह और काम समान रूप से वर्त्तमान है। यदि पुरुष काम वश किसी स्त्री से सम्बन्ध करने के लिये इच्छुक होता है, किसी स्त्री को देखकर आकर्षित हो जाता है तो स्त्री भी काम भाव से किसी पुरुष-सम्बन्ध की इच्छुक होती है। उसको रोकने वाला कोई पुरुष नहीं। पुरुष सदाचारी होते हैं तो उनकी स्त्रियां भी सदाचारिणी होती हैं। पुरुष दुराचारी हुये, उनकी स्त्रियां भी अनुचित सम्बन्ध रखती हैं। बात यह है कि कामदेव को वे जीत नहीं सकतीं। स्त्रियों के हृदय होता है। यदि उनकी इच्छित वस्तु नहीं मिलती तो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचती है। यदि उनपर बंधन डाले जाते हैं तो वे उनसे प्रसन्न नहीं होतीं। बात क्या

है ? बात यही है कि दोनों के शरीर में समान रूप वाला जीव विद्यमान हैं, समान रूप से ख़ून नसों में बह रहा है।

भेदक भित्ति किसने स्थापित की

पुरुष और स्त्री में एक बड़ी भित्ति या खाई बनी हुई प्रतीत होती है। यह किसने बनाई ? मनुष्य समाज ने। प्रभुत्व सर्व-प्रिय वस्तु है और इस प्रभुत्व की प्राप्ति में आचार अनाचार, उचित अनुचित का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसी प्रभुत्व की मादकता में भाई ने भाई को बन्दी बनाया। स्वयं राजसिंहासन पर जा विराजा और अपने भाई को या तो जेल की कड़ी यातनायें दीं या मर्म स्पर्शी पींडायें। उसको धर्म का शत्रु बताया, अधर्म का पुतला बना दिया और उसका सिर धड़ से जुदा कराया। छोटे भाई ने बड़े भाई से गद्दी छीन ली। क्यों ? केवल इसलिये कि न्याय से उसको गद्दी न मिलनी चाहिये थी और जब छोटा भाई राजा बन बैठा तो राज मंत्रियों ने बड़े भाई का वध किया-बिना यह सोचे हुये कि उसका ही अधिकार गद्दी पर बैठने को था।

पुरुष ने अपने भाई के साथ छल किया। यही नहीं दासता की प्रथा इसी मनुष्य जाति पर बहुत दिनों तक कलंक स्वरूप

रही। धनवानों ने गरीबों को घर के बर्त्तनों की तरह बाजार में मोल लिया। उनसे शक्ति से अधिक काम लिया। क्रूरतायें की, मारा, पीटा क्योंकि किसमें इतनी शक्ति थी कि उनको ऐसा करने से रोकते। जब उन्होंने कोई वस्तु धन देकर बाजार में खरीदी है तो उनका अधिकार है कि जिस तरह चाहे उसका उपयोग या दुरुपयोग करें। इस दासता का इतिहास बना हुआ है और यदि उन कहानियों को पढ़ा जाय तो एक रोमांच शरीर में हो जाता है। यह सब क्यों हुआ ? स्वार्थ के लिये।

भगवान सबल के होते हैं दुर्बल के नहीं। यही कारण है कि पुरुष ने स्त्रियों पर भी अत्याचार किया। रोम राज्य में स्त्री की तुलना घर के अन्य सामान से की जाती थी। जिस प्रकार घर के घड़े मटके होते हैं कि जब चाहा तब रक्खा जब चाहा तो फोड़ कर दूर कर दिया, यही बात स्त्रियों के सम्बन्ध में भी थी। राजा जब किसी देश को जीतने जाते थे तब जहां वे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करते थे, उसके धन को अपहरण करते थे वहाँ उनकी स्त्रियों को अपने अधिकार में कर लेते थे। बड़े बड़े रनिवास उनके पास आ जाते थे।

यह सब अत्याचार किस लिये हुये केवल स्वार्थ के लिये। स्वार्थ ने ही एक भेदक भित्ति खड़ी कर दी। जिस प्रकार एक

देश की सेना अपने शत्रु की सेना के प्रत्येक व्यक्ति को शत्रुता की दृष्टि से देखती है और उसको पद दलित करने का यत्न करती है, ठीक इसी प्रकार से यह पुरुषों की बड़ी सेना स्त्री जाति को कभी उभरने देना नहीं चाहती। वह समझती है कि यदि ऐसा हो गया तो उनका अनिष्ट ही होगा।

क्या स्त्रियां अबला हैं?

पुरुष समाज तथा स्त्री समाज में (भारतवर्ष में इस विचार की अधिकता है) यह विचार अच्छी प्रकार भर दिया गया है कि स्त्रियाँ अबला हैं, शक्ति हीन हैं, पति पराधीन हैं। यह विचार स्त्रियों की नसनस में प्रवाहित हो रहा है। वे समझती हैं कि यदि पति उनके सिर पर कृपा का हाथ न रक्खें तो वे संसार में कहीं की न रहेंगी। यदि वे धन उपार्जन करके न लावें तो वे भूखी मर जायगी, यदि वे वस्त्र न दें तो जाड़े में ठिठुरना पड़ेगा। यदि पुरुष न हों तो उनकी रक्षा कौन करेगा। सुन्दरी स्त्री की को यही धारणा होती है कि सुन्दर वस्त्र तथा अभूषण जो उसके शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं उसके लिये वह अपने पति पर अवलम्बित है। पति का कर्त्तव्य है, उनका पालन करना। पर ऐसे विचार जो स्त्रियों में भरे हुये हैं मृत्यु के चिह्न हैं

और जो जातियां इस प्रकार के विचारों का पोषण कर रही हैं वे पतन की ओर दौड़ी जाती हैं। स्त्री पति की सहधर्मिणी है, उसके कार्यों में सहायक है, उसकी मित्र है। यह भाव थे वैदिक काल के। परन्तु धीरे धीरे उनका पतन आरम्भ हो गया।

किसी अमेरिकन महिला से पूछिये कि क्या आप अबला हैं? संभव है कि वह आपके मुंह पर चांटा मार दे। वह समझती है कि आपने उसका निरादर किया। यूरोप में भी यही जागृति आरम्भ हो गई है। स्त्रियां यह नहीं सुनना चाहतीं कि वे अबला हैं। अबला शब्द उनके लिये अपमान सूचक है। वे चाहती हैं कि ऐसे भाव मस्तिष्क से जितने शीघ्र हो सकें निकाल दिये जायें। वे केवल लेखों, व्याख्यानों, या जलूसों से इन भावों का प्रदर्शन नहीं करतीं प्रत्युत उन्होंने अपने कर्त्तव्यों से इस यज्ञ की पूर्ति करनी चाही है। उन्होंने घोषणा करदी कि कोई भी ऐसा कार्य्य नहीं जो स्त्रियां न कर सकती हों। दूकानों पर देखिये स्त्रियां बेच रही हैं, दफ़्तरों में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ बैठ कर उन्हीं के बराबर काम कर रही हैं, यही नहीं घोड़े की सवारी, हवाई जहाज़ पर लम्बी यात्रायें, समुद्री जहाजों का खेना, युद्ध विद्या में कुशलता, कहने का तात्पर्य यह कि कोई

ऐसा कार्य्य नहीं है जो पुरुष करते थे उन्होंने न करके दिखाया हो। देश के बड़े बड़े आन्दोलनों में स्त्री समाज बड़ा भाग ले रहा है। यह दृश्य है उन देशों का जो उन्नति के मार्ग पर हैं।

अबला बनाने के रहस्य

स्त्रियों के अबला बनाने में भी रहस्य हैं। ब्राह्मणों से पूछिये कि वे सर्व श्रेष्ठ पूज्य देवता बन गये, अन्यों को अपने से निकृष्ट कहा और अछूतों को तो सर्वथा त्याज्य ही बताया इसमें क्या रहस्य है। वे स्वयं इस रहस्य को प्रगट करना न चाहें परन्तु इसमें भी स्वार्थ की गन्ध भरी हुई है। बिना स्वार्थ के वे सर्वोत्तम न बनते। यदि कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी से लाभ उठाना चाहता है तो उस पर आधिपत्य जमाता है। उसके हृदय में यह भावना उत्पन्न करता है कि हम बड़े हैं, और बिना हमारी सहायता के तुम्हारा काम न चलेगा। पाठकों ने देखा होगा कि तीर्थ स्थानों पर पंडे क्या व्यवहार करते हैं। बड़े बड़े लखपती जजमान जब पिंडा देने के लिये पहुँचते हैं तो पंडों के दिमाग़ आसमान पर चढ़ जाते हैं। कोई गाय के लिये झगड़ता है, तो कोई मोटर के लिये। वे रूठ कर बैठ जाते हैं। जजमान

उनके हाथ जोड़ते हैं, पैरों पड़ते हैं, खुशामद करते हैं। यह सब खुशामद क्यों? क्योंकि इन पंडों ने अपने जजमानों को सिखा दिया है कि यदि कोई उनके पूर्वजों को तार सकता है तो ये ही। इसी विचार से प्रेरित होकर ही पंडों का सम्मान होता है, नहीं तो बहुत से जिनके पास विद्या का आभूषण नहीं, जो स्वयं ही फक्कड़ हैं टके टके को न पूछे जाते।

यही बात स्त्रियों के सम्बन्ध में भी ठीक ठीक घटती है। लोगों ने स्त्रियों को समझा दिया कि संसार में पति के बराबर कोई देवता नहीं है, पति ही तुम्हारा ईश्वर है, उसी की पूजा करो, उसी की सेवा से तुमको स्वर्ग मिलेगा और उसी की कृपा से तुम तर जाओगी। यही कारण है कि स्त्रियां अपने इस लोक तथा उस लोक की चिन्ता से पति की सेवा में संलग्न रहती हैं और कुछ दशाओं में तो अपने क्रूर, अत्याचारी, व्यभिचारी, दरिद्र, अपढ़ पति की बड़ी श्रद्धा से सेवा करती हैं।

पुरुषों को यह भय था कि यदि इस प्रकार के भाव उन स्त्रियों में उत्पन्न न कर दिये जायंगे तो स्त्रियां स्वतन्त्र हो जावेगीं। और स्वतंत्र होने के कारण उनके पति के योग्य न रह जावेगी। स्त्री भोग की सामग्री समझी जाने के कारण बड़ी

जकड़ कर रक्खी गई जिस प्रकार रुपया पैसा लोहे के सन्दूकों में रक्खा जाता है।

परन्तु स्त्रियों में जागृति के लक्षण आ गये। स्त्रियां स्वयं खड़ी होकर अपने अधिकारों को मांगने लगीं। कुछ न्यायी पुरुषों ने इस जागृति को फैलाने में यत्न किया। कुछ दयावान लोगों ने समझा कि अब स्त्रियों का साथ देना चाहिये नहीं हम कहीं के न रहेंगे। इस प्रवृत्ति से वे भी इस उन्नति में भाग ले रहे हैं।

स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न नियम

क्या स्त्री और पुरुष के लिये विवाह सम्बन्धी नियम भिन्न भिन्न होने चाहिये। अभी तक पुरुषों ने अपने लिये कुछ विशेष स्वतन्त्रता रक्खी हुई है। वे अनगिनत स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रख सकते हैं। हिन्दुओं ने अपने लिये बड़े ही स्वार्थ के नियम बनाये हैं। ईसाइयों में एक पुरुष एक समय में केवल एक स्त्री से धार्मिक सम्बन्ध रख सकता है। यदि उसकी स्त्री के साथ अनबन हो या स्त्री उसके साथ न रहना चाहे तो जब तक राज-नियम के अनुसार वह तलाक न दे दे दूसरा विवाह नहीं कर सकता। यह उसके उच्च आदर्श द्योतक है, क्योंकि एक म्यान

में कई तलवार नहीं रह सकती। हृदय में केवल एक के प्रति ही प्रेम रक्खा जा सकता है अन्यों के प्रति नहीं।

मुसलमानों ने अपने लिये कुछ अधिक स्वतन्त्रता दी है। एक पुरुष एक समय में ४ स्त्रियों से विवाह कर सकता है।

परन्तु हिन्दू धर्म जैसा कुछ काल से प्रचलित है उसमें एक पुरुष सहस्रों स्त्रियों से विवाह कर सकता है। उसको किसी प्रकार की रुकावट नहीं। वह प्रतिवर्ष, प्रति मास, प्रति दिन एक नई स्त्री के साथ विवाह करे। धर्म उसको इसकी आज्ञा देता है। समाज उसको निन्दा की दृष्टि से न देखेगा। लोग उस पर उंगली नहीं उठा सकते कि उसने कई विवाह जीवित पत्नियों के रहते हुये कर लिये। लोग उंगली उठावे ही क्यों? उसने कोई अनुचित कार्य तो किया नहीं। हिन्दू धर्म में विवाह एक धार्मिक कृत्य है और धर्म ने जिस बात की आज्ञा दी है वही उसने किया है। हिन्दू जाति के परम हितैषी राजा राम मोहनराय लिखते हैं :—

"Some of them marry thirty or forty women, either for the sake of money got with them at marriage or to gratify brutal inclinations."

"उनमें से कुछ (बंगाल के ब्राह्मण) धन के लोभ से या अपनी पाशविक वृत्तियों को सन्तुष्ट करने के लिये तीस तीस चालीस चालीस विवाह कर लेते हैं।"

मुसलमान तथा ईसाई धर्म में एक बात और पाई जाती है। स्त्री पुरुष का विवाह धार्मिक रीति से विच्छेद हो सकता है। यदि पुरुष स्त्री से प्रेम नहीं करता, या स्त्री किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती है तो दोनों सम्बन्ध विच्छेद कराने पर वैसे हो जाते हैं जैसे विवाह के पूर्व थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही स्वतन्त्र हैं कि जिसके साथ चाहें अपना सम्बन्ध करें। परन्तु हिन्दू धर्म में ऐसा नहीं। एक पुरुष जब एक स्त्री के साथ सम्बन्ध कर लेता है तो संसार की कोई शक्ति नहीं कि इस सम्बन्ध को तोड़ सके जब तक कि उनकी मृत्यु न हो जाय। यह बुरा नहीं। बात बात में एक स्त्री को छोड़ कर दूसरी से सम्बन्ध कर लेना न बुद्धि परक ही है और न शिष्ट ही। परन्तु हिन्दू धर्म में एक पुरुष यदि वह अपनी पत्नि से प्रेम नहीं करता तो उसको स्वतन्त्रता है कि नियम पूर्वक दूसरी से अपना सम्बन्ध कर लें, दूसरी ही क्यों अनगिनत विवाह कर सकता है, पर स्त्री विवश है। यदि उसका पति उससे प्रेम करता है, किसी दूसरी स्त्री से सम्बन्ध नहीं रखता तो अपने भाग्य की सराहना करे। परंतु

यदि दुर्भाग्यवश उसका पति अन्य स्त्री से भोग करता है उससे बात नहीं करता, उसके खाने और वस्त्र के लिये प्रबन्ध नहीं करता तो वह रो-रोकर अपना जीवन काटा करे। इसको कहते हैं अन्याय, अन्याय और सोलहो आना अन्याय।

क्या स्त्री के हृदय नहीं होता ?

अंडे खाने वाले दलील करते हैं कि अंडों के खाने में जीव-हिंसा नहीं होती। क्योंकि उनकी जिह्वा के लिये स्वाद मिलता है। ऐसे ही कुछ पुरुष यह समझते हैं कि स्त्रियों के हृदय नहीं होता। यह भाव केवल इसलिये फैल गये हैं क्योंकि स्त्री एक भोग की सामग्री मात्र समझी गई है। परन्तु क्या यह सत्य है कि स्त्रियाँ हृदय हीन होती हैं। कवियों, चित्रकारों ने तो स्त्रियों को सहृदया बताया है। यह भी सिद्ध है कि स्त्रियों का हृदय इतना कोमल होता कि ज़रा सी देर में पसीज जाता है। ख़ून देखा नहीं कि उनको मूर्छा आई नहीं। पुरुष हृदयहीन अवश्य कहे जाते हैं। कम से कम उनका हृदय कठोर होता ही है। भीषण से भीषण यन्त्रणायें देते हुये भी उनके हृदय से उफ़ नहीं निकलती।

यदि स्त्रियां हृदयहीन नहीं होती तो उनकी इच्छाओं, उमङ्गों

का ध्यान रखना आवश्यक हो जायगा। यदि ऐसा न क
उनके शरीरों को आघात पहुँचेगा। शरीर को कोई रोग
नहीं हिलाता जितनी कि आत्मिक चिन्ता।

यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को किसी अन्य पुरुष
करते देख लेता है तो आग बबूला हो जाता है। बात
तो दूर रहा यदि कोई झूठ-मूठ कह जाता है कि तुम्हारी
का आचार अच्छा नहीं तो उस पुरुष के हृदय में कितन
पहुँचती है। वह ज़मीन आसमान एक कर देता है। कभ
देखा है कि स्त्रियाँ विष देकर या मार-पीट कर इस सं
बिदा कर दी गई। यह सब क्यों? क्योंकि संसार में
सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी स्त्री को अन्य पु
सम्बन्ध करते हुये नहीं देख सकता। यह स्वाभाविक है और
भी चाहिये। पर वह पुरुष जब किसी अन्य स्त्री से स
रखता है, उस स्त्री को घर में डाल लेता है और अपनी
हिता स्त्री के सामने ही व्यभिचार करता है। यहीं तक
अपनी विवाहिता स्त्री को आज्ञा देता है कि रखैली स्त्री क
करे तब क्या उसके हृदय में कोई भावनायें नहीं उठेंगी। व
सोचने का कष्ट नहीं उठाता कि जिस प्रकार किसी
पुरुष को अपनी स्त्री के साथ देख कर वह आग बबू

सधवायें अपने घर में सुखोपभोग करती हैं।
विधवायें साधु सन्यासियों को पवित्र करती फिरती हैं।

जाता है, उसी प्रकार उसकी स्त्री के हृदय को कितनी ठेस पहुँ-चेगी जब वह अपने पति को किसी अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करते देखेगी।

यह है न्याय-प्रिय पुरुषों के न्याय का नमूना।

क्या स्त्रियों में कामवासना नहीं होती?

विधवाओं के विवाह करने की कोई आवश्यकता न होती यदि स्त्रियों में काम वासना न होती। यदि स्त्रियाँ केवल भोग की सामग्री होतीं तो उनको काम वासना न सताती और न कामुक कृत्य ही आनन्द-प्रिय होते। रुपया, धन दौलत, बड़े बड़े मकान, शानदार कमरे, झाड़ फानूस, रेशमी वस्त्र भोग की सामग्री हैं। ये वस्तुयें मनुष्य के हृदय को प्रसन्न करती हैं। जिस दिन पुरुष नया कोट पहनता है उस दिन उसमें कुछ अकड़ तो अवश्य ही आ जाती है। परन्तु इन भोग की सामग्रियों को सुख का भान भी नहीं होता। उनको चाहे एक सन्यासी के कंधों पर डाल दीजिये या एक व्यभिचारी के कंधों पर। उसकी अवस्था समान है।

परन्तु स्त्रियों की अवस्था कुछ भिन्न है। इसका अनुभव कन्या के माता पिता करते हैं। यदि कन्याओं में यह वासना

न होती तो कन्या के पिता को कोई चिन्ता न होती। जब किसी वर को आवश्यकता पड़ती वह कन्या को ले जाता। परन्तु हम इसके विपरीत ही पाते हैं। हिन्दुओं में तो यह प्रथा थी कि रजस्वला हुई नहीं उसका विवाह कर देना चाहिये। ब्राह्मणों ने तो यह धर्म सूत्र बना दिया।

"अष्ट वर्षा भवेद् गौरी नववर्षा च रोहिणी"

आठ वर्ष के पूर्व ही उनको चिन्ता हो गई कि विवाह कर दिया जाय। कन्या के माता पिता बड़े परेशान रहते हैं कि विवाह अभी तय नहीं हुआ। विवाह हो जावे तो चिन्ता मिटे। बूढ़ी स्त्रियों को लोगों ने देखा होगा कि लड़की सयानी नहीं हुई कि उस पर बड़ी कड़ी निगरानी करने लगती हैं। कुछ घरों में जहाँ लड़की चौथे पांचवें या मिडिल तक पहुँची नहीं कि माता या दादी ने उसकी पढ़ाई समाप्त कर दी। यह क्यों? सयानी लड़की का बाहर जाना ठीक नहीं। कहीं यह अनिष्ट न कर बैठे जिससे कुल में दाग लगे।

यह सब व्यवस्था इस बात की द्योतक है कि स्त्री में काम वासना विद्यमान है।

स्त्री में पुरुष की अपेक्षा एक और विशेषता पाई जाती है। यह है रजोधर्म की। रजोधर्म प्रायः २८ दिन के अन्तर से हुआ

करता है। इस रजोधर्म के कारण स्त्रियों में एक प्रकार की वासना जाग्रत हो जाती है। इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान् डाक्टरों ने वासना का एक चार्ट बनाया है। यह चार्ट डा० मार्शल (Dr. Marshall), डा० हैवलाक (Dr. Havelock) ने अपनी पुस्तकों में दिया है। इसके पढ़ने से पता चलता है कि रजोधर्म होने के पूर्व वासना की जागृति स्त्री में हो जाती है। रजोधर्म होने के उपरान्त यह शान्त हो जाती है और चांद के १६ वें दिन पुनः जागृत होने लगती है। चाँद के १८, १९, २० वें दिन यह वासना बड़ी तीव्र रहती है। इसके उपरान्त यह फिर शान्त हो जाती है। रजोधर्म के आरम्भ होने के पूर्व यह वासना पुनः जागृत हो जाती है।

डा० मेरी स्टोप्स (Dr. Marie Stopes) अपनी पुस्तक "Married Love" के पृष्ठ ४२ पर लिखतीं हैं :—

" The tops of the wave-crests come with remarkable regularity, so that there are two wave crests in each twenty-eight-day month. Then one comes on the two or three days just before menstruation, the other after; but after menstruation has ceased there is a nearly level interval, bringing the next wave crest to the two or three days which

come about eight or nine days after the close of menstruation—that is, just round the fourteen days, or half the moon-month, since the last wave-crest. If this is put in its simplest way, one may say that there are fortnightly periods of desire, arranged so that one period comes always just before each menstrual flow."

अर्थात् २८ दिन के भीतर दो वार नियमानुसार काम-वासना हुआ करती है। एक रजो-धर्म के ठीक पहले, और दूसरी रजो-धर्म के उपरान्त, परन्तु रजो-धर्म के बन्द होने पर ८, ९ दिन शान्त रहती है फिर जागृत हो जाती है। इस प्रकार स्त्री में १५ दिन के उपरान्त काम वासनायें जागृत हुआ करती हैं।

क्या विधवा के रजोधर्म बन्द हो जाता है ?

इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यदि विधवा होते ही ईश्वर रजोधर्म भी बन्द कर देता तब तो विधवा के ऊपर बड़ी कृपा होती। परन्तु ऐसा होते हुये दिखाई नहीं देता। विधवा के शरीर में काम-वासना जागृत होती है और पुरुष समाज उसको आज्ञा देता है कि इन वासनाओं को उठने

न दो, शान्त करो। अपने दिल पर अधिकार रक्खो। कैसा अत्याचार है।

विधवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा !!

विधवायें जिन्होंने अपने पति का मुख नहीं देखा, या मुख देख कर विधवा हो गई, जिनके शरीर में यौवन छलक रहा है, काम-वासनायें हिलोरें मार रही हैं उनको उपदेश दिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करो। जीवन भर ब्रह्मचारी रहना खेल नहीं। इसके लिये बड़ी बड़ी तैयारियां होनी चाहिये, बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि जिन्होंने आजीवन तप कर जीवन बिताया है वह भी कभी कामिनी को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं, उनका तप भूल जाता है। वह अपने दिल को नहीं सँभाल सकते ऐसी अवस्था में विचारी विधवाओं से आशा रक्खी जाती है कि वे ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करेंगी। यह विचारी विधवायें भी किस आचार की होती हैं, उनको बचपन में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। बचपन में गुडियों के खेल उनको खिलाये जाते हैं, वे गुडियों का विवाह करती हैं। उस अवस्था में वे नहीं समझतीं कि विवाह क्या है, वैवाहिक सम्बन्ध क्या है ? परन्तु इन खेलों के संस्कार उनके हृदय पर बन जाते हैं।

भारतीय मातायें गन्दे गाने उनके सामने गाती हैं फिर जब ज़रा सी सयानी होने लगती हैं तो पति सम्बन्ध की बातें बताई जाती हैं। यह सदाचार की शिक्षा है जो बचपन में इन बिचारी विधवाओं को दी जाती है।

इस प्रकार शिक्षित होकर वे सदा आशा लगाये रहती हैं कि उनको पति मिलेगा और वे आनन्द का जीवन व्यतीत करेंगी। अभाग्यवश जब पति मिलता भी है तो वह उनको विधवा बना कर चला जाता है। कैसी भयंकर स्थिति विचारियों की हो जाती है।

विधवायें घर की चार दीवारी में रक्खी जाती हैं। उनकी आंखों के सामने उनके भाइयों के विवाह होते हैं, उनकी भौजाई सज-धज कर आती हैं। रेशम की साड़ियाँ, तरह तरह के आभूषण, टाइलट (Toilet) के नये-नये सामान, तेल, इत्र फुलेल, मालायें, बालों का गूंधना, माथे पर रोरी, माँगों में लाली, चाल-ढाल, हाव-भाव क्या-क्या गिनाया जावे। यह सब उन बिचारी की आंखों के सामने घूमता है। भावज अपने कमरों में सजावट करती है। घुल-घुल के बातें करती हैं, रङ्ग-राग करती हैं। और जब कमरे से निकली तो टेढ़ी आँखें करके अपनी विधवा नन्द से कहती हैं, "अरे, अभी तक रोटी नहीं

बनी"। सजे सजाये भाई आते हैं और शिक्षा दे जाते है "ब्रह्मचर्य का जीवन रख।"

पिता को बड़ी चिन्ता रहती है कि विधवा लड़की कहीं कुल को कलंक न दे। इस चिन्ता में रात दिन परेशान रहते हैं और विधवा लड़की पर बड़ी चौकसी रक्खी जाती है। कहीं यह किसी से बात तो नहीं करती, यह हँसमुख तो नहीं रहती आदि बातें देखी जाती है। परन्तु पिता जी अपना मुख भी तो दर्पण में देखें। चालीस पचास वर्ष की अवस्था है, पर कहीं सौभाग्य से स्त्री मर गई तो चट से १५ वर्ष की यौवना पकड़ लाते हैं। चालीस वर्ष का पिता अपनी वासनाओं को दबा नहीं सकता पर अपनी १८ या २० वर्ष की लड़की से यह आशा रखता है कि वह ब्रह्मचर्य का जीवन बितायेगी। यह है हमारी अक्ल और इतना होने पर हम अपने को कहते हैं **सभ्य और न्यायप्रिय** ।

विधवायें यदि माता पिता के यहाँ नहीं रहीं, तो वे अपनी ससुराल में होती हैं। यहाँ पर भी उनकी कुशल नहीं। फूल पर भौंरें टूटते हैं। कहीं पर देवर अपनी भावज पर मोहित हो जाता है। वह मीठी बातों से, झूठे वायदों से उसको

वासनाओं को जागृत करता है। कष्ट मय घोर नरक में तिनके का सहारा ही बहुत होता है। एक मीठी बात करने वाला मिला। उसकी बात मान ली। देवर भावज का सम्बन्ध होने लगा। जेठ की दृष्टि कभी विधवा पर पड़ी तो वे भी मौका तके रहते हैं। जेठ छिप छिप कर यत्न करता है। सफल भी हो जाता है। बिचारी अबला कब तक अपने को बचाये रक्खे। अपना सा यत्न करती हैं, परन्तु जब घर के अन्दर ही चोर बैठा है तो रक्षा की क्या आशा। जेठ ही नहीं पिता तुल्य ससुर महोदय के हृदय में लहरें तरंग मार रही हैं, वे अपने को सम्भाल नहीं सकते। परसी हुई थाली रक्खी है, फिर भूख क्यों न मालूम हो। वे घर के मालिक ठहरे, घर के सब व्यक्ति उनके इशारे पर चलते हैं। जब उनकी ही आज्ञा हो गई तो वधु क्या करे। कभी कभी तो वह भी समझती हैं कि जब घर का पति ही उनके चंगुल में फँस गया तो घर पर शासन क्यों न करें।

परन्तु यह सुख अधिक दिन चलते नहीं। पाप का घड़ा भर ही जाता है। ऐसा समय आया नहीं, प्यारे देवर अलग खड़े हो जाते हैं, जेठ कहते हैं बड़ी दुष्ट है, ससुर कहते हैं कि बड़ी कुल कलंकिनी है। कुल का सत्यानाश कर दिया।

वही कुल की वधु घर से निकल कर बाज़ार में बैठ जाती है। पर इससे न उनकी नाक ही कटी न उनका मुख ही काला हुआ। हिन्दू समाज ने न जाने इस प्रकार की कितनी विधवाओं को विधर्मियों के हाथ में सौंप दिया और यही विधवायें अब यत्न कर रही हैं कि हिन्दू जाति किसी तरह इस पृथ्वी तल से उठ जावे। यह है न्याय उन प्राणियों का जो वेद और शास्त्र के नाम को कलंकित कर रहे हैं।

विधवा को घर से निकाल कर सन्तुष्ट नहीं होते। जाति में यह बात प्रसिद्ध की जाती है कि विधवा का प्राणान्त हो गया। यदि समाज में यह प्रगट हो जाय कि किसी घर की कोई स्त्री भाग गई तो उस घर पर कलंक लगेगा। उस कुल के रहने वाले जाति से च्युत कर दिये जायँगे। इसलिये मर्यादा रखने के लिये यह आवश्यक होता है कि मृत्यु की घोषणा कर दी जाय। कहीं कहीं तो मृत्यु के अवसर पर होने वाले भोज भी दे दिये जाते हैं।

चौथा अध्याय

विधवायें और विधुर

विधवायें और विधुर की समानता

विधवायें तथा विधुर की अवस्था समान है। पिछले अध्याय में यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि पुरुष और स्त्री के लिये एक ही प्रकार के नियम होने चाहिये, दोनों के अधिकार एक समान हैं। स्त्री के लिये भिन्न नियम और पुरुष के लिये भिन्न इस बात का द्योतक है कि हम स्वार्थ-प्रिय हैं और एक वर्ग के साथ अनधिकार चेष्टा करना चाहते हैं। विधवायें और विधुर दोनों एक ही प्रकार बनते हैं। जिस प्रकार विवाह करने से पति-पत्नि के सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं, इसी प्रकार यदि विवाह के उपरान्त पत्नि और पति किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो विधुर और विधवा बन जाते हैं। जिस प्रकार विधवा होना कोई भाग्य का चिह्न नहीं उसी प्रकार विधुर होना भी अशुभ है। वैवा-

हिक सम्बन्ध प्रेम के ऊपर निर्भर है। पति अपनी पत्नी से से प्रेम करता है। और पत्नि अपने पति से। दोनों को थोड़े समय का विछोह भारी हो जाता है। परन्तु मृत्यु अधिक-काल के लिये विछोह करा देती है। कितनी स्त्रियाँ हैं जो अपने पति के मरने पर ढाँढे मार कर रोती हैं और कितने पुरुष हैं कि अपनी स्त्री की मृत्यु पर बड़े दुःखित होते हैं, कितने तो आजीवन पुनर्विवाह नहीं करते और अपनी स्त्री की स्मृति को जागृत रखते हैं। कितने पुरुष संसार में ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी स्त्री की मृत्यु पर घर-बार तक छोड़ देते हैं। ऐसे पुरुष समाज के लिये आदर्श हैं। जब एक बार वे वैवाहिक ग्रन्थि में बंधते हैं, तो उसको आजीवन निभाने का भी यत्न करते हैं।

वर विवाह के समय प्रतिज्ञा करता है :—

ममेयमस्तु पोष्या मह्यं त्वादाद वृहस्पतिः।
मया पत्या प्रजवति शं जीव शरदः शतम्।

(अथर्व वेद कांड १४)

हे अनघे! (वृहस्पतिः) सब जगत् को पालन करने हारे परमात्मा ने जिस (त्वा) तुमको (मह्यम्) मुझे (अपात्) दिया है (इयम्) यही तू जगत् भर में मेरी (पोष्या) पोषण

करने योग्य पत्नि (अस्तु) हो, हे (प्रजावति) तू (मया, पत्या) मुझ पति के साथ (शतम्) सौ (शरदः) शरद ऋतु अर्थात् शतवर्ष पर्यन्त (शं, जीव) सुख-पूर्वक जीवन धारण कर।

ऐसी स्त्रियां धन्य हैं, जो अपने पति के मरने पर पति की स्मृति में जीवन बिताती हैं और ऐसे पुरुष भी धन्य हैं जो अपनी स्त्री के मर जाने पर दूसरा विवाह नहीं करते। विधवा और विधुर के समान अधिकारों के विषय में पूज्य महात्मा गांधी जी लिखते हैं :—

"जो अधिकार यानी रियाअत विधुर को है, वही विधवा को होनी चाहिये, अन्यथा यह विधवा पर बलात्कार करना है, और बलात्कार हिंसा है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। जो प्रश्न विधवा के लिये किये जाते हैं वे विधुर के लिये उठते ही नहीं हैं। इसका कारण तो यही हो सकता है कि स्त्रियों के लिये पुरुष ने कानून बनाए हैं। यदि कानून बनाने का कार्य स्त्रियों के जिम्मे होता, तो स्त्री कभी अपना अधिकार पुरुष से कम नहीं रखती। जिन मुल्कों में स्त्रियों को कानून बनाने का अधिकार है, वहां स्त्रियों ने भी अपने लिये ऐसे ही आवश्यक कानून बना लिये हैं। अतएव उक्त प्रश्नों का उत्तर यह हुआ

कि पिता का धर्म है कि वह निर्दोष जवान विधवा का पुनर्लग्न करें, जो विधवा पुनर्लग्न करने की इच्छा करे उसके रास्ते में कोई रुकावट न डाली जाय।"

"यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार की व्यवस्था से सब विधवाएँ पुनर्लग्न कर लेंगी, जिन मुल्कों में पुनर्लग्न करने की रियाअत है, वहां भी सब विधवाएँ शादी नहीं करतीं, न सब बिधुर ही शादी करते हैं। जिस वैधव्य का पालन स्वेच्छा से होता है, वह हमेशा सराहनीय है। बलात् पलाया जाने वाला बैधव्य निन्द्य है और वर्णसंकरता-वर्धक है। मैं ऐसी अनेक विधवाओं को जानता हूँ, जो मार्ग में कोई रुकावट न होते हुये भी पुनर्लग्न करना नहीं चाहती।"

विधवायें और विधुर क्यों होते हैं?

विधवायें तथा विधुर होने का उत्तरादायित्व हमारे समाज पर है। हिन्दू समाज वास्तव में इतना गिरा हुआ है कि उसमें विधवाओं का होना कोई आश्चर्य नहीं, विधवाओं का न होना आश्चर्य की बात अवश्य होती है। सृष्टि नियम से चल रही है और नियमों पर न चलने से हानि ही होती है।

परन्तु हमारा समाज नियम पर नहीं चलता और विधाता को दोष देता है कि विधवायें बढ़ती जाती हैं। क्या ईश्वर ने

विधवा बना कर भेजी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन (Darwin) ने लिखा है।

" Man sees with scrupulous care the character and pedigree of his horse, cattle, and dogs, before he matches them ; but when he comes to his own marriage, he rarely, or never, takes such care."

"मनुष्य घोड़े जानवर तथा कुत्तों के सम्बन्ध में बड़ा सावधान रहता है कि कहीं ख़राब नस्ल न पैदा हो, परन्तु अपने वैवाहिक सम्बन्ध में बहुत कम या नहीं के बराबर सावधानी रखता है।"

यह बात कहाँ तक सत्य है इसको अपने हृदय पर हाथ रख कर पूछिये। दूसरे से पूछने की क्या आवश्यकता। हम आँख मूंद कर अपने लड़के लड़कियों के विवाह करा देते हैं और जब अनिष्ट हो जाता है तो विधाता के सिर उसका दोषारोपण करते हैं। यह है हमारी बुद्धि।

विधवायें और बाल-विवाह

विधवाओं की संख्या और बाल-विवाह में बड़ा सम्बन्ध है हम आगे चलकर उन अभागी विधवाओं की संख्या देंगे जो १ वर्ष

से लेकर ५ वर्ष तक की अवस्थाओं में विधवा हो गईं। इस प्रकार होने का क्या कारण है। माता-पिता का स्वार्थ, और मूर्खता। वैवाहिक सम्बन्ध होता है वर-वधु का परन्तु माता-पिता वर-वधु का सम्बन्ध नहीं कराते वे तो अपने सम्बन्ध जोड़ते हैं। आज कल जो लोग शिक्षित समझे जाते हैं उनका भी यही हाल है। जब विवाह का प्रश्न उठता है तो वे यह बात जानने के बड़े उत्सुक रहते हैं कि लड़के और लड़की का परिवार कैसा है। लड़की का पिता इसी बात का इच्छुक रहता है कि बड़े घर में विवाह हो। वर के पिता या वधु के पिता की ओर सब की दृष्टि होती परन्तु वर-वधु की ओर किसी की दृष्टि नहीं होती। वधु के पिता आलीशान मकान नौकर-चाकर देख कर चले आते हैं यह भी देखते हैं कि पिता पुष्ट है, पर वे कभी यह चिन्ता नहीं करते कि लड़का हृष्ट-पुष्ट है या नहीं। कन्या के पिता तो सम्भव है कि लड़के को देख भी आवें, पर वर के पिता कभी लड़की के विषय में कोई जांच नहीं करते। वे केवल धन देखते हैं। लड़की काली है या गोरी, पढ़ी है या गंवार, स्वस्थ्य है या अस्वस्थ्य यह कभी भी देखा नहीं जाता और इसका परिणाम यह होता है कि वे अपने पुत्र के जीवन को नष्ट कर डालते हैं, उसको विधुर बना कर छोड़ते हैं। यदि थोड़ी सी भी सावधानी

उन्होंने रक्खी होती तो ऐसा दुर्भाग्य न होता।

यदि माता पिता स्वार्थी न होते तो बचपन की विधवायें कहां से मिलतीं। दो पुरुष मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यदि हमारे पुत्री होगी और तुम्हारे पुत्र होगा या हमारे पुत्र होगा और तुम्हारे पुत्री होगी तो दोनों का विवाह हो जायगा। यदि संयोग से ऐसा हो गया तो यह युगल जोड़ी बन गई और वर-वधु को गोद में लेकर विवाह की रस्में पूरी कर दी। यह विवाह है या माखौलइस। मज़ाक ने हज़ारों युवक या युवतियों के जीवन को नष्ट कर दिया।

इस सम्बन्ध में हमारे ब्राह्मणों ने भी बड़ी नीचता दिखाई और धर्म का नाम लेकर मनुष्य समाज पर बड़ा अत्याचार किया। संस्कृत में ऐसे ऐसे श्लोक बना दिये जिससे माता पिता शीघ्र ही विवाह करदें। विवाह के समय ब्राह्मणों को दक्षिणा से काम है परन्तु इस दक्षिणा के आसरे कौन सोलह या बीस वर्ष तक बैठा रहे। जितनी जल्दी दक्षिणा मिल सके उतना ही अच्छा है। कैसे मजेदार श्लोक हैं :—

विवाह प्रशस्ताकालमाह सप्तेति

—निर्णय सिंधु ३ परिच्छेद

"विवाह का उत्तम समय सात वर्ष है"

विधवाओं का इंसाफ़

इस पर भी हमारा दावा है कि विधवा ईश्वर बनाता है, न कि हम।

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

उद्वहेदष्ट वर्षामेव धर्मो न हीयते ॥८७॥ अ० ६

—दक्षस्मृति कुल्लूक भट्ट कृत

"आठ वर्ष की अवस्था में कन्या का विवाह करदे, इसमें धर्म की क्षति नहीं होती।"

इन मूर्ख पंडितों से पूछना चाहिये कि तुम्हारे पास धर्म ही कहाँ है जो उसके नाश होने की चिन्ता करते हो। जब तुमने ऐसे अनिष्ट कार्य्य किये तो तुम्हारा धर्म तो नष्ट हो ही गया।

कोई कोई माता पिता या भाई बुद्धिवाले होंगे और उन्होंने इन पंडितों की बात न मानी होगी। उनको डराने के लिये भी इन पंडितों ने तरकीब निकाल ली और ऐसे श्लोक रच दिये जिससे कन्या के सम्बन्धी घबड़ा जावें।

माताचैव पिता चैव ज्येष्ठो भ्रात तथैव च।
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम्॥

—संवर्त स्मृति

"रजस्वला कन्या को देखकर माता, पिता, बड़ा भाई तीनों के तीनों नरक को जाते हैं।"

वाह पंडित महोदय कैसी उत्तम बात कही। यदि उसके

देखने से लोग नरक को चले जाते हैं, तो आप न देखिये नहीं नरक की शरण लेनी पडेगी।

प्राप्ते तु द्वादशे वर्षे यः कन्यां न प्रयच्छति।
मासि मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणितम्॥

—यम स्मृति

"बारह वर्ष की अवस्था तक यदि कन्या का विवाह न हो तो पिता कन्या के रज को पीता है।"

पंडित वर्ग की ओर से यह (प्रचार) Propaganda बाल विवाह के पक्ष में हुआ जिसके कारण हिन्दू नस्ल बराबर कमजोर होती रही। और यदि दशा ऐसी ही रही तो कुछ काल में हिन्दू जाति इस पृथ्वी तल से उठ जाने को है।

विधवा ईश्वर बनाता है न कि बाल विवाह।

कुछ लोग कहते हैं कि विधवा होना या सधवा होना ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ही जिसको चाहता है विधवा बनाता है। परन्तु यह बात ठीक नहीं। ईश्वर ने जहाँ मीठे फलों की रचना की है वहाँ विष युक्त फलों की भी। विष वाले फल खाते जावें और ईश्वर को दोष देते जावें। इसमें कहां तक न्याय है। हम बताते हैं कि बाल विवाह से विधवायें उत्पन्न होती हैं।

विधवायें और विधुर

बचपन की अवस्था बड़ी विकट होती है, और इस आयु में बहुत सी बीमारियां बच्चों को होती। दांत निकलने के समय प्रायः बच्चे बड़े दुखित रहते हैं। फिर शीतला की बीमारी भी प्रतिवर्ष बहुत से बच्चों को उठा ले जाती है। हमारे कुसंस्कारों के कारण बच्चे भी ऐसे कृशित तन होते हैं कि ज़रा सा कारण हो जाने से बीमार हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि इस काल के उपरान्त ही विवाह किया जाता तो बहुत सी कन्यायें विधवा बनने से बच जातीं।

बचपन की अवस्था में विवाह हो जाने से बालक का कामुक जीवन आरम्भ हो जाता है। जो वीर्य इस समय शरीर की पुष्टि में सहायक होता वह भोग में लग जाता है। इसका बालकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। महर्षि सुश्रुत जी लिख गये हैं :—

पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारीतु षोडशे।
समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्॥

"कुशल भिषक् को यह बात जाननी चाहिये कि २५ वर्ष की अवस्था में पुरुष और सोलह वर्ष की अवस्था में स्त्री पूर्ण बल वीर्य वाले होते हैं।"

विधवाओं का इंसाफ़

❖❖❖

माता पिता बाल अवस्था में विवाह करके कैसा अन्याय करते हैं। यह समय है कि वे अपने शरीर की पुष्टि करें और विद्या का अध्ययन करें। परन्तु इसी समय में उनका विवाह कर दिया जाता है। कितने बालक हैं जो पढ़ाई का बोझ और वैवाहिक सम्बन्ध एक साथ नहीं निभा सकते। इसका प्रभाव यही पड़ता है कि उनका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है वीर्य अभी शरीर में बनने न पाया था कि वह निकलने लगा। कितने बालक युवावस्था आने के पूर्व ही इस पृथ्वी से उठ जाते हैं। फूल खिलने नहीं पाया कि तुषार ने उसको मसल दिया। हमारा समाज बालकों को खाई में ढकेल रहा है, हमें यह बड़ा आश्चर्य है कि इतनी कम विधवायें कैसे हुई, इनकी संख्या तो अधिक होनी चाहिये थी।

वृद्ध विवाह और विधवायें

उम्र ढल चुकी है; दाँत, आँख, कान जवाब दे चुके हैं पर कामिनी का ध्यान नहीं छूटता। प्राचीन काल, वेद शास्त्रों की दुहाई सब देते है, पर उस समय वानप्रस्थ की प्रथा थी। वृद्ध हुये कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। परन्तु अब उनका वानप्रस्थ यही है कि एक नई यौवना स्त्री को

चिता में लेटने की तैयारी करने वाले विचारी नवयौवना के जीवन को दुःखी बनाते हैं ।

ले आये। वृद्ध पुरुप के बड़े बड़े लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, नाती हैं और पोते हैं पर अब भी मन न भर पाया। पुत्रों का विवाह हो पाये या न हो पाये पर अपना विवाह अवश्य होना चाहिये। घर में विधवा लड़की बैठी हो, उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश अवश्य ही दिया जायगा, पर अपने को भोग का उपदेश। यह है मनुष्य समाज का न्याय। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् डा० फाउलर ने लिखा है कि स्त्रियाँ पुरुपों में चाहती हैं पुरुपत्व, स्वरूप सुन्दर, गठीला बदन। परन्तु वृद्धों ने वीर्य का नाश कर दिया है, उनके शरीर की सुन्दरता नष्ट हो गई है। खाल सिकुड़ी हुई है। चेहरे पर न तेज है और न माधुर्य। वृद्ध से विवाह करने के लिये पतित समाज क्यों तय्यार हो जाता है। वृद्ध अपना विवाह करना चाहते हैं तो उनको रुपया मिलता नहीं, उल्टा देना पड़ता है। कन्या के माता पिता वर से रुपया ऐंठ लेते हैं, कोई कोई लड़की के साथ वृद्ध के यहाँ जम जाते हैं और भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। यदि कोई कहता है कि "वर की आयु क्या है?" तो वे कहते हैं "आयु तो कुछ अधिक अवश्य है, पर है रुपया वाला आदमी। लल्ली बड़े सुख से रहेगी।" स्त्रियाँ यदि कन्या की माता से आलोचना करती हैं

कि वर की अवस्था अधिक है तो यह उत्तर देती है। "अवस्था से क्या करना है ? ईश्वर जितने दिन सुहाग रक्खेगा, वह तो टल नहीं सकता। कन्या के भाग से पति अधिक दिन न जीयेगा।" यह है समाधान करने की रीति। पाप भी करते हैं और उसके लिये युक्तियाँ भी निकाल लेते हैं। हमारा क्रूर समाज इन मरने वालों को अपनी लड़कियाँ सौंप कर विधवा बना रहा है। वृद्धावस्था में शरीर वैसे ही कृशित, वीर्यहीन हो जाता है फिर जब एक यौवन पूर्ण कामिनी मिली, तो पतन शीघ्र ही आरम्भ हो जाता है और पुरुष शीघ्र ही कफन में लिपट जाता है। जितनी स्त्रियाँ वृद्धों को विवाही जाती हैं वे ९५ प्रतिशत पति के जीवन में ही अन्य से प्रेम करती हैं, पर जब पतिदेव विदा हो जाते हैं तो खुले रूप से व्यभिचार करती हैं। उनमें से न जाने कितनी वैश्या बन कर कुकर्म करती हैं। वे हिन्दू समाज को अपने हृदय से कोसती हैं, और उनका विचार है कि जो कुकर्म वे कर रही हैं उसका पाप उनको न लग कर उस हिन्दू समाज को और उन माता पिता को लगेगा जिन्होंने उनकी दुर्गति की है। और यह है भी उचित ही।

विधुर विधवा नहीं ढूँढ़ते

एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरी तय्यार है। यदि पतिदेव कुछ दुःखी होते हैं तो मातायें कहती हैं "दुखी न हो, एक चली गई हम तुम्हारे सैकड़ों विवाह कर देंगे।" जिस प्रकार एक कोट फटा तो माता पिता चट से दूसरा कोट बनवा देते हैं, इसी प्रकार एक स्त्री मरो नहीं दूसरी हाज़िर है। पर एक पति मरा तो कन्या के लिये द्वार वन्द। न माता पिता ही कुछ करते हैं, न सास ससुर ही। कन्या के विषय में समाज के मुँह पर ताला लग जाता है। कन्या के लिये नियम भिन्न भिन्न हैं। कन्या अपवित्र है पर वर पवित्र। पवित्र वस्तु उनके विचार में कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकती।

एक विधवा विवाह नहीं कर सकती, पर एक विधुर विवाह कर सकता है? इस पर विचार करना चाहिये। विधवा ने पति का संयोग किया है, वह अपने पति के साथ रही है, पति को उसने अपने हृदय में स्थान दिया है। व्यभिचार के अर्थ होते हैं कि नियुक्त पति के अतिरिक्त किसी दूसरे से सम्बन्ध हो। पति के साथ संसर्ग समाज में बुरा नहीं समझा जाता। परन्तु वही स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ संसर्ग करती है तो व्यभिचार समझा जाता है। जिस प्रकार

एक पति के साथ रहने से स्त्री दूषित हो जाती है इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के संसर्ग से दूषित हो जाते हैं। विवाह से जिस प्रकार पुरुष का ब्रह्मचर्य खण्डित हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री का भी। दोनों ही समान हैं।

जब दोनों समान हैं तो यह भी आवश्यक है कि समान रूप के वैवाहिक सम्बन्ध भी होने चाहिये। जब विधुर विवाह का प्रयत्न करें तो विधवा को ही वरें। बिचारी विधवा ने भी वही आपत्ति के दिन देखे हैं। दो आपत्ति में ग्रसित पुरुष इकट्ठा हो जाते हैं, यह संसार का नियम है। जब डाकू गाँव में डांका डालते हैं तो गाँव के सभी लोग मिल जाते हैं और आपस का वैमनस्य भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार विधवा और विधुर दोनों के हृदयों में एक ही अग्नि जल रही है। विधुर शक्तिशाली है उनको यह प्रण करना चाहिये कि यदि वे पुनः वैवाहिक बन्धन में पड़ेंगे तो एक अबला का उद्धार करेंगे जिसको समाज कुचल रहा है। इसी प्रकार इस कलङ्क को वे दूर कर सकेंगे।

पाँचवाँ अध्याय

विधवा विवाह का आरम्भ

इस आन्दोलन के जन्मदाता

विधवाओं के परम हितैषी श्री पं० ईश्वर चन्द्र जी विद्यासागर इस आन्दोलन के जन्मदाता थे। इन महात्मा का जन्म सन् १८२० ई० को मेदिनीपुर जिले के एक ग्राम में आश्विन मास में हुआ था। आपके पिता श्री ठाकुरदास जी तथा माता भगवती देवी साधारण मनुष्य थे। उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी, पर उनको ऐसे पुत्र रत्न का सौभाग्य मिला जिसने न केवल उनके ही नाम को प्रत्युत हिन्दू समाज को गौरवान्वित कर दिया। १९ वर्ष की अवस्था में ईश्वरचन्द्र संस्कृत के विद्वान् हो गये थे और वेदान्त श्रेणी में पढ़ते थे। आपकी अद्वितीय प्रतिभा से आपके गुरु वर्ग भी आपसे बड़ा प्रेम प्रदर्शित करते थे।

विधवा विवाह के सम्बन्ध में एक बड़ी घटना हुई, जिसने विद्यासागर का ध्यान विधवाओं की ओर आकर्षित किया।

विधवाओं का इंसाफ़

वेदान्त के अध्यापक श्री शम्भुचन्द्र वाचस्पति थे। वे वृद्ध थे, उनकी स्त्री का देहान्त हो चुका था और पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर उनकी सेवा के लिये उनके घर जाया करते थे। एक दिन वाचस्पति ने सोचा कि पुनः विवाह करें। इस विषय में उन्होंने अपने योग्य शिष्य से सलाह ली। पं० ईश्वर चन्द्र जी ने कह दिया कि इस आयु में आप अपना विवाह करके किसी अबला का जीवन नष्ट न करें। अनेक समझाने पर भी योग्य शिष्य ने विवाह की स्वीकृति नहीं दी और कहा—"इस बुढ़ापे में फिर विवाह करना हरगिज़ उचित नहीं है। अब आपके अधिक जीने की सम्भावना नहीं है। विवाह करके क्या आप एक निरपराध बालिका को सदा के लिये दुखिया बनाना चाहते हैं। ब्याह कैसा, विवाह के लिये विचार करना भी आपके लिये महापाप है।" वाचस्पति जी विवाह करने पर तुले हुये थे और उन्होंने एक गरीब बालिका से विवाह कर लिया।

इस घटना से पंडित जी को बड़ा क्षोभ पहुँचा। उन्होंने अपने गुरु के यहाँ जाना बन्द कर दिया। एक दिन गुरुवर ने स्वयं कहा—"तुम अपनी नई माता को देखने नहीं गये।" बड़ी कठिनता से वह विद्यासागर को घर ले गये। घर जाकर

उन्होंने अपनी गुरु माता को प्रणाम किया। उस बालिका की छोटी आयु देख कर विद्यासागर के हृदय में आग लग गई, उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे। गुरु ने चाहा कि विद्यासागर कुछ जल पान करें पर विद्यासागर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—"मैं इस घर में जल पान नहीं कर सकता।"

जो होना था वह शीघ्र ही हुआ। वाचस्पति जी विवाह के कुछ दिनों बाद मृत्युगामी हुये और गरीब बालिका विधवा हो गई। इस घटना का ईश्वरचन्द्र जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि शास्त्रों की छान बीन करके उन्होंने एक पुस्तक बनाई। सब से पहले उन्होंने यह पुस्तक अपने माता पिता को सुनाई। उन दोनों ने ही स्वीकृति दे दी।

"विधवा विवाह" नामक पुस्तक

माता पिता की स्वीकृति मिलने पर "विधवा विवाह" नामक पुस्तक प्रकाशित कर दी गई। इस समय बंगाल प्रान्त में विधवाओं की संख्या अधिक थी। उनके कष्टों तथा रुदन से लोगों के दिल पिघल रहे थे। सब यही चाहते थे कि किसी प्रकार उनका उद्धार हो। परन्तु ब्राह्मणों के वशीभूत तथा जाति च्युत होने के भय से किसी में भी इतनी शक्ति न

थी कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता। इसलिये जब विद्यासागर ने "विधवा विवाह" नामक पुस्तक छपवाई तो उसकी २००० प्रतियाँ एक सप्ताह में ही निकल गईं। ईश्वर चन्द्र ब्राह्मण थे, संस्कृत के अपूर्व विद्वान् थे इसलिये बड़ी हलचल मची। यदि कोई साधारण संस्कृत का ज्ञाता इस पुस्तक को लिखता तो ब्राह्मण यह कह कर कि इसको संस्कृत का ज्ञान क्या है, उस लेखक को मूर्ख बना देते। परन्तु विद्यासागार पर यह लांछन लगाना सरल न था। जनता ने आपकी पुस्तक का बड़ा आदर किया। पण्डितों में भी खलबली मच गई क्योंकि उनके पास कोई उत्तर न था।

विधवा विवाह का राजनियम

ईश्वर चन्द्र जी की पुस्तक ने जनता में विधवा विवाह के बहुत से समर्थक पैदा कर दिये। परन्तु विधवा विवाह करने में अब भी रुकावट थी। हिन्दू धर्म जो प्रचलित था और जो राजनियम था उसमें विधवाओं का विवाह जायज़ नहीं था। विधवा से कोई विवाह कर सकता था पर राजनियम की दृष्टि में वह विवाह जायज़ नहीं था, और उस विवाह से जो सन्तति उत्पन्न होती उसको भी सम्पत्ति

नहीं मिल सकती थी। इसलिये पं० ईश्वर चन्द्र जी ने सोचा कि ऐसा राजनियम बनवाना चाहिये जिससे यह बाधा सदा के लिये मिट जाय। राजनियम बनवाने में उनको बड़ा प्रयत्न करना पड़ा। उन्होंने ३०००० महानुभावों के हस्ताक्षर कराके सरकार के पास भेजे और ईश्वर को धन्यवाद है कि हिन्दू विधवा पुनः विवाह एक्ट २५ जुलाई सन् १८५६ ई० को स्वीकृत हो गया।

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह एक्ट १८५६

(The Hindu Widow's Remarriage Act 1856)

यहाँ पर हम विधवा विवाह का राजनियम ज्यों का त्यों उद्धृत कर रहे हैं। उसके बाद अँग्रेजी का अनुवाद नागरी में कर दिया है :—

THE HINDU WIDOWS' REMARRIAGE ACT 1856

Preamble

Whereas it is known that by the law as administered in the Civil Courts established in the territories in the possession & under the Government of the East India Company, Hindu Widows with certain exceptions are held to be,

by reason of their having been once married, incapable of contracting a second valid marriage and the offspring of such widows by any second marriage are held to be illegitimate & incapable of inheriting property, and whereas many Hindus believe this imputed legal incapacity, although it is in accordance with established custom, is not in accordance with a true interpretation of the precepts of their religion, and desire that the civil law administered by the courts of Justice shall no longer prevent those Hindus who may be so minded, from adopting a different custom, in accordance with dictates of their own conscience; and whereas it is just to relieve all such Hindus from this legal incapacity of which they complain, and the removal of all legal obstacles to the marriage of Hindu widows will tend to the promotion of good morals and to the public welfare. It is enacted as follows :—

1. No marriage contracted between Hindus

Marriage of Hindu widows legalized.

(a) shall be invalid, and the issue (b) of no such marriage shall be illegitimate, by reason of the woman having been previously married or betrothed to another person who was dead at the time of such marriage, any custom and any interpretation of Hindu law to the contrary notwithstanding.

2. (c) All rights and interests which any widow (d) may have in her deceased husband's property

---

Case law

(a) Act applies only to Hindu widows' remarriage as such, 19c 289; enables widows unable to remarry previously, to remarry. 11A, 930 ; and does not apply to cases in which remarriage is allowed by custom of caste 11 B 119;

(b) Of a marriage under the Act can inherit, 4. P. R. 1905 ; 61 P. R. 1905 ;

(c) S. 2 divests her of the right only if she marries after succeeding to the estate. 26 B, 388-4 Bom. L. R. 73 ; 29 B. 91. (F. B-6 Bomb. L R. 779; transfer by a Hindu—for legal necessity remarriage is valid, 3 C. L. J. 542 ;

(b) Section applies only to widows who could not have remarried prior to the Act, 11 A. 930: a—of a caste in which remarriage is allowed, e. g. the Kumri, can remain in possession for her husband's estate, till her death. 20A, 476; see also on 29A. 122; she does not lose her right to maintenance against her husband's estate, 31 A. 161; she forfeits estate inherited. 22 C, 589; from her son, 22 B. 321 (F. B.)

Rights of widow in deceased husband's property to cease on the remarriage.

by way of maintenance, or by inheritance to her husband or to his lineal successors, or by virtue of any will or testamentary disposition conferring upon her, without express permission to remarry, only a limited interest in such property with no power of alienating the same, shall upon her remarriage cease and determine as if she has then died; and the next heirs of her deceased husband, or other persons entitled to the property on her death, shall thereupon succeed to the same.

Guardianship of children of deceased and on the remarriage of his widow

3. On the remarriage of a Hindu widow, if neither the widow nor any other person has been expressly constituted by the will or testamentary disposition of the deceased husband the guardian of his children the father, or paternal grandfather or the mother or paternal grand mother of the deceased husband, may petition the highest Court having

original jurisdiction in civil cases in the place where the deceased husband was domiciled at the time of his death for the appointment of some proper person to be guardian of the said children, and thereupon it shall be lawful for the said Court if it shall think fit, to appoint such guardian, who when appointed shall be entitled to have the care & custody of the said children, or of any of them during their minority, in the place of their mother, and in making such appointment the Court shall be guided, so far as may be by the laws and rules in force touching the guardianship of children (a) who have neither father nor mother.

Provided that when the said children have no property of their own sufficient for their support & proper education whilst minors, no such appointment shall be made otherwise than with the consent of the mother (b) unless the proposed

---

Case law—

(a) Meaning of—5 A 195. (b) who has no right to give her son in adoption, 24 B 89;

guardian shall have given security for the support and proper education of the children whilst minors.

4. Nothing in this Act contained shall be construed to render any widow who, at the time of the death of any person having any property is a childless widow, capable of inheriting the whole or any share of such property, if before the passing of this Act, she would have been incapable of inheriting the same by reason of her being a childless widow.

Nothing in this Act to render any childless widow capable of inheriting.

5. Except as in the three preceding sections is provided a widow shall not, by reason of her remarriage forfeit (a) any property or any right to

Saving of rights of widow marrying except as provided in Sections 2 and 4.

(a) remarriage does not prevent such a widow from inheriting her son's property, 2 B.L,R. A.C. 189—11 W. R 82; a remarried Marwari cannot claim her first husband's property, 1 M. 226; right to give in adoption is not a right reserved under the Section 24 B. 89 Contra, 3 B. 107—11 Bom, L. 1134.

which she would otherwise be entitled, and every widow who has remarried shall have the same rights of inheritance as she would have had, had such marriage been her first marriage.

Ceremonies constituting valid marriage to have same effect on widows' marriage.

6. Whatever words spoken, ceremonies performed or engagements made on the marriage of a Hindu female who has not been previously married, are sufficient to constitute a valid marriage, shall have the same effect if spoken, performed or made on the marriage of a Widow, and no marriage shall be declared invalid on the ground that such words, ceremonies or engagements are inapplicable to the case of a widow.

Consent to remarriage of minor widows.

7. If the widow remarrying is a minor whose marriage has not been consummated, she shall not remarry without the consent of her father, or if she has no father, of her paternal grandfather, or if she has no such

grand father, of her mother, or failing also brothers, of her next male relative.

Punishment for abetting marriage made countrary to this Section.

8. All persons knowingly abetting a marriage made contrary to the provisions of this section shall be liable to imprisonment for any term not exceeding one year or to fine or to both.

Effect of such marriage provis no

And all marriages made contrary to the provisions of this section may be declared void by a Court of law : provided that, in any question regarding the validity of a marriage made contrary to the provisons of this section, such consent is as aforesaid shall be presumed (a) until the contrary is proved and that no such marriage shall be declared void after it has been consummated.

In the case of a widow who is of full age, or

Case law

Case law. (a) Section 9A. 133.

Consent to remarrage of major widow.

whose marriage has been consummated, her own consent shall be sufficient consent to constitute her remarriage lawful and valid.

हिन्दू विधवाओं के विवाह की कानूनी बाधाओं की रुकावट के लिये एक्ट

आरम्भ

चूंकि यह ज्ञात है कि जो कानून ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा स्थापित तथा शासित दीवानी अदालतों में लागू है, उसमें हिन्दू विधवाओं को—कुछ को छोड़ कर—यह अधिकार नहीं है कि वे अपना दूसरा जायज़ विवाह कर सकें क्योंकि उनका विवाह एक बार हो चुका है, और इस पुनर्विवाह की सन्तान नाजायज है और सम्पत्ति की उत्तराधिकारी नहीं है और चूंकि बहुत से हिन्दुओं का विचार है कि यह कानूनी बाधा, यद्यपि प्रचलित रिवाजों के अनुकूल होते हुये भी शास्त्रों के वास्तविक अर्थों के प्रतिकूल है और उनकी इच्छा है कि इस प्रकार विचार रखने वाले पुरुषों को ऐसा दूसरा रिवाज प्रचलित करने से न रोका जाय जिसकी आज्ञा उनकी आत्मा की ओर से होती है, इसलिये यह यथोचित है कि इस

प्रकार विचार वाले हिन्दुओं को इस कानूनी बाधा से मुक्त किया जाय जिसकी वे शिकायत करते हैं तथा हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह करने से कानूनी बाधाओं को दूर करने से लोगों के आचार सुधरेंगे और जनता की भलाई होगी, इस कारण यह नियम बनाया जाता है :—

हिन्दू विधवाओं का विवाह जायज है

१—कोई विवाह हिन्दुओं में नाजायज़ न होगा, और उस विवाह से उत्पन्न सन्तान नाजायज न होगी, इस कारण से कि उस स्त्री का विवाह पहले हो गया था, या संगनी दूसरे के साथ हो चुकी थी, जो कि इस विवाह के समय मर गया था चाहें कोई रिवाज़ तथा हिन्दू कानून का अर्थ भिन्न हो क्यों न हो।

पुनर्विवाह करने पर विधवा का अधिकार अपने मृत पति की सम्पत्ति पर नष्ट हो जायगा।

२—सब अधिकार जो विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति पर होंगे, उसके पालन के लिये, उसके उत्तराधिकार विषयक, या उसकी संतान विषयक जो उत्तराधिकारी होगी, या वसीयत से उसको मिले और वसीयत में पुनर्विवाह करने की आज्ञा न हो, उस सम्पत्ति में सीमित अधिकार जिसमें सम्पत्ति को दे डालने की आज्ञा न होगी, उस विधवा के

पुनर्विवाह करने पर छिन जायेंगे और समाप्त होवेंगे जैसे विधवा मर गई, और उसके मृत पति के अन्य उत्तराधिकारी या वे जो उस विधवा की मृत्यु पर उत्तराधिकारी होते उस सम्पत्ति के अधिकारी होंगे।

विधवा के पुनर्विवाह पर उसके मृत पति की संतान के संरक्षक

३—विधवा के पुनर्विवाह करने पर, अगर विधवा, या अन्य कोई व्यक्ति वसीयत के द्वारा मृत पति ने अपने बच्चों का संरक्षक नहीं बनाया है, तो मृत पति का पिता, या बाबा, मामा, नाना, उस स्थान के हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है जहां का मृत पति अपनी मृत्यु के समय बाशिन्दा था कि कोई संरक्षक उस सन्तान का बना दिया जाय, और उस अवस्था में उस अदालत के लिये यह योग्य होगा कि यदि वह उचित समझे तो मां के स्थान में ऐसा संरक्षक चुन देवे जो उन बच्चों की देख भाल करे जब तक कि लड़के नाबालिग न हों और इस प्रकार नियुक्ति करने में अदालत उस संरक्षक सम्बन्धी राज नियम का पालन करेगी जो उन बालकों पर लगता जिनके मा बाप दोनों ही न हों।

परन्तु यदि उन सन्तान के पास उनकी कोई सम्पत्ति नहीं है जिससे कि उनकी शिक्षा तथा पालन हो सके नाबालिग रहने की

अवस्था में संरक्षक नहीं चुना जायगा जब तक माता की स्वीकृत न हो जावेगी। परन्तु यदि प्रस्तावित संरक्षक सन्तान पालन तथा उचित शिक्षा की जब तक वे नाबालिग रहें ज़मानत दे देगा तो संरक्षक चुना जा सकेगा।

इस एक्ट से सन्तान रहित विधवा उत्तराधिकारिणी नहीं होती

४—इस एक्ट से यह नहीं समझा जायगा कि विधवा किसी पुरुष की मृत्यु के समय सन्तान रहित विधवा होने के कारण सारी सम्पत्ति या उसके कुछ अंश की अधिकारिणी होगी, जो इस एक्ट के बनाने के पूर्व सन्तान रहित विधवा होने के कारण सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं थी।

विधवा के विवाह करने पर अधिकारों की रक्षा धारा २ और ४ को छोड़ कर

५ – सिर्फ तीन पहले की धाराओं को छोड़ कर, विधवा अपना पुनर्विवाह करने के कारण किसी सम्पत्ति या अधिकार को नहीं छोड़ देगी जिसकी वह अधिकारिणी होती, और प्रत्येक विधवा पुनर्विवाह पर उसी प्रकार उत्तराधिकारिणी होगी जिस प्रकार कि उसका यह प्रथम विवाह ही हुआ हो।

६—एक हिन्दू स्त्री के विवाह के समय जिसका विवाह पहले नहीं हुआ है जो शब्द उच्चारण किये जाते

जायज़ विवाह के लिये जो रस्में होती हैं उसका प्रयोग विधवा विवाह में हो सकेगा

हैं, जो रस्में होती हैं, या सम्बन्ध किया जाता है और जिनके कारण विवाह जायज होता है, उसका वही असर हिन्दू विधवा के पुनर्विवाह पर होगा, और कोई विवाह इस कारण नाजायज नहीं होगा कि वे शब्द, रस्में तथा गठबन्धनादि विधवा के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकते।

नाबालिग विधवाओं के विवाह की स्वीकृति

७—अगर विवाह करने वाली विधवा नाबालिग है, और उसका पति से संयोग नहीं हुआ है, तो वह अपने पिता की अनुमति, या उसका पिता नहीं है तो बाबा की स्वीकृति से, अगर बाबा नहीं है तो मा की अनुमति से, मा न होने पर भाई या अन्य पुरुष सम्बन्धियों की अनुमति के बिना पुनर्विवाह नहीं कर सकती।

इस धारा के विरुद्ध विवाह कराने में सजा

८—जो व्यक्ति जान-बूझ कर उक्त धारा के विरुद्ध विवाह करावेंगे उनको एक वर्ष तक सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

और जो विवाह इस धारा के विरुद्ध हुये हों सब अदालत

इस धारा का विवाह पर प्रभाव

से ग़ैर क़ानूनी क़रार दिये जा सकते हैं। परन्तु विवाह के जायज़ होने के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि स्वीकृति ले ली गई है, जब तक यह साबित न किया जाय कि स्वीकृति नहीं ली गई थी पर कोई बिवाह नाजायज़ नहीं करार दिया जायगा यदि पति और पत्नि का संयोग हो गया हो।

बालिग विधवाओं की स्वीकृति

यदि विधवा बालिग है या पति पत्नी का संयोग हो चुका हो, तो उस स्त्री की स्वीकृति विवाह को जायज़ समझने के लिये समुचित समझी जायगी।

एक्ट और विधवायें

इस एक्ट ने विधवाओं की स्थिति उत्तम कर दी। इस एक्ट के पूर्व विधवा किसी पुरुष से सम्बन्ध नहीं रख सकती थी। अगर सम्बन्ध रखती भी तो वह व्यभिचार के रूप में। विधवा उस पुरुष की सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं होती थी। उससे उत्पन्न पुत्र भी उत्तराधिकारी नहीं बनाये जा सकते थे। इस एक्ट ने इस बाधा को दूर कर दिया। विधवा किसी भी पुरुष से विवाह कर सकती है, अपने पति की सम्पत्ति की

स्वामिनी हो सकती है, उसके पुत्र सम्पत्ति को गृहण कर सकते हैं। इस एक्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसको वही सब अधिकार मिलेंगे जैसे कि उसका पहला ही विवाह हुआ हो।

इस प्रकार सभी उलझनें दूर हो गई हैं। नाबालिग विधवाओं के सम्बन्ध में कुछ रोट टोक अवश्य ही लगाई गई है। और उसका लगाना आवश्यक था। नाबालिग विधवाओं में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे अपने हित और अहित वाले की पहचान कर सकें। पुरुष इन विधवाओं को अक्सर फंसा लेते हैं और अपनी काम पिपासा की शान्ति करके त्याग देते हैं। इसलिये माता पिता की स्वीकृति परम आवश्यक है और इससे धोका कम होने की सम्भावना भी है।

विधवा का पुनर्विवाह होने पर उसके मृत पति की सम्पत्ति उससे छिन जाती है। यह होना स्वाभाविक ही है। विधवा का विवाह होने पर उसको नवीन पति की सम्पत्ति में सभी अधिकार हो जाते हैं। पुनः सम्पत्ति ऐसी चीज नहीं कि जिसके लिये विधवा आयु भर क्लेश उठाती रहे और विवाह न करे। पति का प्रेम हजारों साम्राज्यों से अधिक है।

विधवा विवाह में कठिनाइयाँ

संसार में जब कोई नया कार्य्य आरम्भ किया जाता है तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परन्तु जब किसी धार्मिक रूढ़ि के विरुद्ध आन्दोलन करना पड़ता है तब बड़ी ही कठिनाई होती है। जिस समाज में यह समझा जाता हो कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता उसमें यदि कोई इस बात की चेष्टा करे कि विधवा विवाह हो जावे तो लोग बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं। जाति से निकाल देने की धमकी दी जाती है। उसका हुक्का पानी बन्द। यदि कोई भाई साथ देता है तो उसको अलग करने की कोशिश की जाती है। बहनें उसके घर नहीं आने पातीं, रिश्तेदार सब के सब उससे दूर हो जाते हैं। उसके लड़के लड़की का विवाह समाज में नहीं हो पाता। जितने प्रकार की समाज यंत्रणायें दे सकता है उससे बाज नहीं आता। पर कार्य्य में संलग्न पुरुष इससे घबड़ाते नहीं। बड़ी से बड़ी आपत्तियां जो उन पर आती हैं उनका वे स्वागत करते हैं।

विधवा विवाह के पवित्र कार्य्य में भी ऐसी ही बाधायें उपस्थित हुईं। विधवा विवाह कानून बन जाने के १४ वर्ष

उपरान्त जब पं० ईश्वरचन्द्र जी विद्यासागर के एक मात्र पुत्र ने अपनी इच्छा से विधवा विवाह करना चाहा तो यही प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। इस समय पं० जी ने अपने भाई श्री शम्भुचन्द्र विद्यारत्न को जो पत्र लिखा था वह यहां पर उद्धृत किया जाता है:—

"शुभशिषः सन्तु। माता जी वगैरः को इस शुभ सम्वाद की सूचना देना कि २७ सावन बृहस्पतिवार को भवसुन्दरी के साथ नारायण का विवाह हो गया।

इसके पहिले तुमने लिखा था कि नारायण अगर यह विवाह करेगा तो हम लोगों से कुटुम्ब के लोग आहार व्यवहार छोड़ देंगे, अतः नारायण का यह व्याह रोकना आवश्यक है। इस बारे में मेरा वक्तव्य यह है कि नारायण ने अपनी इच्छा से यह विवाह किया है, इसमें मेरी इच्छा या अनुरोध से कोई काम नहीं हुआ। जब मैंने सुना कि उसने विवाह पक्का कर लिया है और कन्या भी मौजूद है तब उस मामले में सम्मति न देकर रुकावट डालना किसी तरह उचित काम न होता। मैं विधवा विवाह का प्रवर्तक हूँ। हम लोगों ने उद्योग करके अनेक विधवाओं के विवाह करवाये हैं। ऐसी अवस्था में मेरा पुत्र अगर विधवा विवाह न करके कुमारी विवाह करता तो मैं

लोगों को मुँह न दिखा सकता। भद्रसमाज के लोग मुझे बिलकुल अश्रद्धेय तथा हेय समझते। नारायण ने स्वयं प्रवृत्त होकर यह विवाह किया है इससे मेरा मुंह उज्वल हो गया। उसने लोगों के निकट यह कह कर अपना परिचय देने का द्वार खोल दिया है कि मैं विद्यासागर का लड़का हूँ। विधवा विवाह जारी करना मेरे जीवन का सब से बढ़कर सत्कर्म है। इस जन्म में अब इससे बढ़कर सत्कर्म मुझसे होने की संभावना नहीं है। इसके लिये मैंने सर्वस्व अर्पण कर दिया है और आवश्यक होने पर प्राण देने में भी मुझे इनकार न होगा। इसके आगे कुटुम्बियों को छोड़ देना तो बिलकुल मामूली सी बात है।

कुटुम्बियों के खान पान छोड़ देने के भय से अगर मैं पुत्र को उसके अभीष्ट विधवा विवाह से निवृत करता तो मुझसे बढ़कर नराधम और कौन होता। अधिक क्या कहूँ उसने स्वतः प्रवृत्ति होकर यह विवाह किया है। इससे मैं अपने को कृतार्थ समझता हूँ। मैं देशाचार का गुलाम नहीं हूँ। अपने वा समाज के कल्याण के लिये जो उचित या आवश्यक जान पड़ेगा वह करूँगा। उसके करने में संसार या कुटुम्ब के लोगों का मुझे कुछ भी सङ्कोच न होगा।

अन्त में मेरा वक्तव्य यह है कि खानपान बनाए रखने का

जिन्हें साहस या प्रवृत्ति न हो वे खुशी से उसे छोड़ दें। इसके लिये शायद नारायण को कुछ भी दुःख न होगा और उसके लिये मैं भी असन्तुष्ट न होऊँगा। मेरी समझ में, ऐसी बातों में हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहिये। मेरी इच्छा के अनुसार या अनुरोध के वशवर्ती होकर चलना किसी के लिये उचित नहीं।

शुभाकांक्षी—
"ईश्वरचन्द्र शर्मा"

——:०:——

छठा अध्याय

विधवा विवाह न होने से हानियां

हिन्दू समाज में जागृति हो रही है, और जगे हुये लोग देख रहे हैं कि विधवा विवाह न होने से समाज की कैसी दुर्गति हो रही है। परन्तु अन्ध श्रद्धा और विश्वासों से घिरे हुये प्राणी अब भी अपनी दुर्गति को नहीं देख रहे हैं। वे अब भी वैसे ही शान्त बैठे हुये हैं। विनाशकारी बादल आकाश में उमड़ उमड़ कर आते हैं पर वे उनको देखने की चेष्टा ही नहीं करते। यही हमारे विनाश का कारण है। नाश हमारी आँखों के सामने है, हमारी आंखों के सामने हमारी देवियाँ दूसरों के हवाले हो रही हैं, पर ऐसी घटनाओं पर आँसू बहाना तो दूर रहा हम हंसते हैं और मुस्कराते हैं। इस पर भी हमारी यही आशा है कि हम मर नहीं सकते। अब हम इस पर विचार करेंगे कि विधवा विवाह हमारे समाज के लिये क्यों घातक है—

हिन्दू समाज का कलंक है—

किसी भी समाज में विधवाओं की अधिक संख्या होना

उस समाज के मस्तक पर कलंक है। इतनी विधवाओं की वृद्धि हमारे कारण हो रही है और हम विधवा बना बना कर उनके साथ क्रूरता का बर्ताव कर रहे हैं। वाह री मानुषी प्रकृति! मनुस्मृति में लिखा है :—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा ॥मनुः॥

"जिस कुल, जाति, देश या राष्ट्र में दुखी तथा पीड़िता स्त्रियां रोया करती हैं उस कुल, जाति, देश, राष्ट्र का शीघ्र ही सत्यानाश हो जाता है। परन्तु जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां सदा वृद्धि और सुख रहता है।"

हमारे समाज में एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों की संख्या में विधवायें तड़प रही हैं, रात दिन उनकी आंखों से आंसुओं की वर्षा हो रही है, उनके हृदय से आहें निकल रही हैं। विधवाओं की एक एक आह हिन्दू समाज को कोस रही है। वाहरे हिन्दू समाज जो अपनी ही बहिन, पुत्री के साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहा है।

मनुष्य अपने तीस-तीस-चालीस-
है, उसको कोई रोकनेवाला नहीं। परन्तु

छठा अध्याय

विधवा विवाह न होने से हानियां

हिन्दू समाज में जागृति हो रही है, और जगे हुये लोग देख रहे हैं कि विधवा विवाह न होने से समाज की कैसी दुर्गति हो रही है। परन्तु अन्ध श्रद्धा और विश्वासों से घिरे हुये प्राणी अब भी अपनी दुर्गति को नहीं देख रहे हैं। वे अब भी वैसे ही शान्त बैठे हुये हैं। विनाशकारी बादल आकाश में उमड़ उमड़ कर आते हैं पर वे उनको देखने की चेष्टा ही नहीं करते। यही हमारे विनाश का कारण है। नाश हमारी आँखों के सामने है, हमारी आंखों के सामने हमारी देवियां दूसरों के हवाले हो रही हैं, पर ऐसी घटनाओं पर आँसू बहाना तो दूर रहा हम हंसते हैं और मुस्कराते हैं। इस पर भी हमारी यही आशा है कि हम मर नहीं सकते। अब हम इस पर विचार करेंगे कि विधवा विवाह हमारे समाज के लिये क्यों घातक है—

हिन्दू समाज का कलंक है—

किसी भी समाज में विधवाओं की अधिक संख्या होना

उस समाज के मस्तक पर कलंक है। इतनी विधवाओं की वृद्धि हमारे कारण हो रही है और हम विधवा बना बना कर उनके साथ क्रूरता का बर्ताव कर रहे हैं। वाह री मानुषी प्रकृति! मनुस्मृति में लिखा है :—

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैताः वर्धते तद्धि सर्वदा॥मनुः॥

"जिस कुल, जाति, देश या राष्ट्र में दुखी तथा पीड़िता स्त्रियां रोया करती हैं उस कुल, जाति, देश, राष्ट्र का शीघ्र ही सत्यानाश हो जाता है। परन्तु जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहां सदा वृद्धि और सुख रहता है।"

हमारे समाज में एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों की संख्या में विधवायें तड़प रही हैं, रात दिन उनकी आंखों से आँसुओं की वर्षा हो रही है, उनके हृदय से आहें निकल रही हैं। विधवाओं की एक एक आह हिन्दू समाज को कोस रही है। वाहरे हिन्दू समाज जो अपनी ही बहिन, अपनी ही पुत्री के साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहा है।

मनुष्य अपने तीस-तीस-चालीस-चालीस विवाह कर सकते हैं, उनको कोई रोकनेवाला नहीं। परन्तु बिचारी विधवा को प्रत्येक

व्यभिचारी ब्रह्मचर्य का उपदेश दे ही जाता है। कैसा अंधेर और अन्याय है। राजा राम मोहनराय ने लिखा है:—

" Yagnyabulkya has authorized the second marriage of a man, while his former wife is living but only under certain circumstances of misconduct or misfortune in the latter, such as the vice of drinking wine, of deception, of extravagance, of using disagreeable language, or showing manifest dislike towards her husband, long protracted and incurable illness, barrenness or producing only female offspring. In defiance, however, of this restraint, some of them marry thirty or forty women, either for the sake of money got with them at marriage, or to gratify brutal inclinations "*

"याज्ञवलक्य ने पुरुष को दूसरा विवाह करने के लिये जब कि उसकी पहली स्त्री जीवित हो इन अवस्थाओं में अधिकार दिया है—उसका आचरण अच्छा न हो या वह शराब पीने वाली हो, धोका देने वाली, अधिक व्यय करने वाली, गाली देने वाली या कलह करने वाली, बहुत दिनों से बीमार हो और

* A second defence of the monotheistical system of the Veds; in reply to An apology for the present state of Hindu worship.

बीमारी अच्छी न होने वाली हो, बाँझ हो या केवल लड़कियां हो उत्पन्न करती हो। परन्तु इस आज्ञा को न मान कर कुछ पुरुष धन के लालच से या पाशविक वृत्तियों की सन्तुष्टि के लिये तीस या चालिस विवाह कर लेते हैं।"

जिस समाज में पुरुषों के लिये नियम हो और स्त्री के लिये नियम भी पुरुष ने ही बनाये हों वहां ऐसी दशा का होना स्वाभाविक ही है। यहां पर हम कई सारणियों से सिद्ध करेंगे कि हम कितने पापी हैं:—

विधवाओं का इंसाफ़

भारतवर्ष की आबादी	अविवाहित	विवाहित	विधुर और विधवायें
३४९७५९३१८			
पुरुषों की संख्या	पुरुष	पुरुष	विधुर
१८०२०५५८४	८६३३८००१	८२२०८४६७	९६५९११६
स्त्रियों की संख्या	स्त्रियाँ	स्त्रियाँ	विधवायें
१६९५५३७३४	५९६५८०४३	८३६०७२०३	२६०२४४८८
हिन्दुओं की आबादी	**अविवाहित हिन्दू**	**विवाहित हिन्दू**	**हिन्दू विधुर विधवायें**
२३८५६८९५३			
पुरुषों की संख्या	पुरुष	पुरुष	विधुर
१२२१७२५३४	५६५०४००५	५८६६३५७४	७००३९५५
स्त्रियों की संख्या	स्त्रियां	स्त्रियाँ	विधवायें
११६४२६२१९	३८३९१९६१	५८३५३०८२	११६८१०६८

इस प्रकार भारतवर्ष भर में।

सन	विधवायें	कितनी स्त्रियों में
१९२१	१७५	१०००
१९३१	१५५	१०००

भारतवर्ष में हिन्दू और जैन में सब से अधिक विधवायें पाई जाती हैं।

प्रति हज़ार स्त्रियों में

धर्म	सन १९२१ ई०	सन् १९३१
जैन	२५३	२२१
हिन्दू	१९५	१६९

इन तालिकाओं के देखने से ज्ञात होता है कि सन् १९२१ ई० में विधवाओं की जो संख्या थी उससे कुछ कम संख्या सन् १९२१ ई० में इनकी है। परन्तु बाल विधवाओं की संख्या इन दस वर्षों में बढ़ गई है जिससे यह प्रगट होता है कि हम अभी गिरे हुये हैं। बाल विधवाओं की संख्या जिनकी अवस्था कम है

इस प्रकार है और पाठकगण यह भी तुलना करें कि सन् १९२१ ई० से किस प्रकार अधिक होगई हैं :—

अवस्था	सन् १९२१ में विधवाओं की संख्या	सन् १९३१ में विधवाओं की संख्या
०—१ वर्ष तक	७५९	१५१५
१—२ ” ”	६१२	१७८५
२—३ ” ”	१६००	३४८५
२—४ ” ”	३४७५	९०७६
४—५ ” ”	८६९३	१५०१९
योग	१५१३९	३०८८०

कितने दुःख की बात है कि दस वर्ष के भीतर भारतवर्ष में १५ हजार ७ सौ ४१ विधवाओं की बढ़ती हो गई जो ५ वर्ष या उससे कम की हैं। आश्चर्य तो यह है कि दुधमुंही बच्चियों को जिनको विवाह का ज्ञान नहीं, उनको गोद में लेकर माता पिता विवाह कर देते हैं और प्रसन्न होते हैं। इस समय

विधवा-विवाह न होने से हानियां

३० हज़ार ८ सौ ८० विधवायें पांच वर्ष की भारत में हैं जो न एक अक्षर पढ़ सकती हैं न अच्छी प्रकार बोल सकती हैं, न उनको धोती पहने की तमीज़ है। कैसा अंधेर इस भारत में हो रहा है। सब अपने अधिकारों को मांगने में लगे हुये हैं, पर हमने कभी भी अपनी जनता को शिक्षित करने का यत्न नहीं किया। इस सम्बन्ध में हिन्दू और जैन सम्प्रदाय विशेष रूप से पीछे हैं :—

अवस्था	हिन्दू विधवायें		जैन विधवायें	
	सन १९२१ ई० में	सन् १९३१ ई० में	सन् १९२१ ई० में	सन् १३९१ ई० में
०—१ वर्ष तक	५९७	१०८१	१५	२०
१—२ " "	४९४	१३४२	४	८
२—३ " "	१२५७	२६९५	२२	१६
३—४ " "	२८३७	७०३८	२६	२१
४—५ " "	६७०७	११५७१	५१	७८
योग	११८९२	२३६६७	११९	१४३

इस प्रकार से दस वर्ष में उन विधवाओं की संख्या जो पांच वर्ष से कम है ११ हजार ५ सौ ७५ बढ़ गई अर्थात् पहले की अपेक्षा दुगनी बढ़ गई है। विधवाओं के सम्बन्धमें कुछ जागृति अवश्य हुई है पर जोरों के साथ कुछ भी काम नहीं हुआ। जब नई मर्दुमशुमारी (Census) होती है तो हम यही देखते हैं कि हाय विधवाओं की संख्या दिन बदिन बढ़ गई। १९२१ से १९३१ की मर्दुमशुमारी में बाल-विवाह की संख्या बढ़ गई है परन्तु सन १९४१ की जो मर्दुमशुमारी होगी उसमें यह संख्या और भी बढ़ी हुई मिलेगी। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर ने लिखा है :—

"On the other hand, there has already been a very remarkable increase in child widows particularly under the age of 5 years, which can only be attributed to the rush of marriages anticipatory to the Sarda Act, a rush which it is to be feared will contribute large numbers of young widows to the figures of the 1941 census unless there is before them a very pronounced change of attitude towards widow remarriage in Hindu Society generally."*

---

* Census Vol. 1, Part 1, Page 228, Para 98

विधवा विवाह न होने से हानियां

"दूसरी ओर ५ वर्ष से कम आयुवाली बाल-विधवाओं की आश्चर्य-जनक वृद्धि हुई, जिसका कारण यह था कि इस समय यह आशंका थी कि शारदा-एक्ट स्वीकृत हो जायगा। इसलिये अधिक संख्या में बाल-विवाह हो गये। इन विवाहों के कारण यह भय है कि १९४१ की मर्दुमशुमारी में विधवाओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ जायगी यदि विधवा-विवाह के सम्बन्ध में जो हिन्दुओं का दृष्टि-कोण है वह अधिक परिवर्त्तित न हुआ।"

मर्दुमशुमारी के कमिश्नर ने जो आशङ्का की है वह स्वाभाविक ही है। जो धड़ा-धड़ बाल विवाह शारदा कानून के जारी होने के पूर्व हो गये हैं वह विधवाओं की संख्या को बढ़ावेंगे ही। ऐसी अवस्था में प्रत्येक हिन्दू धर्म के प्रेमी का यह कर्त्तव्य है कि विधवा विवाह का घोर आन्दोलन करें।

इस समय जिन विधवाओं के विवाह का शीघ्र प्रबन्ध होना चाहिये उनकी संख्या इस प्रकार है :—

आयु	संख्या
०—५ वर्ष तक	३० ८८०
५—१० ”	१०५ ४८२
१०—१५ ”	१८५ ३३९
१५—२० ”	५३२ ७६२
२०—२५ ”	८७६ ६३५
योग	१७३१०९८

२५ वर्ष तक की आयु वाली विधवाओं की संख्या १७ लाख, ३१ हज़ार ९८ है। २५ वर्ष की अवस्था हिन्दू स्त्री के लिये अधिक नहीं है। इस समय हिन्दू स्त्री अपने यौवन पर रहती है और उसको बिगाड़ने वाले अधिक होते हैं। किन्हीं विशेष अवस्था में तीस वर्ष तक की विधवाओं का विवाह हो जाना चाहिये २५ से ३० वर्ष तक आयुवाली विधवाओं की संख्या १५ लाख ८० हज़ार दो सौ हैं। अतः हमको जिन विधवाओं के विवाह के लिये चिन्तित रहना चाहिये उनकी संख्या ३३ हज़ार २ सौ ९८ है।

(२) पवित्र नारियों को वैश्या बनाना है

कट्टर पंडित तथा नर-नारी कभी स्वप्न में नहीं सोचते कि विधवाओं का विवाह न करके वे कितना अनर्थ कर रहे हैं। पराई पीर को अनुभव करने वाले संसार में विरले ही होते हैं और वे ही महापुरुष हैं। साधारण पुरुष तो यह समझते हैं कि यदि वे सुखी हैं तो संसार के सभी प्राणी सुखी हैं, यदि वे दुखी हैं तो संसार के सभी प्राणी घोर दुख में हैं।

विधवाओं की आहों को सुनकर भी इन मूर्खों के हृदय नहीं पसीजते। यदि उन्होंने सहानुभूति दिखलाई तो केवल इतना कह दिया कि भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होवेगा। इसको मिटाने वाला कौन है। वे यह अनुभव नहीं करते कि वे अपनी बहू-बेटियों को वैश्या बना रहे हैं यह है अंधेर। हमारी पवित्र नारियां नारकीय जीवन से निकल कर वैश्या रूपी स्वर्गधाम में विराज रही हैं।

हम पहले यह दिखला चुके हैं कि विधवा होकर स्त्री में काम का अभाव नहीं हो जाता। कामदेव उसके हृदयों पर उसी प्रकार बाण चलाते हैं जैसे एक साधारण देवी पर। मनुष्य का आकर्षण उसमें उसी मात्रा में होता है जितना किसी अन्य

स्त्री में। इस आकर्षण के अतिरिक्त जिन परिवारों में वह रहती है उसका वाता-वरण भी इस प्रकार का होता है कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना जीवन नहीं बिता सकती। वह परिवार में अपने भाई को भावज के साथ, पिता को माता के साथ, जेठ को जिठानी, देवर को देवरानी के साथ आनन्द उठाते देखती है। इसको देख कर उसमें हृदय में हिलोरें उठती है। पति मर गया, पर पति के मरने में उसका क्या दोष? उसने तो अपने पति को नहीं मार डाला। पति मर गया अब वह क्यों नरक का जीवन काटे। इसके अतिरिक्त घर वाले भी उसके साथ छेड़-छाड़ करने वाले काफ़ी होते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ उसको घर से निकलना पड़ता है।

भारतवर्ष में व्यभिचार की वृद्धि हो रही है। अपने को पवित्र कहने वाले, और पवित्र धर्म के अनुगामी कितने नीच होते जाते हैं। वैश्याओं की संख्या बढ़ रही है, स्त्रियों के भागने की सूचनायें हर रोज़ आती हैं। भागती कौन हैं? अधिकांश तो विधवायें भागती हैं जिनके घर वाले उनको अपवित्र कर निकाल देते हैं या स्वयम् वे भाग जाती हैं। कुछ सधवायें जिनको परिवार में सुख नहीं मिलता वे भी भागती हैं पर सध-वाओं की संख्या बहुत कम है। यह भागने वाली स्त्रियाँ अड्डों पर

पहुँच जाती हैं, या घर लेकर वैश्या का कार्य आरम्भ कर देती हैं।

वैश्याओं की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। सन १९३१ की मर्दुमशुमारी के हिसाब से वैश्याओं की संख्या इस प्रकार है :—

वैश्यायें

सारे भारतवर्ष में	७२,५३६ ✻
ब्रिटिश भारत में	५३,९७६
रियासतों में	१८,५६०

वैश्या से सम्बन्ध करना फैशन में गिना जाने लगा है। बड़े नगरों में जाइये। वैश्याओं के दर्शन आपको मिलेंगे। कलकत्ते नगर में मछुआ बाजार के दोनों ओर मकानों में खचाखच वैश्यायें भरी हैं। एक-एक कमरे में चार-चार पांच-पांच भरी रहती हैं। लोअर चीतपुर रोड पर भी यही हाल है। सोनागाछी स्थान प्रसिद्ध है, वैश्यायें यहाँ चलते हुये मनुष्यों को पकड़ लेती

✻ यह संख्या तो उनकी है जिन्होंने अपना पेशा साफ़ साफ़ लिखाया है। वास्तव में तो इनकी संख्या कमसे कम दुगनी होगी।

हैं। बम्बई का ह्वाइट मार्फेट खचाखच वैश्याओं से भरा है, दिल्ली का चावड़ी बाजार, लखनऊ का चौक, लाहौर की अनारकली में इनके शुभ दर्शन हो सकते हैं। पवित्र तीर्थ स्थानों में इनका रहना अत्यावश्यक है और इनके बिना काम नहीं चलता। काशी, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी, किसी भी तीर्थ स्थानों में चले जाइये। वहाँ पर यह अनाथ स्त्रियाँ धर्मानुरागी पण्डों द्वारा आश्रय पा रही हैं। जैसे धर्मानुरागी हम हैं वैसे ही हमारे धर्म के ठेकेदार भी हैं।

सम्भव है कि कोई सज्जन यह कहें कि विधवाओं और वैश्याओं से क्या सम्बन्ध। यह ठीक है। कुछ विधवायें पतिव्रता हैं और वे अपना सारा जीवन पति की स्मृति में ही बिताती हैं। पर अधिकाँश ऐसी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती हैं। उनको घर से निकल कर अपनी काम-पिपासा की शान्ति करनी पड़ती है। वेश्या बन जाती हैं। जिस स्थान पर विधवायें अधिक हैं उस स्थान पर वैश्यायें अधिक पाई जाती हैं। १९२१ की बंगाल की मर्दुमशुमारी से कुछ अंक हम यहाँ देते हैं :—

विधवा विवाह न होने से हानियां

नगर	वैश्यायें	विधवायें
बर्दवान	११४१	१९१३१४
हुगली	११८४	१४६८८०
हौड़ा	१६०५	१०९००६
कलकत्ता	८८७७	६४६८५
२४ परगना	२७५४	२५०१८१
मैमनसिंह	३५०२	३५४२७६
ढाका	१८०५	२७०१६१
पबना	१६२९	१३८६३६
राजशाही	११११	१३९७५०

सन् १९२१ की मर्दुमशुमारी के हिसाब से बंगाल में कुल ४६,०७३ वैश्यायें थीं। बड़े बड़े नगरों में इनकी संख्या ८ हजार से अधिक है। जिस जिस स्थान में विधवाओं की संख्या अधिक है वहां वहां पर वैश्यायें भी अधिक हैं। यह वैश्यायें इन्हीं विधवाओं में से ही हुई हैं।

विधवाओं का इंसाफ़

सन् १९११ की मर्दुमशुमारी में वैश्याओं तथा उनके प्रबन्धकों की संख्या ५१,५३१ थी। पंजाब के प्रसिद्ध नगरों में इनका ब्यौरा इस प्रकार था।

नगर	वैश्यायें
दिल्ली	१,४३६
हिसार	२,०१५
करनाल	१,५४९
अम्बाला	१८७८
लाहौर	१७१६
रावलपिंडी	१६३४
मुल्तान	२२९०

नगर ही नहीं पहाड़ी स्थानों में जहाँ लोग गर्मी के दिनों में जाते हैं, वहाँ पर भी वैश्याओं का प्रबन्ध मिलता है। मंसूरी, नैनीताल, शिमला आदि स्थानों में इधर उधर से वैश्यायें पहुँच जाती हैं।

घर से निकली बाल विधवा दुष्टों द्वारा प्रलोभनों का शिकार बनती है।

इन वैश्याओं की संख्या धड़ाधड़ बढ़ रही है। इतना होते हुये भी हम अपने को आचार वाला कहते हैं। धन्य हैं हम और धन्य हमारा आचार।

(३) गुप्त व्यभिचार

वैश्याओं की कुछ संख्यायें ऊपर दी गई हैं। ये वह स्त्रियाँ हैं जो मकान की चारदीवारी से निकल चुकी हैं, मान मर्यादा खो चुकी हैं, हया मिटाकर बेहया बन गई हैं। ये वह स्त्रियाँ हैं जिनको यह कहते हुये लज्जा नहीं आती कि वे वैश्या हैं और बेशर्मी का जीवन बिताती हैं और जिन्होंने मर्दुमशुमारी के लेखकों को अपना पेशा स्पष्ट रूप में बताया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी विधवायें हैं जो छिपे छिपे यह कार्य्य करती हैं। वे घर की चार दीवारी में अपने सम्बन्धी से फँसी हुई हैं। वे अपना काम घर के घर में ही निकाल लेती हैं और बाह्य संसार को इसकी खबर भी नहीं होने देतीं। कुछ घर के नौकरों से अपनी काम वासना की तृप्ति करती हैं क्योंकि वे किसी सम्बन्धी को फांसने में सफलीभूत नहीं हुई।

ये विधवायें इन अनुचित सम्बन्धों को बुरा नहीं समझतीं और न इसको पाप ही करार देती हैं। यदि इनके गर्भ रह जाता है तो इसको गिरवाने में जरा आपत्ति होती है, पर वे इन

कार्य को बड़ी सरलता से कर लेते हैं। हमारे तीर्थ इस कार्य के लिये बड़े उचित होते हैं। विधवायें अपने प्रेमियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिये चल देती हैं। पड़ोसी यह समझते हैं कि अमुक विधवा कितना धर्म पालन करती है। पर ये विधवायें तीर्थों में अपना गर्भ गिरवा जाती हैं, और यदि यह सम्भव न हुआ तो बच्चा उत्पन्न होते ही फेंक दिया जाता है। ऐसी घटनायें प्रायः सुनाई दिया करती हैं। प्रयाग नगर में ऐसी कई घटनायें हुईं। एक बच्चा सड़क के किनारे कपड़ों में लिपटा मिला। उसके मुँह में दूध की बोतल थी। एक बच्चा मिला जिसका गला रस्सी से बँधा हुआ था। गला घुट कर बच्चा मर गया। इस प्रकार की हत्यायें निशदिन हुआ करती हैं और धर्म के आचार्यों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती।

(४) शारीरिक क्षति

बलात् ब्रह्मचर्य से हानि

ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना अच्छा है। उससे शरीर में तेज बढ़ता है। परन्तु बलात् ब्रह्मचर्य से रहना शरीर के लिये बड़ा अहितकर सिद्ध हुआ है। इन्द्रियों के वश में रखने से तात्पर्य है कि हृदय में वासनायें उत्पन्न न होने दो।

परन्तु यदि हृदय में हर समय वासनायें हिलोरें मार रही हों और उनकी सन्तुष्टि का अवसर न मिले तो उनका शरीर के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

एक डाक्टर ने लिखा है—

" Although I agree with Malthus as to the value of virtuous abstinence, the sad conviction is forced upon me as a physician, that the chaste morality of women, which though it is certainly a high virtue in our modern state, is none the less a crime against nature, not unfrequently revenges itself by the cruellest sort of disease, It is as certain that the virtuous abstinence of women is no rare cause of morbid processes in the breasts, the ovaries and the uterus as it is childish to bear the effects of continence or of natural self help in men. In as much as these diseases don't attack vital organs, they are a greater source of torment to their unhappy victims than almost any others.

"यद्यपि धर्म पूर्वक काम वासना के निरोध की अच्छाई के सम्बन्ध में मैं तो माल्थस साहब के साथ सहमत हूँ, तथापि मेरा डाक्टरी अनुभव बताता है कि स्त्री जाति का काम वासना को रोकने का उज्वल चरित्र वर्तमान युग में एक

सर्वोच्च गुण माना जाने पर भी एक प्राकृतिक पाप है जिसका दण्ड बुरे बुरे रोगों के रूप में मिलता है। यह भी सत्य है कि इस निरोध के कारण स्त्रियों की छाती, डिम्ब ग्रन्थियाँ, तथा जननेन्द्रिय में खराबियाँ आ जाती हैं। इस निरोध से पुरुषों में भी हानि की सम्भावना कम नहीं होती। यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार के रोगों का पुष्ट इन्द्रियों पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु यह रोग अभागे रोगियों को और किसी भी रोग की अपेक्षा अधिक कष्ट देते हैं।"

"विप्लव" नामक पुस्तक में श्री राधामोहन गोकुल जी ने लिखा है :—

"यह बात कुछ जंचती है कि स्त्री हो या पुरुष यदि धार्मिक भावना से ब्रह्मचर्य रखे तो अच्छा ही है। लेकिन मेरा वैयक्तिक अनुभव इस सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है। मेरी स्त्री का देहान्त १८६४ में हुआ, जब कि मैं केवल २८ वर्ष का युवक था। मेरे घराने में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे विधवा विवाह करने से रोका। अतः मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे मरने पर जिस प्रकार मेरी स्त्री वैधव्य की यातनायें भोगती, मैं भी उसके मरने पर वही कष्ट उठाऊँगा। इसका फल यह हुआ कि मुझे ध्वज भंग रोग हो

गया। फिर मैंने एक पुस्तक में जिसका नाम Elements of social science है पढ़ा कि बलात ब्रह्मचर्य रखने से ध्वज भंग ही नहीं वरन और भी अनेक रोग हो सकते हैं। मेरे एक सम्बन्धी की पुत्री १८ वर्ष की अवस्था में विधवा हुई और २५ वर्ष की आयु में पागल होकर मर गई। इनका कारण बलात ब्रह्मचर्य ही था।"*

(४) जाति का अधोपतन

एक समय था जब कि भारतवर्ष में हिन्दू जाति ही थी। पर यह २३ करोड़ हिन्दू जाति बराबर कम होती जाती है। सन १९३१ ई० की मर्दुमशुमारी के अनुसार भारत में हिन्दुओं की आबादी २३ करोड़ ८५ लाख ९८ हजार ६ सौ ५३ रह गई है। जब जब मर्दुमशुमारी होती है तो अन्य धर्मावलम्बियों की संख्या अधिक होती जाती है परन्तु हिन्दू जाति की कम। यदि इसी प्रकार हिन्दुओं की दशा कम होती रही तो एक समय ऐसा भी आवेगा जब कि कोई 'हिन्दू' न रहेगा और जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनको भी कोई पूछने वाला न होगा। लोग यह कहेंगे कि विधवाओं ने और हिन्दुओं की जन-संख्या ने क्या

* पृष्ठ १९।

तात्पर्य ? पर ऐसा समझना बहुत बड़ी भूल है। जो विधवा हिन्दू रह कर सन्तान उत्पन्न कर सकती वही विधवा यदि अन्य धर्मावलम्बी हो जाती है तो एक नहीं कई विधर्मी उत्पन्न कर देती है। अभागे हिन्दू समाज में अनुचित रीति से गर्भ रह जाता है तो हम उस विधवा को ही नहीं ठुकराते, गर्भ वाली सन्तान को भी ठुकरा देते हैं। विधवा से हमको परहेज़ नहीं। परहेज़ अगर है तो केवल इससे कि वह सन्तान उत्पन्न कर सकती है। परन्तु यदि वही विधवा अपने गर्भ को गिरवा दे, या उसके जो सन्तान हुई है उसको छिपे-छिपे सड़क पर छोड़ दे, या ईसाई और मुसलमानों के हाथों में छोड़ दे, या अपना मुँह धोकर चली आवे तो वह विधवा सदाचारिणी है और उसको घर में रखने में कोई हानि नहीं है। उसको घर में रखने से जाति बिरादरी में उस मनुष्य को कोई कठिनाई नहीं होगी। कितनी विधवायें इस प्रकार की होती हैं कि वे अपनी सन्तान को चाहे वह अनुचित रीति से क्यों न उत्पन्न हो, नहीं छोड़ सकतीं। ऐसी विधवायें गर्भ होते ही घर से स्वयं निकल पड़ती हैं। या निकाल दी जाती हैं। वे अपने बच्चे के मोह में इधर उधर भटकती हैं। जिस हिन्दू जाति ने उनको उत्पन्न किया है, जिसमें वे बड़ी हुईं, विधवा हुईं वहाँ उनके लिये

कोई स्थान नहीं। हिन्दू समाज उनको शरण नहीं दे सकता, उनके बच्चे का कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता। एक समाज उनको ठुकरा रहा है, दूसरा समाज उनको ग्रहण करने के लिये तैयार बैठा है। ईसाई आते हैं और कहते हैं "बहिन मत घबड़ा यदि तेरे समाज ने तेरी रक्षा नहीं की तो कोई चिन्ता नहीं हम तुझको आश्रय देंगे और तेरा प्रबन्ध कर देंगे।" मुसलमान कहता है "इसलाम का द्वार तुम्हारे लिये खुला है हमारे दीन को क़बूल कर लो और सुख से रहो।"

आपत्ति में फँसा हुआ व्यक्ति क्या करे। यदि उसका समाज निन्दा से भी उसको ग्रहण करता तो बहुत सम्भव है कि वह रहने को राज़ी हो गयी होती। परन्तु वह ठुकराई हुई अबला क्या करे। वह अपने दिल में सोचती है कि मैं बेधरम हो रही हूँ। आज मेरा धर्म छूट रहा है पर वह विवश है। वह कहती है—"मेरा समाज मुझको ठुकरा रहा है, भाड़ मुझे स्वीकार है।" विधवा जो हिन्दू थी, जिसका हिन्दु परिवार में पालन हुआ था। जो गौभक्त, वेद शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाली थी, वह अन्य धर्म में चली गई। वह अकेली ही नहीं गई, उसके साथ उसकी सन्तान है। दो प्राणी हिन्दू धर्म छोड़ कर मुसलमान या ईसाई हो गये। गोरक्षक के स्थान में गोभक्षक हो

गये । यहीं पर अन्त नहीं हुआ । वह स्त्री जब अपना विवाह अन्य धर्मावलम्बी के साथ कर लेती है तो भावी सन्तान भी हिन्दू न होंगी । वे हिन्दू धर्म से विरोध करनेवाली होंगी । माता के हृदय में हिन्दू धर्म के विपरीत जो भाव हैं वह ज्यों के त्यों दूध के सहारे बच्चों के रुधिर में पहुँच जायगे । जब कभी यह सन्तान बड़ी होगी तो वह अपनी माता के प्रति जो हिन्दू समाज ने व्यवहार किया है उसका बदला अवश्य लेगी । इस प्रकार एक विधवा को ठुकरा कर हमने उस विधवा को ही हिन्दू धर्म से नहीं निकाला, प्रत्युत एक कुटुम्ब को हिन्दू धर्म का कट्टर शत्रु बना दिया । हमने अपने हाथों शत्रुओं की विशाल सेना खड़ी कर दी । हम स्वयम् शत्रु की सेना के लिये सैनिक तैयार करके दे रहे हैं । और ऐसा करने भी यही समझते हैं कि हमारी क्षति नहीं हो रही । हिन्दुओं में बहुत से पुरुष ऐसे विद्यमान हैं जिनको स्त्रियां नहीं मिलतीं, परन्तु कितने शोक और लज्जा की बात है कि हम अपने समाज के पुरुषों की अवहेलना करके अपनी स्त्रियों को मुसलमान और ईसाई के हाथ में दे रहे हैं और **इसको कहते हैं धर्म और न्याय** । बुद्धि की बलिहारी है ।

कविवर पं० अयोध्यासिंह जी ने कितने मर्मभेदी शब्दों में

इन भावों को रक्खा है :—

लाज जब रख सकें न बेवों की।
तब भला किस तरह लजाएं वे ॥
घर बसे किस तरह हमारा तब।
जब कि घर और का बसावें वे ॥
गोद में ईसाइयत इसलाम की।
बेटियाँ बहुएं लटा कर हम लटे ॥
आह घाटा पर हमें घाटा हुआ।
मान बेवों का घटा कर हम घटे ॥

प्रत्येक हिन्दू का यह कर्त्तव्य है कि इन पंक्तियों को कण्ठाग्र करले और जब कभी वह विधवाओं के साथ अन्याय करने को उद्यत होगा, यह पंक्तियाँ उसके मस्तिष्क में आ जावेंगी।

हम बहुत खो चुके हैं। अब भी समय है कि हम चेत जावें।

सातवाँ अध्याय

विधवा विवाह शास्त्रोक्त है

लोग यह कहेंगे कि तुम्हारी युक्तियाँ सुन लीं, मान लिया कि हम विधवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, पर हम तो विवश हैं। हमारे धर्म शास्त्रों की यही आज्ञा है। यदि धर्म शास्त्रों के विपरीत कार्य्य करेंगे तो हमको पाप लगेगा।

हम इस आक्षेप से घबड़ाते नहीं। घबड़ावें भी क्यों? हम तो जानते हैं कि विधवा विवाह का शास्त्रों में विधान है। ब्राह्मणों ने स्वार्थवश शास्त्रों को हमसे छिपा रक्खा है और मनगढ़न्त बातें जनता में फैला दी हैं। हमारा तो यह काम है कि शास्त्रों से प्रमाण खोज कर जनता के सामने रख दें। जनता स्वयं मंत्र पढ़ ले, उसके अर्थों को समझ ले। यदि तबियत हो तो अपने पुरोहितों को दिखा दे।

किसी से पूछो कि इस समय कौन सा युग है। सब कहेंगे कि कलियुग है। जब कलियुग है तो जो स्मृति इस युग के लिये बनी है उसी को मानना चाहिये। परन्तु यदि

विधवा विवाह शास्त्रोक्त है

हम किसी स्मृति का नाम ले देंगे तो लोगों को विश्वास न होगा। इसलिये इन श्लोकों तथा उनके अर्थों को पढ़िये।

अथातो हिमशैलाग्रे देवदारुवनालये।

व्यासमेकाग्रमासीनमपृच्छन्नृषयः पुरा॥

हिमालय पर्वत के शिखर पर दारुवन में एकाग्र चित्त व्यास जी के पास ऋषि पहुँचे और पूछा—

मानुषाणां हितं धर्मं वर्तमाने कलौ युगे।

शौचाचारं यथावच्च वद सत्यवती सुत॥

हे सत्यवती के पुत्र! कृपा करके बतलाइये कि वर्त्तमान कलियुग में मनुष्य के हितकर कौन से धर्म के आचार हैं।

तत् श्रुत्वा ऋषि वाक्यं तु समिद्धाग्न्यर्कसन्निभः।

प्रत्युवाच महातेजाः श्रुति स्मृति विशारदः॥

शिष्य मण्डली से घिरे हुये, अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, श्रुति और स्मृति के मर्मज्ञ व्यास जी ने ऋषि के वाक्यों को सुन कर कहा—

न चाहं सर्व तत्वज्ञः कथं धर्मं वदाम्यहम्।

अस्मत् पितैव प्रष्टव्य इति व्यासस्तनोवदत्॥

व्यास ने तब कहा मैं सर्व तत्वों को नहीं जानता इसलिये कैसे कहूँ। मेरे पिता से पूछो।

ततस्ते ऋषयः सर्वे धर्मतत्वार्थकांक्षिणः।
ऋषि व्यासं पुरस्कृत्य गता बदरिकाश्रमम् ॥

इस पर धर्म के तत्व की जिज्ञासा रखने वाले सब ऋषियों ने ऋषि व्यास को आगे करके बदरिकाश्रम को प्रस्थान किया।

नाना वृक्ष समाकीर्णं फलपुष्पोपशोभितम्।
नदी प्रस्रवणाकीर्णं पुण्य तीर्थैरलंकृतम् ॥

अनेक वृक्षों से पूर्ण, फल तथा पुष्पों से सुशोभित, प्रस्रवणा नदी से युक्त, पुण्य सुसज्जित तीर्थ स्थान—

मृगपक्षिगणाढ्यं च च देवतायतनावृतम्।
यक्ष गन्धर्वसिद्धैश्च नृत्यगीत समाकुलम् ॥

पशु पक्षियों से परिपूर्ण, देवालयों से व्याप्त, यक्ष, गन्धर्व तथा सिद्धों के नृत्य तथा गीत से परिपूर्ण—

तस्मिन्नृषि सभामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्।
सुखासीनं महात्मानं मुनि मुख्य गणावृतम् ॥

उस ऋषि के समुदाय में शक्ति के पुत्र महात्मा पराशर सुखपूर्वक बैठे हुये तथा श्रेष्ठमुनि से घिरे हुये थे।

कृताञ्जलि पुटो भूत्वा व्यासस्तु ऋषिभिः सह ।
प्रदक्षिणाभिवादैश्च स्तुतिभिः समपूजयत् ॥

व्यास जी ने ऋषियों के साथ हाथ जोड़ कर, प्रदक्षिणा, अभिवादन, स्तुति आदि से उनका सत्कार किया।

अथ सन्तुष्ट मनसा पराशर महामुनिः ॥
आह सुस्वागतं ब्रूहीत्यासीनो मुनिपुंगवः ॥

महामुनि पराशर ने प्रसन्न मन होकर ऋषियों से कहा कि आप अपने शुभागमन का कारण कहिये—

व्यासः सुस्वागतं ये च ऋषयश्च समन्ततः ।
कुशले कुशलेत्युक्त्वा व्यासः पृच्छत्यतः परम् ॥

व्यास तथा अन्य ऋषियों ने अपने कुशलपूर्वक आगमन को सूचित किया। इसके अनन्तर व्यास जी ने पूछा :—

यदि जानासि मे भक्तिं स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ।
धर्मं कथय मे तात अनुग्राह्योऽस्म्यहं तव ।

हे भक्तवत्सल ! यदि आप मेरी भक्ति को जानते हैं तो हे

पिता ! प्रेमपूर्वक मुझे धर्म का उपदेश दीजिये । मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूँगा ।

श्रुत्वा मे मानवा धर्मा वाशिष्ठा काश्यपास्तथा ।
गार्गीया गौतमाश्चैव तथाचौशनसाः स्मृता ।

मैंने मनु वशिष्ट, काश्यप, गार्गीय, गौतम तथा उशनस आदि की स्मृति का यथावत् श्रवण किया है ।

अत्रेर्विष्णोश्च सांवर्त्ता दाक्षाः आँगिरसास्तथा ।
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यकृताश्च ये ।

अत्रि, विष्णु, मम्वर्त्त, दक्ष, आंगिरस्, शतातप, हरीत, याज्ञवल्क्य ।

आपस्तम्बकृता धर्माः शंखस्य लिखितस्य च ।
श्रुत्वाह्यंते भवत्प्रोक्ता श्रौतार्थास्ते न विस्मृताः ।

आपस्तम्ब, शंख, लिखित स्मृतियां आपके द्वारा कही हुई सुनी हैं । उन श्रुतियों के अर्थ भी मुझको भूले नहीं हैं ।

अस्मिन् मन्वन्तरे धर्मा कृतत्रेतादिके युगे ।
सर्वे धर्माः कृते जाताः सर्वे नष्टाः कलौयुगे ।

इस मन्वन्तर के सतयुग त्रेता आदि युगों में प्रचलित सभी

धर्म-शास्त्र सतयुग में रचे गये थे। कलियुग के लिये वे सब नष्ट हो गये।

चातुर्वर्ण्यसदाचारं किञ्चित साधारणं वद
व्यासवाक्यावसाने तु मुनि मुख्यः पराशरः
धर्मस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थूलं च विस्तरात्।

चारो वर्णों के सदाचार को कुछ संक्षेप में वर्णन कीजिये। व्यास के कहने के उपरान्त श्रेष्ट मुनि पराशर ने धर्म के निर्णय को सूक्ष्म, स्थूल विषयों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया।

पाराशर स्मृति

पाराशर स्मृति का आरम्भ जिस प्रकार हुआ है उसका वर्णन किया जा चुका। इससे स्पष्ट रीति से ज्ञात होता है कि पाराशर ऋषि ने कलियुग के लिये धर्म का उपदेश किया है। अब यहां पर यह विचार करना है कि पाराशर स्मृति विधवाओं के विषय में क्या कहती है। चतुर्थ अध्याय में निम्न श्लोक आया है—

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ।
पञ्च स्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥

(नष्टे) लापता होने (मृते) मर जाने, (प्रव्रजिते) सन्यासी होने पर (क्लीवे) नपुंसक होने पर (पतिते) पतित होने पर (पतौ) पति के (पञ्चस्वा-(पत्सु) पांच आपत्तियों में (नारीणां) नारियों का (पतिन्यो) दूसरा पति (विधीयते) कर दिया जाय।

कितने स्पष्ट शब्दों में पाराशर ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों का पुनर्विवाह कर दिया जाय। केवल पति के मरने पर ही नहीं पर इन अवस्थाओं में वे स्त्री को दूसरा पति कर लेने की आज्ञा देते हैं:—

(१) पति लापता हो।

(२) मर गया हो।

(३) सन्यासी हो गया हो।

(४) नपुंसक होने पर।

(५) जाति से पतित होने पर।

ऋषि पाराशर सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्त्रियों के साथ पुरुष अत्याचार न करने पावें और उनका सदा ध्यान रहता है कि यदि स्त्रियाँ दुखी रहेंगी तो नाश होना निश्चय है।

पर ऋषि पाराशर व्यभिचार की वृद्धि करना नहीं चाहते थे और न उनका उद्देश्य ही ऐसा था। यही कारण है कि जहां वे विधवाओं के पुनर्विवाह का विधान करते हैं वहां पर पातिव्रत धर्म पर बड़ा बल देते हैं। इस श्लोक के साथ साथ यह भी श्लोक पाया जाता है।

मृते भर्त्तरि या नारी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता
सा मृते लभते स्वर्गं यथा ते ब्रह्मचारिणः

जो स्त्री पति के मरने पर ब्रह्मचारिणी रहती है वह मृत्यु के उपरान्त ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग को प्राप्त होती है।

पाराशर ऋषि का तात्पर्य था कि यदि स्वर्ग का लोभ स्त्रियों को दिया जायगा तो स्त्रियां अपनी इन्द्रियों को वश में रक्खेंगी और व्यभिचार न करेंगी। उनके लिये स्वर्ग कितना सुलभ कर दिया। जिस प्रकार बाल-ब्रह्मचारी स्वर्ग को जाते हैं, यदि स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद ब्रह्मचारी रहेंगी तो वे भी स्वर्ग को जायेंगी। इसके अतिरिक्त पाराशर जी ने लिखा।

तिस्रः कोट्योऽर्धकोटी च यानि लोमानि मानवे
तावत्कालं वसेत् स्वर्गं भर्तारं याऽनुगच्छति।

मनुष्य के शरीर में जो ३॥ करोड़ लोम हैं उतने वर्ष तक स्त्री स्वर्ग में वास करेगी यदि वह पति के साथ सती होगी।

इस प्रकार पराशर ने अपने धर्मशास्त्र में कलियुग की विधवा के लिये तीन विधान दिये हैं:—

(१) विवाह।

(२) ब्रह्मचर्य।

(३) सहगमन (सती होना)

सती होने की प्रथा को कानूनन ब्रिटिश सरकार ने बन्द कर दिया है। भारतीय तथा विदेशीय आन्दोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को यह घृणित और क्रूर प्रथा बन्द कर देनी पड़ी। निदान रेगुलेशन १७ वाँ सन् १८२९ (Regulation XVII of 1829) ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पास किया। इसके अनुसार यदि कोई स्त्री सती होगी तो पुलीस उसके सम्बन्धियों या जिन्होंने इस घृणित कार्य्य में सहायता दी है मुकद्दमा चलायेगी। राजा राममोहनराय को इस कानून के पास कराने का मुख्य श्रेय है।

जब सती होना कानून से बन्द कर दिया गया तो विधवाओं के लिये दो विधान रह जाते हैं।

अनुचित सम्बन्ध रखती हैं, भ्रूण हत्यायें करती हैं और यदि बच्चा हो गया तो वैश्या बन जाती हैं। ऐसी विधवाओं के लिये जो ब्रह्मचारिणी नहीं रह सकतीं उनके लिये पराशर ने विवाह करने की आज्ञा दी है।

पाराशर स्मृति जब विधवा का विवाह करने की आज्ञा देती है। तब और प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या? परन्तु इसकी पुष्टि के लिये हम

मनुस्मृति

से श्लोक उद्धृत करते हैं। विधवा विवाह न मानने वालों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मनुस्मृति भी विधवा विवाह का राग गाती है। मनुस्मृति के अध्याय ९ के श्लोक १७५-१७६ यहाँ देते हैं—

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वेच्छया।
उत्पादयेत पुनर्भूत्वा स पौनर्भव उच्युते॥
सा चेद क्षतयोनिः स्याद्, गतप्रत्यागतीपि वा।
पौनर्भवेन भर्त्री सा पुनः संस्कारमर्हति॥

इन श्लोकों के अपने अर्थ न लिख कर कुल्लूकभट्ट जो

संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य समझे जाते हैं उनका अर्थ देते हैं :—

"या भर्त्रा परित्यक्ता मृतभर्तृका वा स्वेच्छ-यान्यस्य पुनर्भार्या भूत्वा यमुत्पादयेत्स उत्पाद-कस्य पौनर्भवः पुत्र उच्यते ॥१७५॥

भावार्थ—जो स्त्री पति द्वारा छोड़ दी गई हो या जिसका पति मर गया हो, वह अपनी इच्छा से दूसरे की फिर स्त्री होकर जिसको उत्पन्न करती है वह उत्पादक का पौनर्भव पुत्र कहा जाता है।

"सा स्त्री यद्यक्षतयोनिः स्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनर्भवेन भर्त्रा पुनर्विवाहाख्यं संस्कारमर्हति ।
॥ १७६ ॥"

अर्थ—वह स्त्री यदि अक्षत योनि होकर दूसरे का आश्रय ले, तो उस पौनर्भव पति के साथ पुनर्विवाह नामक संस्कार की अधिकारिणी होती है।

इस श्लोक का अर्थ करते हुए कुल्लूक भट्ट ने तथा और [illegible] ने लिखा है। यदि कोई स्त्री अपने कुमार पति को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय ले लेती है, पुनः किसी के साथ

फिर कुमार पति के पास लौट आती है तो उसका पुनर्विवाह हो सकता है।

यही नहीं हमारी मनुस्मृति तो इसके प्रचारक पंडितों से कहीं अधिक उदार है। वह लिखती है

प्रेषितो धर्म कार्य्यार्थं।

प्रतीक्ष्योऽष्टौ नरः समाः॥

विद्यार्थं षट् यशोर्थं वा।

कामार्थं त्रीस्तुवत्सरान॥

(मनु० अ० ९ श्लोक ७६)

किसी स्त्री का पति बाहर चला गया है और लौट कर नहीं आया। स्त्री ऐसी दशा में क्या जन्म भर उसके नाम को रोती रहें। मनुस्मृति आदेश करती है कि यदि पति धर्म के काम से बाहर जावे तो ८ वर्ष प्रतीक्षा करे, विद्या प्राप्ति के लिये या नाम कमाने गया हो तो ६ वर्ष और कामार्थ गया हो तो तीन वर्ष प्रतीक्षा करे। इस अवधि में लौट कर न आवे तब उसके लिये मार्ग साफ है। यह है हमारी स्मृति का Ultimatum।

वेदों की साक्षी

वेद भगवान की अन्तिम साक्षी है। इस पर किसी को शंका

करने का अधिकार नहीं। स्मृतियों को माना जाय या न माना जाय, परन्तु जो बात वेद में लिखी है, उसके लिये किसी युक्ति तथा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वेद स्वतः प्रमाण हैं और ईश्वरीय ज्ञान होने के नाते हमें उसके सामने मस्तक झुका देना पड़ता है।

यहाँ पर हम जो मंत्र दे रहे हैं वह ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही आया है अतः इस मंत्र द्वारा दोनों की साक्षी मिल जाती है। मंत्र यह है :—

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुपशेष एहि। हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभिसंबभूव ॥

ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त १८, मंत्र ८

अथर्ववेद का० १८ सू० ३ मंत्र २

सौभाग्यवश इस मंत्र पर भी सायणाचार्य का भाष्य उपलब्ध है, इसलिये कोई यह कहने का साहस नहीं करता कि अर्थों में खींचातानी की गई है। उनका भाष्य इस प्रकार है :

हे (नारि) मृतस्य पत्नी (जीव लोकं) जीवानां पुत्रपौत्रादीनां स्थानं लोकं गृहमभिलक्ष्य (उदीर्ष्व) अस्मात् स्थानात् उत्तिष्ठ (गतासुम्) अपक्रान्त प्राणं (एतं) पतिं (उपशेषे)

तस्य समीपे स्वपिपि तस्मात् त्वं (एहि) आगच्छ। यस्मात्
(हस्तग्राभस्य) पाणिग्राहं कुर्वतः (दधिषोः) गर्भस्य निधा
(तव) अस्य (पत्युः) सम्बन्धादागतं (इदं) (जनित्वम्
जायत्वं अभिलक्ष्ये (सम्बभूव) सम्भूतासि अनुसरणं निश्च
अकार्षीः अस्मादागच्छः ।

भावार्थ — हे (नारि) मरे हुये पुरुष की पत्नी (जीवलोकं
जीवित पुत्र पौत्रों के लोकं अर्थात् गृह का विचार कर
(उदीर्ष्व) इस स्थान से उठ (गतासुम) मरे हुये (एतं
पति के (उपशेषे) समीप तू सोती है (एहि) यहाँ आ। जिस
तू (हस्त ग्राभस्य) पाणिग्रहण करने वाले (दधिषोः) गर्भ
कराने धारण वाला (तव) तेरे (पत्युः) पति के सम्बन्ध
आया हुआ जो है (इदं जनित्वम्) उसको स्त्री होने के विच
से (सम्बभूव) अनुसरण का निश्चय कर इसलिये आ।

एक दूसरं स्थल पर आया है:—

इयं नारी पतिलोकं वृणाना,
निपद्यत उपत्वा मर्त्यं प्रेतम् ।
धर्मं पुराणमनुपालयन्ती,
तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥

अथर्ववेद काण्ड १८ सूक्त ३ मं०

(मर्त्य) हे मनुष्य! (इयम्) यह (नारी) नारी (पति-लोकम्) पति के लोक [गृहाश्रम के सुख] को (वृणाना) चाहती हुई और (पुराणम्) पुराने [सनातन] (धर्मम्) धर्म को (अनुपालयन्ती) निरन्तर पालती हुई (प्रेतम्) मरे हुये पति को (उप) स्तुति करती हुई (त्वा) तुझको (निपद्यते) प्राप्त होती है, (तस्यै) उस स्त्री को (प्रजाम्) सन्तान (च) और (द्रविणं) धन (इह) यहाँ पर (धेहि) धारण कर।

वेद मंत्र कितना स्पष्ट है।

इतना ही नहीं। वेद भगवान पुनर्विवाह की हुई पत्नि तथा पुरुष के सुख की मंगल कामना भी करते हैं।

या पूर्वं पतिं वित्वाथान्यं विन्दते परम्।
पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वियोषतः॥

अथर्ववेद काण्ड ९। अनु॰ ३ सूक्त ५, मं॰ २७

(या) जो स्त्री (पूर्वं) पहले (पतिं) पति को (वित्वा) पाकर (अथान्यं) उसके बाद (अपरम्) दूसरे पति को (विन्दते) प्राप्त होती है (तौ) वे दोनों (पञ्चौदनं) पांच भूतों को सींचने वाले (अजं) ईश्वर को (ददानः) अर्पण करते हुवे (न वियोषतः) न अलग हों।

पुनर्विवाह निकृष्ट विवाह नहीं

कुछ लोग अब भी सन्तुष्ट नहीं होते। उनको तो अपनी बात ही रखनी है। जब वे देखते हैं कि किसी युक्ति से काम नहीं चलता तो यह कहते हैं कि विधवा विवाह का विधान तो है पर यह निकृष्ट विवाह है। क्वारी स्त्री का विवाह और विधवा का पुनर्विवाह समानता नहीं रखते। यह तो आपत्ति वश कर दिया जाता है। परन्तु उनकी यह धारणा उचित नहीं। अथर्ववेद ९। ५। २८ में आया है :—

समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः।
योऽजं पांचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति॥

(समान लोकः) बराबर स्थान या पदवाला (भवति) होता है (पुनर्भुवा) जिस स्त्री का पुनर्विवाह हुआ उसका पति (अपरः) तथा दूसरा पति जो (पञ्चौदनं अजं) पांच भूतों के सींचने वाले परमात्मा को (दक्षिणा ज्योतिषम्) दान किया है ज्योति जिसकी ऐसे को (ददाति) अर्पण करता है।

विद्वानों के लिये ये प्रमाण समुचित हैं।

आठवाँ अध्याय

विधवा विवाह पर कुछ सम्मतियाँ

महात्मा गांधी

एक बहिन के पत्र का उत्तर देते हुए महात्मा गांधी लिखते हैं:--

"बाल विधवा, धर्म जैसी किसी वस्तु को नहीं, जान सकती फिर विधवा-धर्म की बात ही हम कैसे कर सकते हैं? धर्म पालन के साथ-साथ हम यह कल्पना कर लेते हैं कि एक बालक जिसे झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं है, असत्य के दोष का भाजन है? नौ साल की बालिका नहीं जानती कि विवाह क्या वस्तु है न वह यही जानती है कि वैधव्य क्या चीज है! जब उसने विवाह ही नहीं किया तो वह विधवा किस तरह मानी जा सकती है? उसका विवाह तो करते हैं माता-पिता और वे ही समझ लेते हैं कि वह विधवा हो गई: अर्थात् यदि वैधव्य का पुण्य किसी को मिलता हो तो फलतः होगा कि वह

उसके माता पिता को ही मिलता। पर क्या नौ साल की बालिका बलिदान कर वे इस पुण्य और यश के भागी हो सकते हों तो हमारे सामने उस बालिका का सवाल तो ज्यों का त्यों खड़ा ही रहता है। मान लीजिये कि अब वह बीस बरस की हो गई। ज्यों-ज्यों वह समझदार होती गई, उसने अपने आस-पास की परिस्थिति से यह जान लिया कि वह विधवा मानी जाती है पर इसके धर्म को तो वह नहीं समझती। यह भी हम मान लें कि बीस बरस की अवस्था को पहुँचते-पहुँचते धीरे-धीरे उसमें स्वाभाविक विकार पैदा हुये और बढ़े भी। अब उस बाला को क्या करना चाहिए? माता-पिता पर तो वह अपने भावों को प्रकट कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने यह संकल्प कर लिया है कि मेरी युवती लड़की विधवा है उसका विवाह नहीं करना है।

"यह तो एक कल्पित दृष्टान्त है। भारत में ऐसी एक दो नहीं, हजारों विधवायें हैं। हम यह तो देख ही चुके कि उनको वैधव्य का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। ये युवतियां अपने विकारों को तृप्त करने के लिये अनेक पापों में फँसती हैं। इसके लिये कौन ज़िम्मेदार है? मेरे ख्याल से उनके माता पिता तो अवश्य ही उनके इन पापों में हिस्सेदार होते हैं। पर इससे हिंदू

धर्म कलंकित होता है, और प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। धर्म के नाम पर अनीति बढ़ती जाती है, इसलिए यद्यपि इन बहन के जैसे ही विचार स्वयम् मैं भी पहले रखता था, पर अब विशेष अनुभव से मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि जो बाल-विधवाएँ युवावस्था को प्राप्त करने पर पुनर्विवाह करने की इच्छा करें उन्हें उसके लिये पूरी स्वतन्त्रता और उत्तेजना मिलनी चाहिये, इतना ही नहीं बल्कि माता-पिता को चिन्तापूर्वक इन बालाओं का विवाह उचित रीति से कर देना चाहिए। इस समय तो पुण्य के नाम पर पाप का प्रचार हो रहा है।

"बाल-विधवाओं का इस तरह विवाह कर देने पर भी हिंदू-धर्म शुद्ध वैधव्य से तो जरूर ही अलंकृत रहेगा। दम्पति-स्नेह का अनुभव कर लेने वाली स्त्री यदि विधवा हो जाय और वह स्वयम् पुनर्विवाह न करना चाहे तो उसका संयम बाहरी निरंकुशता का अहसानमन्द न रहेगा और न संसार में ऐसी शक्ति ही है जो उसे विवाहित करने के लिये बाध्य कर सके। उसकी स्वाधीनता तो हमेशा सुरक्षित रहेगी।"

"जहां आत्म-त्याग ही नहीं वहां आत्म-त्याग का आरोप करना अनीति कही जायगी। बाल-लग्न में आत्म-त्याग के लिए अवकाश ही नहीं। आत्म-त्याग सावित्री ने किया, सीता ने किया, दमयन्ती

ने किया। ऐसी देवियों के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैधव्य प्राप्त होने पर वे पुनर्विवाह करेंगी। इस प्रकार का शुद्ध वैधव्य रमाबाई रानाडे का था। आज बासन्ती देवी को यह वैधव्य प्राप्त है, ऐसा वैधव्य हिंदू-संसार का अलंकार है, उससे वह पुनीत होता है। बाल विधवाओं के कल्पित वैधव्य से हिन्दू-संसार पतित होता जा रहा है। प्रौढ़ विधवाएँ अपने वैधव्य को सुशोभित करते हुये बाल विधवाओं का विवाह करने के लिये कटिबद्ध हों और हिंदू समाज में इस प्रथा का प्रचार करें।"

देवता स्वरूप भाई परमानन्द

प्रधान अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा

८ फरवरी १६३४ के कृपापत्र के लिये धन्यवाद। उत्तर स्वरूप मेरा मत विधवाओं के पुनर्विवाह के विषय में वही है जो आर्य्यसमाज का है। जिन कन्याओं का विवाह १६ वर्ष की आयु से कम में हो गया है उनका विवाह बिना संकोच के कर देना चाहिये। उनका यह विवाह प्रथम के ही सदृश है। परन्तु उन स्त्रियों के लिये भी जिनका

विवाह उचित अवस्था में हुआ है इस प्रथा को मान लेना चाहिये ।"

"हिन्दू समाज में निश्चय रूप से विधवाओं की अनगिनित संख्या है जो हिन्दू समाज को नष्ट कर रही है। इसको दूर करने का यही उपाय है कि भावी आपत्ति का अनुभव करके जाति के नेता इसको कार्य्यरूप में परिणत करके समाज के सन्मुख उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे अन्य अनुकरण कर सकें।

दीवान बहादुर श्री हरविलास शारदा

८ फर्वरी १९२९ का पत्र मिला। आपने विधवा विवाह के विषय में मेरी सम्मति पूछी है। मेरे विचार में विधवा के उतने अधिकार होने चाहिये जितने एक विधुर के, न किसी अंश में कम न अधिक। सामाजिक कार्य्यकर्त्ताओं का यह धर्म है कि भिन्न भिन्न जातियों और उपजातियों में विधवा विवाह के लिये लोगों को उत्साहित करके इस आन्दोलन में सहायक होवें।"

श्री राधामोहन गोकुल जी

आप विधवा विवाह के बड़े पक्षपाती हैं, और विधवाओं का विवाह न होना बड़ा अन्यायपूर्ण समझते हैं। आपने

ने किया। ऐसी देवियों के विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वैधव्य प्राप्त होने पर वे पुनर्विवाह करेंगी। इस प्रकार का शुद्ध वैधव्य रमाबाई रानाडे का था। आज बासन्ती देवी को यह वैधव्य प्राप्त है, ऐसा वैधव्य हिंदू-संसार का अलंकार है, उससे वह पुनीत होता है। बाल विधवाओं के कल्पित वैधव्य से हिन्दू-संसार पतित होता जा रहा है। प्रौढ़ विधवाएँ अपने वैधव्य को सुशोभित करते हुये बाल विधवाओं का विवाह करने के लिये कटिबद्ध हों और हिंदू समाज में इस प्रथा का प्रचार करें।"

देवता स्वरूप भाई परमानन्द

प्रधान अखिल भारतवर्षीय हिन्दू महासभा

८ फरवरी १६३४ के कृपापत्र के लिये धन्यवाद। उत्तर स्वरूप मेरा मत विधवाओं के पुनर्विवाह के विषय में वही है जो आर्य्यसमाज का है। जिन कन्याओं का विवाह १६ वर्ष की आयु से कम में हो गया है उनका विवाह बिना संकोच के कर देना चाहिये। उनका यह विवाह प्रथम के ही सदृश है। परन्तु उन स्त्रियों के लिये भी जिनका

विवाह उचित अवस्था में हुआ है इस प्रथा को मान लेना चाहिये ।"

"हिन्दू समाज में निश्चय रूप से विधवाओं की अनगिनित संख्या है जो हिन्दू समाज को नष्ट कर रही हैं। इसको दूर करने का यही उपाय है कि भावी आपत्ति का अनुभव करके जाति के नेता इसको कार्य्यरूप में परिणत करके समाज के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे अन्य अनुकरण कर सकें।

दीवान बहादुर श्री हरविलास शारदा

८ फर्वरी १९३४ का पत्र मिला। आपने विधवा विवाह के विषय में मेरी सम्मति पूछी है। मेरे विचार में विधवा के उतने अधिकार होने चाहिये जितने एक विधुर के, न किसी अंश में कम न अधिक। सामाजिक कार्य्यकर्त्ताओं का यह धर्म है कि भिन्न भिन्न जातियों और उपजातियों में विधवा विवाह के लिये लोगों को उत्साहित करके इस आन्दोलन में सहायक होंवे।"

श्री राधामोहन गोकुल जी

आप विधवा विवाह के बड़े पक्षपाती हैं, और विधवाओं का विवाह न होना बड़ा अन्यायपूर्वक समझते हैं। अपने

क्रियात्मक कार्य्यों से आपने इन विचारों की पुष्टि की है। आप स्वयं लिखते हैं :—

"मेरी स्त्री का देहान्त १८९४ ई० में हुआ, जब कि मैं केवल २८ वर्ष का युवक था। मेरे घराने में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे 'विधवा विवाह' करने से रोका। मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे मरने पर जिस प्रकार मेरी स्त्री वैधव्य की यातनायें भोगती, मैं भी उसके मरने पर वही कष्ट उठाऊँगा।"

"सार यह है कि वह समाज बड़ा अभागा और पापिष्ट है जो किसी पुरुष या स्त्री को बलात् ब्रह्मचर्य रखने के लिये बाध्य, प्रेरित या प्रलोभित करता है। ऐसे समाज की शक्ति घट जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हिन्दुओं की गुलामी के अनेक कारणों में से एक यह भी है।"

स्वामी दयानन्द सरस्वती

स्वामी दयानन्द केवल अक्षतयोनि पुरुष और स्त्री को पुनर्विवाह की आज्ञा देते हैं। जो स्त्री या पुरुष ऐसे नहीं हैं उनके लिये नियोग की विधि बताते हैं :—

"प्रश्न—स्त्री और पुरुषों के बहु विवाह होने योग्य हैं वा नहीं ?

उत्तर—युगवत न अर्थात एक समय नहीं !

प्रश्न—समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहिये ?

उत्तर—हाँ जैसे :—

सा चेदक्षत योनिः स्यादगत प्रत्यागतापि वा।
पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ।

(मनु० ९ । १७६ ।)

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अक्षत योनि स्त्री और अक्षत वीर्य पुरुष हो उनका अन्य स्त्री का पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिये। [सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास चतुर्थ]

दानवीर सर गंगाराम

दानवीर सर गंगाराम लाखों रुपये की सम्पत्ति का एक ट्रस्ट "विधवा विवाह सहायक सभा, लाहौर" के नाम से स्थापित कर गये हैं। इस सभा द्वारा देश भर में विधवा विवाह का प्रचार होता है। दुखी, भ्रष्ट, गर्भवती विधवाओं की रक्षा तथा उनके विवाह का प्रबन्ध किया जाता है। किसी से कोई दान नहीं लिया जाता। इस संस्था ने इस समय तक हज़ारों विधवाओं का उद्धार किया है।

———

नवां अध्याय

विधवाओं के कारनामें

[१]

मेरा नाम नलिनी है। मैं बँगालिन हूँ। अपने माता पिता से सुना करती थी कि मेरा व्याह ५ वर्ष में हो गया था। जब से मैंने होश सम्भाला मैं विधवा कही जाती हूँ। धीरे धीरे मैं युवा हुई। लोगों की निगाहें मेरे ऊपर पड़ने लगीं। ऐसे समय में मेरे माता पिता मुझे अकेली छोड़ कर चल बसे। मेरे भाई और भावज भी थे और उनकी आमदनी अच्छी थी। भावज के कहने में आकर मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया।

जिस घर में पैदा हुई और पल कर इतनी बड़ी हुई वह छूट गया। मैं घर से निकाल दी गई। अब कहाँ जाऊँ? अपने पिता के राज्य में मैंने बड़े सुख देखे थे। कभी भी घर का काम नहीं किया था। अब अगर काम भी करती तब भी मेरे लिये मज़दूरी नहीं थी। हिन्दू घरों में कौन भला आदमी एक विधवा को रखता।

मैं दाने दाने के लिये तरस रही थी कि एक युवक मुझे मिला। वह मुझ पर आसक्त हो गया। उसने मुझसे बड़े वायदे किये और कहा कि मैं जन्म भर तुझे अपने पास रक्खूँगा। अब मैं क्या करती ? मेरा हृदय भी हिलोरें मार रहा था। मैं उसके साथ हो लीं।

उस युवक ने मुझको एक वर्ष तक अच्छी तरह से रक्खा। धीरे धीरे मेरे शरीर के जेवर बिक गये। अब उस युवक का प्रेम भी कम हो गया। उसने मुझे मार कर निकाल दिया। अब मैं मुसलमान होने जा रही हूँ।

[२]

रामकली, विन्ध्याचल—"मैं क्षत्रानी हूँ। बाल विधवा हूँ। मेरे भाई दर्शन कराने के हीले से मुझे छोड़ गये। उनके इस तरह त्याग कर देने का कारण मैं समझ गई। इसलिये मैंने कभी पत्र नहीं भेजा और न लौटने की चेष्टा की। अब भीख माँग कर अपनी गुजर करती हूँ। सर्वथा असहाय हूँ। और कोई जरिया पेट पालने का नहीं है। उमर २०-२१ वर्ष की है। यहां मुझसी हो अभागिनें ८-९ स्त्रियां और हैं उनका चरित्र ठीक नहीं है।

[३]

लक्ष्मी, बृन्दावन—"मैं ब्राह्मणी हूँ। मेरी सास आदि कई स्त्रियां मुझे यहाँ छोड़ कर चल दीं। पत्र भेजने पर उत्तर मिला कि अपना कर्त्तव्य स्मरण करो। यहां लौट कर क्या मुँह दिखाओगी, वहीं जमुना में डूब मरो। मेरी मां नहीं है। पिता ने मेरे पत्र का कभी उत्तर नहीं दिया।"❀

[४]

मेरा नाम सरस्वती है। मेरे पिता ब्राह्मण थे। बड़े लालची और रुपये पर मरने वाले। उनको कोई रुपया दे देता तो सब काम करा लेता। जब मैं आठ वर्ष की हुई तो मेरी माँ ने कहा कि बेटी की शादी की फिक्र करो। मैंने सुना था कि कई अच्छे लड़कों के विवाह मेरे लिये आये पर मेरे पिता को अच्छे न जँचे। जँचे ही क्यों? वे तो अपने स्वार्थ में फँसे थे। एक दिन ५० वर्ष के पुरुष के साथ उन्होंने मेरा विवाह कर दिया। जब मैं सोलह वर्ष की हुई तो मेरे पति चल बसे। मैं विधवा हो गई।

मेरे पति के दो लड़के थे। मझले का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह मेरी ओर खिंचने लगा। मैं उसको पुत्र के समान समझती थी पर हम दोनों एक अवस्था के थे। ऐसी दशा

❀ देश दर्शन पृष्ठ २५४

से माता पुत्र का सम्बन्ध कितने दिनों चलता। हम दोनों साथ साथ रहने लगे। उससे मेरे गर्भ होगया। अब तो उसको बड़ी चिन्ता हुई। उसने मथुरा में जाकर उसको गिरवाया।

मेरे शरीर की कान्ति कम हो गई थी। समाज में अनादर भी होता था। इसको बचाने के लिये उसने विवाह कर लिया। अब उसकी स्त्री घर में आ गई। मेरा घर में तिरस्कार होने लगा। अब रात दिन काम करती हूँ तब भी ताने सुनने पड़ते थे। यदि बीमार हो जाती हूँ तब भी काम से छुट्टी नहीं मिलती। मैं इतने से ही सन्तुष्ट हूँ। पर यह भी बहुत दिन नहीं चलेगा, न जाने मैं कब घर के बाहर निकाल दी जाऊँ।

[५]

प्रयाग जिले में एक बीस वर्ष की विधवा को अपने नन्दोई के सहवास से गर्भ रह गया। नन्दोई यह देख उसे छोड़ कर करांची भाग गया। फिर वही हुआ जो होना था। वह बेचारी सताई जाने लगी। इस प्रकार असह्य कष्ट पाकर वह अपने पिता के घर चली गई, पर वहां से भी फटकार पाकर पुनः ससुराल पहुँचाई गई। ससुराल में अब उसको पहले से भी अधिक यन्त्रणा दी जाने लगी। दुःख का प्याला लबालब भर गया था, पर उसने मृत्यु को इस जीवन से कहीं

अच्छा समझा। फिर क्या था, उसने शरीर में आग लगा कर आत्म-हत्या कर ली ! हाय ! पतित समाज।

(चांद अप्रेल १९२७)

[६]

गत सप्ताह बम्बई प्रेसीडेंसी हिन्दू सभा ने कुछ दुष्टों के पंजे से, काश्मीर के प्रतिष्ठित घराने की २२ वर्ष की एक ब्राह्मण युवती की रक्षा की है। इस समय उसके पिता राज्य नौकर हैं और उसके ३ भाई जमींदार हैं। विधवा की निज की भी कुछ जमीन है और ६ हज़ार से ऊपर का और कारोबार है। दस वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई; पर दुर्भाग्य से इसके ६ वर्ष बाद उसका पति चल बसा। गत वर्ष वह हरिद्वार गई। उसके शरीर पर २ हज़ार रुपये के गहने थे। वहां एक दिन वह कुछ बदमाशों के चंगुल में फँस गई। वे लोग सैर कराने का वादा करके अभागिनी विधवा को बम्बई ले गये। वहां जो कुछ उसके पास था सब लूट लिया गया। उसके सब गहने बेच डाले गये, और उससे रंडियों के चकले में रहने को कहा गया। इस समय वह ८ महीने की गर्भवती है। जिस मकान में वह रक्खी गई, उसका वह भाड़ा नहीं अदा कर सकती थी, यहां तक कि अपने खाने का ख़र्च आदि भी बर्दाश्त

नहीं कर सकती थी। जब कि वह दुखिनी विधवा मुसीबत में थी तब एक पठान उसके पास पहुँचा और कहा कि अगर तू इस्लाम की दीक्षा लेकर मेरे साथ शादी करने को राजी हो जाय, तो मैं तेरा सारा कर्ज चुका दूँगा......उससे यह भी कहा गया कि अपने बाप को खबर भेज कर तूने इस दुखद विपत्ति से अब तक अपनी रक्षा क्यों नहीं की? उसने कहा ऐसा करने के लिये मैं लज्जित थी। उससे पूछा गया कि क्या तुमने अपना पुनर्विवाह कर सम्मान पूर्वक जीवन बिताने को राजी हो? उसने कहा कि यह असम्भव है। उसकी दलील थी कि अगर मैंने शादी की तो मेरे मां-बाप और सम्बन्धी मुझे जाति से निकाल देंगे और मैं अपनी सारी सम्पत्ति और जायदाद खो बैठूँगी।

[मनोरमा मार्च १९२७-प्रताप से उद्धृत]

[७]

मेरा नाम कमला है। जाति की कायस्थ हूँ, मैं सोलह वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी। तब से बराबर पिता के पास ही रहती हूँ। मेरी माता को मरे हुये ६ महीने भी नहीं बीते थे कि पिता के पास लोग व्याह के लिये आने लगे। पर उन्होंने मुझे इस बात का पता न होने दिया। एक दिन नौकरानी ने

मुझसे कहा कि रविवार को तुम्हारे बाबू जी विवाह करने जायंगे पिता की अवस्था इस समय ४५ वर्ष की होगी।

मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आज जब पिता जी घर आये तो मैंने पूछा, "मैंने सुना है कि आपका व्याह पक्का हो गया है। भय्या का व्याह कर देते, तब अपना करते।" यह सुनते ही मुझ पर बेतरह बिगड़े और हज़ारों गालियां सुनाईं। जिस लड़की की बातचीत मेरे भाई के लिये हो रही थी। उसी से आपने शादी करली। इसका भाई पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह पागल हो गया।

अब मुझ पर रोज़ मार पड़ती है। मेरी मा चुगली करती रहती है। मुझे हुकुम हो गया है कि रोज़ सबेरे उठकर घर साफ़ कर लिया करूँ और कमरे में छिप जाया करूं। मैं विधवा हूँ और सुबह मेरा मुंह देखने में पाप लगता है। अगर किसी दिन प्रातः मैं दिखाई पड़ गई तो दिन का खाना बन्द हो जाता है। मेरे पिता मेरी माता के साथ सुख के दिन बिताते हैं पर मेरे सुख की चिन्ता नहीं। अब मुझे जल्दी ही इस लोक को छोड़ देना पड़ेगा।

[८]

सहयोगी "तरुण राजस्थान" से समाचार मिला है कि

राजपूताना के करौली राज्य के केवल हिराडौन नामक एक रेलवे स्टेशन से लगभग पचास हिन्दू बाल-विधवाएं मुसलमानों के साथ चली गई हैं। नित्य ही कितनी हिन्दू-विधवायें मुसलमानों के द्वारा बहका कर भगाई जाती हैं। क्या हिन्दू समाज और विशेष कर सनातन धर्मी अपनी आँखों की पट्टी खोलेंगे ?

(चांद—अप्रेल १९२७)

[९]

एक बंगालिन विधवा एक मुसल्मान के चंगुल में फँस गई। उसके पास ३२००) था। उस रुपये से उस मुसल्मान ने इक्का हाँकना आरम्भ किया। उस पुरुष से तीन पुत्र उत्पन्न हुये। तीनों हृष्ट पुष्ट हैं और इक्का चलाते हैं। एक विधवा को खोकर हिन्दू जाति ने तीन पुरुष पैदा कर दिये जो हिन्दू समाज को खुखला कर रहें हैं।

[१०]

२२ अगस्त १९३३ को अलीजान, अब्दुल सलाम और दो अन्य मुसल्मान एक हिन्दू बाल-विधवा को उठा ले गये और २ दिन बाद उनका विवाह एक मुसल्मान के साथ कर दिया। उन तीनों पर मुकद्दमा चला और पांच, चार, तीन वर्ष की क्रम से सजा दी गई। (लीडर ३ दिसम्बर १९३३)

दसवां अध्याय

अन्त में

देवी सरोजिनी नायडू ने एक समय लिखा था—

"Women is the true unit of civilsation. Her courage, knowledge, devotion and sacrifice are the real measurements of human progress"

"स्त्री ही सभ्यता की वास्तविक आधार है। उस का साहस, ज्ञान, त्याग और भक्ति मानवी उन्नति का वास्तविक माप है"

कितने सुन्दर शब्दों में कितनी उच्च बात कही गई गई है। इसमें सत्यता कूट कूट कर भरी हुई है। अमेरिका के डाक्टर सण्डरलैंड भारत में भ्रमण करने आये। उनको भारतवर्ष से बड़ा प्रेम था। "India in Bondege" नाम की एक उत्कृष्ट पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। जब वे सारे भारत का भ्रमण करते हुये बनारस में पहुँचे तो कारमाइकेल लाइब्रेरी में उनका व्याख्यान हुआ। उन्होंने एक प्रश्न किया

"कहाँ हैं भारत की नारियाँ"

सड़कों पर, स्टेशनों पर, विशाल राजनैतिक, साहित्यक क्षेत्र में उनको भारतीय नारियां नही मिलीं। कितने उच्च आदर्श

डाक्टर सण्डरलेंड ने भारत की नारियों के विषय में बनाये थे। पर वे नारियां उनको नहीं मिलीं।

मिलें भी कहाँ से ! हमने नारियों को दरबों में बन्द कर रक्खा है। उनको हम उसी प्रकार रखते हैं जैसे कबूतर के शौकीन कबूतरों को। हमने उनकी सारी स्वतन्त्रता का हरण कर लिया है, उनको इतना दबाया है कि वे मृतप्राय हो चुकी हैं।

हम सब को यही शिकायत है कि हम सुखी नहीं। परन्तु सुखी होने के लिये हमने यत्न किया ही कब।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः॥

मनुस्मृति अ० ३ श्लोक ५६

"जिस कुल में स्त्री पूजी जाती हैं। वहाँ देवता रमते हैं और जहाँ इनका पूजन नहीं होता, वहाँ सम्पूर्ण कर्म (यज्ञादि) निरर्थक होते हैं।

शोचन्तिजामयोयत्र विनश्यत्याशुतत्कुलम।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥

मनु०

"जिस कुल में स्त्रियों शोक करती हैं, वह कुल शीघ्र नाश

को प्राप्त होता है। और जहां ये शोक नहीं करतीं, वह कुल सर्वदा बढ़ता है।"

भारतवर्ष में एक या दो नहीं २ करोड़, ६२ लाख ४८ हज़ार ४ सौ ०८ विधवायें रात दिन आंसू बहा रही हों वहाँ का कहना ही क्या है।

जामयो यानिगेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः ।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥

मनुस्मृति

"जिन घरों को अपूजित होकर स्त्रियां शाप देती हैं, वे घर कृत्या (विष प्रयोगादि) के से मारे सब ओर से नाश को प्राप्त होते हैं।"

यह विधवायें हमारे घरों में बैठी हुई शाप दे रही हैं। उनकी आहें, उनकी आँखों से बहते हुये झरने, उनके हृदय की टूटी अतड़ियाँ, हमको चैन से न रहने देंगी। भाइयों और बहनों! इस क्रूरता को दूर करो नहीं तुम्हारा कल्याण नहीं है।